महानगर नई दिल्ली मंगलवार 4 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

अराजकतावादी और आतंकवादी में ज्यादा फर्क नहीं : जावडेकर

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं को 'अराजकतावादी' बताया था और 'एक अराजकतावादी और आतंकवादी में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है।'

केजरीवाल को 'आतंकवादी' कहने को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद जावडेकर ने यह बयान दिया है। इस संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। गुरुवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद वर्मा को केजरीवाल को कथित तौर पर एक 'आतंकवादी' कहने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इधर, सोमवार को जावडेकर ने 'पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल के मोगा में बाकी पेज 8 पर

दिल्ली दंगल में हमलावर हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा

शाहीन बाग में संविधान और तिरंगे की आड़ में साजिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीलमपुर, शाहीन बाग और जामिया में सीएए विरोधी प्रदर्शनों पर कड़ी टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में ऐसे प्रदर्शन संयोग नहीं, बल्कि प्रयोग है। इस प्रयोग के पीछे राजनीति का ऐसा डिजाइन है, जो राष्ट्र को खंडित करता है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को दिल्ली में अपनी पहली चुनावी सभा को कड़कड़डूमा के सीबीडी मैदान में संबोधित किया और लोगों से भाजपा प्रत्याशियों वोट देने की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान–तिरंगे की आड़ में लोगों को ज्ञान बांटा जा रहा है और षड्यंत्र कर वास्तविक स्थिति से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान न्याय का आधार है। किसी भी विरोध–प्रदर्शन से साामान्य नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई है। हंगामा करने वालों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारी कोई बात नहीं मानते पर बात संविधान की करते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कहा कि ऐसे लोगों के हाथों में दिल्ली सुरक्षित नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रदर्शनों से दिल्ली–नोएडा वालों को दिक्कत हो रही है। वे लाग चुप व शांत हैं। इस राजनीति को देखकर नाराज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विरोधी मानसिकता को यही रोकना होगा। अन्यथा यह अन्य इलाकों में जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम जनता के मत की ताकत से ही इसे रोका जा सकता है, इसलिए दिल्ली को बदलने के लिए कमल के पक्ष में मतदान करें। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की भी आलोचना करते हुए कहा कि जिन लोगों ने बटला हाउस मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए थे वे 'टुकड़े टुकड़े' नारे लगाने वालों को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी विपक्षी दलों ने जवानों को कठघरे में खड़ा किया था, ये लोग देश की सेना पर भी शक करते हैं। उन्होंने 'आप' पार्टी को घेरते हुए कहा कि ये लोग राजनीति बदलने आए थे लेकिन अब इनका नकाब उतर चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास में पूर्वांचल के लोगों की बड़ी भूमिका है। इनसे भी दिल्ली में नफरत हो रही है और पूर्वांचल के प्रति इस दुर्भावना से उन्हें दर्द होता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी गरीब परिवारों को 2022 तक पक्का घर मुहैया कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 2 करोड़ घर बनाए जा चुके है और जल्द दो करोड़ नए घर आने वाले सालों में बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से दिल्ली अब तक एक भी घर नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को रोकती रहेगी। प्रधानमंत्री कहा कि भाजपा सकारात्मकता में विश्वास करती है और देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भारत नफरत की राजनीति से नहीं बल्कि विकास की नीति से चलेगा।

प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 17 से 70 सालों से फंसे विवादित मामलों को सत्ता में आने के बाद मंजूरी दी है। इनमें अनुच्छेद 370 हटाने, अयोध्या बाकी पेज 8 पर

फोटो : अरुष चोपड़ा

शाहीनबाग, जामिया और सीलमपुर प्रदर्शन केवल संयोग नहीं बल्कि प्रयोग।
प्रदर्शनकारी कोई बात नहीं मानते पर बात संविधान की करते हैं।
बटला हाउस मुठभेड़ पर जिन्होंने सवाल खड़े किए, वे ही 'टुकड़े टुकड़े' नारे लगाने वालों को बचा रहे हैं।

लोकसभा में ठाकुर और वर्मा का जोरदार विरोध

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा को सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का भी जोरदार विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या बाकी पेज 8 पर

'शीर्ष नेताओं की सहमति से दिए जा रहे भड़काऊ बयान'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

गौरव गोगोई

कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि कुछ केंद्रीय मंत्री अपने शीर्ष नेताओं की मौन सहमति से भड़काऊ बयान देकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन देश में इस नफरत की राजनीति की जगह उम्मीद बाकी पेज 8 पर

केरल में कोरोना विषाणु राज्य आपदा घोषित

कोरोना वायरस के तीसरे मामले की पुष्टि

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के तीसरे मामले की पुष्टि हुई है। यह मामला भी केरल से ही है। केरल सरकार ने इस वायरस को राज्य आपदा घोषित कर दिया है।

इस बीच, देश में घातक कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए तैयारियों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित एक मंत्रिसमूह की सोमवार को पहली बैठक हुई। मंत्रिसमूह में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, हरदीप पुरी, एस जयशंकर, जी किशन रेड्डी, अश्विनी कुमार चौबे और मनसुख लाल मंडाविया शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मंत्रियों को कोरोना वायरस के तीन पुष्ट मामलों के बारे में जानकारी दी गई जो केरल से सामने आए हैं। साथ ही मंत्रियों को कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में भी अवगत कराया गया।

मंत्रिसमूह ने चीनी यात्रियों और पड़ोसी देश में रह रहे विदेशियों के लिए ई..वीजा सुविधा निलंबित करने की सरकार द्वारा की गई घोषणा और जारी ताजा परामर्श पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि 15 जनवरी से जिस किसी का भी चीन की यात्रा का इतिहास है उसे पृथक इकाई में रखा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि बाकी पेज 8 पर

कोरोना वायरस के मामलों पर नजर रखने के लिए मंत्रिसमूह की बैठक हुई।

यूपी से चार दिन में पीएफआइ के 108 सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ, 3 फरवरी (भाषा)।

लखनऊ में 14, बहराइच में 16, सीतापुर में 3, मेरठ में 21, गाजियाबाद में 9, मुजफ्फरनगर में 6, शामली में 7, बिजनौर में 4, वाराणसी में 20, कानपुर में 5, गोंडा, हापुड़ और जौनपुर में एक–एक पीएफआइ सदस्य गिरफ्तार हुए।

संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले चार दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 108 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पीएफआइ से संबद्ध 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सोमवार को यहां पत्रकारों को बताया कि पिछले चार दिनों में उत्तर प्रदेश में पीएफआइ के 108 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभी शुरुआत है। हम इनकी बाकी पेज 8 पर

भाजपा ने हेगड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
नई दिल्ली बंगलुरु, 3 फरवरी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर सांसद अनंतकुमार हेगड़े को सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन कुमार कटील ने यहां बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नहात्मा गांधी के खिलाफ हेगड़े की टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया है और उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले बाकी पेज 8 पर

भारत में रहने की जिद पाकिस्तान से पर्यटक वीजा पर आए हैं परिवार, वापस नहीं जाने पर अड़े

50 हिंदू परिवारों ने मांगी नागरिकता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर जारी बहस के बीच सोमवार को पाकिस्तान से 50 हिंदू परिवारों का जत्था पर्यटक वीजा पर भारत पहुंचा है। इन परिवारों का कहना है कि वे अब भारत में ही रहना चाहते हैं। आने के साथ ही उन्होंने अमृतसर में स्थानीय प्रशासन के जरिए विदेश मंत्रालय को अपनी मांग भेज दी है।

सीएए के तहत उन लोगों को नागरिकता दी जानी है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। लेकिन इन परिवारों का कहना है कि वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद वे पाकिस्तान वापस नहीं लौटेंगे। इससे पहले 31 जनवरी को दो सौ हिंदू परिवारों का जत्था पाकिस्तान से भारत आ गया था।

सोमवार को पंजाब के अमृतसर में स्थित वाघा–अटारी सीमा (भारत–पाक सीमा) को पार करके ये 50 हिंदू परिवार भारत आए। इन लोगों ने 25 दिन का वीजा लिया है। इन हिंदू परिवारों ने हरिद्वार जाने की इच्छा जताई है। ये सभी पाकिस्तानी हिंदू नागरिक पर्यटक वीजा पर भारत आए हैं। नियमों के मुताबिक, वीजा की तय सीमा खत्म होने के बाद इन्हें पाकिस्तान लौट जाना होगा।

लेकिन इन लोगों ने वापस नहीं जाने की इच्छा जताई है। इसी जत्थे में शामिल लक्ष्मण दास ने अमृतसर में मीडियाकर्मियों से कहा कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। हालांकि, मैं भारत में ही रहना चाहता हूं। लक्ष्मण दास व उनके साथी भारी–भरकम सामानों के साथ पहुंचे हैं।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस जत्थे की मांग पत्र को बाकी पेज 8 पर

हिंदू परिवारों ने 25 दिन का वीजा लिया है। इन हिंदू परिवारों ने हरिद्वार जाने की इच्छा जताई है।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Parveen Kumar Jain S/o Salek Chand Jain R/o 74, Bank Enclave Near Laxmi Nagar, Delhi-110092 Have Changed My Name to Parveen Jain. 0070696124-1

I,Shyam S/o Shri Babu Singh,R/o C-7/3,Motia Khan,Pahar Ganj,New Delhi-110055,have changed my name to Shyam singh for all purposes. 0040530083-1

I,Rajni Devi Punj W/o Deepak Sarin R/o H.No.157,Yamnotri Enclave Gopal Nagar Najafgarh,New Delhi-110043 have changed my name by virtue of marriage as Rajni Devi Sarin for future purposes. 0040529994-2

I,Raj Rishi Gupta S/o.Ram dutt Gupta R/o-1308,Sector-17, Faridabad,have change my minor daughter name Niti Gupta to Neeti Gupta for all purposes 0040529990-2

I,Pawan Kumar Yadav, S/o,Lt.Tula Ram Yadav,R/o-RZB-209,Nihal Vihar,Nangloi, New.Delhi-41,have informed that,Pawan Kumar Yadav, Pawan Yadav and Pawan Kumar all,the names,to one and single person. 0040530048-11

I,Pankaj Mahna R/o WZ-44-E/19,2nd Floor, Mukherjee Park,Tilak Nagar,New Delhi-110018 have changed the name of my minor son from Tushar to Tushar Mahna for all future purposes. 0040529994-1

I,No-15672687P,Rank-Naik,Name-Radheraman Sharma Unit-PMO Suraj IHQ Of MOD Army camp,Delhi-10,R/O-Vill-Pahleja,Po-Jai pur,Dis-Arwal,State-Bihar-804428,Have changed my minor son name Achutanand Abal To Utkarsh Sharma and.Date-of-Barth-10.02.2008. 0040530048-10

I,Mohammad Irshad S/o-Abdul Subhan,DOB-05/09/1984 R/o-220/B Savitri-Nagar, Malviya-Nagar New Delhi-110017.have changed my name to Mohd Irshad,for all future purposes. 0040530038-2

I Gulferoj W/O Faeem Ahmad R/O-NA-77, NA-Block Vishnu-Garden Tilak Nagar Delhi-110018.changed my name to Gulforoj Qureshi. 0040529924-1

I Naushad Miyan S/O Kallu Khan R/O New F-230, Gurudwara ke piche wali gali Raghubir nagar Khyala Delhi-110027 changed my name to Naushad Khan. 0040529924-2

I,Kamaldeep Verma alias Kamaldeep Sehdev S/o Om Parkash Sehdev R/o H.No. 2362/A, W.No. 8, Jawahar Nagar, Adampur Doaba, Jalandhar-144102 have changed my name to Kamaldeep Sehdev for all purpose. 0040529924-3

I,Nisar Ahmad S/o Late Abdul Jabbar R/o-H.No.329A, Street.No.6/3,Zakir Nagar,P.O.-Jamia Nagar,Okhla,New Delhi-110025(Adhar-Card.No.-275332361698),Inform that my Grand Father Name-Late Abdul Hafiz S/o.Late Suban Alias Late.Subana Khan R/o-H.No.-119,Bhaina SadarPur, Garh Mukteshwar-10,Distt.-Hapur-245205(U.P.)-India,(sold to Late Taslim)and,Late.Abdul Hafeez Alias Mohd. Hafiz S/o-Late.Suban alias Subana Khan are same and one Person that is Late. Abdul Hafiz S/o.Late Suban alias Late Subana Khan. 0040530032-3

I,Manjit Kaur Sandhu,W/O-Inder Jeet Singh Sandhu,R/O-49,Rameshwar-Nagar, Azadpur,Delhi-110033,Have Change My Name.To,Manjeet Kaur W/O-Inder Jeet Singh And.My Husband Inder Jeet Singh,And Inder Jeet Singh Sandhu Are Name Of,Same Person. 0040530048-9

I,Garima Jindal W/o.Saurabh Garg R/o-B-1/485,Janak Puri,ND-58,have changed my name to Garima Garg after marriage for all future purposes. 0040529990-1

I,Gajendra Mohan S/o-Kartar Singh Saini,R/o-WZ-39, DadaChhattri Wala Marg, Rajnagar-1,Palam Colony,New Delhi-110045,affirms that Gajendra Mohan and Gajendra Saini are,the same person,and both names, belong to me. 0040530032-5

I,Devender Kumar S/o.Ram Brichh Kharwar R/o-RZG-112,G-Block,Gali.No-3,Vijay-Enclave,Palam Village,Delhi-45,mine and my father Name has been wrongly written as Devender and Ram Virksha in My 10th-Class Certificate,the actual name of mine and,my father is Devender Kumar, Ram Brichh Kharwar 0040529993-1

I,Deepak Raj Shrivastava S/o.Desh Raj Srivastava R/o-B-27/S3,DLF-Dilshad,Extn-2 Sahibabad,Ghaziabad(U.P)-201005,have Changed my Name to Deepak Raj Srivastava for all future purposes. 0040529993-2

I Ramsha Naz D/O Abdul Razzaq Add-25/1 Kucha Bela Mal Naya Bans Delhi-110006, Changed My Name To Ramsha Naaz. 0040530071-6

व्यक्तिगत

I,Belote Prerna spouse of Belote Vijay Sahebrao R/o-VPO-Devibhoyare, Teh-Parner, Distt-Ahmednagar,have changed my name from Belote Prerna to Belote Prerana vide affidavit.Dt.-22.01.2020,before Jhansi. 0040530032-6

I,Ashok Kumar,S/O Shri Khayali Ram,Resident Of-C-934,Shahid-Nagar, Shahibabad,Ghaziabad,Uttar-Pradesh-201001.Have Changed MyReligion,From Hindu To Islam (MUSLIM) W.E.F. 11.01.1972,For All Purposes. 0040530078-5

I, Zakee Begum D/o Mohammed Ziaul Haque R/o 11-37-7 , Azeemabad, Kanithi Road New Gajuwaka Visakhapatnam Urban Andhra Pradesh-530026 declare that my Name Of 10th Certificate has been wrongly written as Zakee Begum in my 10th Certificate. The actual name of my is Zakia Begum, which may be amended accordingly. 0070696109-1

I, Vivek Kumar S/o Mahender Kumar R/o H.No.388 Block No.13,Geeta-Colony Delhi-110031,have changed my name to Vivek Kumar Sardana,for all purposes. 0040530038-3

I, Virender Kumar Yadav S/O Lakhpat Singh Yadav R/O C-26s, Vijeta-Vihar, Sector-13, Rohini Delhi-110085, Changedmy Nameto Virender Yadav. 0040530038-9

I, Vikas Jatav S/o Sh. Chhatra Singh Jatav R/o H No. 168-K Paragaon Road Gariaband Bindranawagarh Raipur Chhattisgarh-493889 have changed my name and shall hereafter be known as Vikas Chandoliya. 0070696125-1

I, Veena Kumari W/o Gurcharan Pathania R/o A-302, Plot -14, Hum Sub Appartment, Sector-4 Dwarka Delhi-110078 Have Changed My Name to Veena Pathania. 0070696119-1

I, Vandana Kashyap W/o-Ramesh Kumar Punn,R/o-3072/2H, First-Floor, StreetNo.10, Ranjeet-Nagar, N.Delhi-110008.have changed my name to Vandana Punn. 0040530071-2

I, VISHNOO ANAND s/o INDR-ISH KUMAR r/o Alpine B-105, Grand Omaxe Society, Sector 93B, NOIDA, Gautam Budh Nagar, UP-201305 have changed my name to VISHNU KUMAR VAISH. 0040530009-2

I, Geeta Dewakar W/O Deepak Kumar R/O-7A HariNagar Ashram Delhi-110014.Have Changed My Name To Geeta Vats. 0040530071-3

I, Uzma Saeed,W/o Iqbal Husain R/o-H.No.1585, GaliPeepal-Wali, Chitli-Qabar, Delhi-110006 have changed my name to Uzma. 0040530071-1

I, Surendra Ram S/o Rupnarayan Ram R/o 31/1/23A Bhujanga Dhar Road, Liluah, Howrah, Howrah, WB. 711204 0070696117-1

I, Surabhi Kanojia D/o Pritam Kumar R/o-633, Niti Khand-3, Indirapuram, Ghaziabad-201014, have changed my name to SURBHI KANOJIYA. 0040530032-1

I, Suboor Ahmad S/o Mohammad Yahya R/o 2107 Ahata Kaley Sahib gali Qasim jan Delhi-6 have changed my name to Saboor Ahmad. 0040529997-1

I, Shahida Parveen W/O Mohd. Irshad R/O-C-44, Street No.12/2, Chauhan Bangar, New Seelampur, Delhi-110053 Have Changed My Name To Shahida. 0040530048-7

I, Senthil Kandeepan Subramaniam S/o Sh. Subramaniam R/o 16/21, First Floor East Patel Nagar Central Delhi-110008 have changed the name of my minor daughter Kandeepan Vanshika aged about 10 Years and she shall hereafter be known as Vanshika Kandeepan. 0070696106-1

I, Rushinarada Subramanian Narayanan S/o R V Subramanian R/o 188-E, Pocket A-3, Mayur Vihar, Phase 3, Delhi-110096, that name of mine and my father has been wrongly written as Rushi Narada Subramanya Narayana and R V Subramanyam respectively in my Educational Documents. The actual name of mine and my father is Rushinarada Subramanian Narayanan and R V Subramanian respectively 0070696104-1

I, Rohit Kumar Ram S/o Birendra Ram R/o 31/1/23A, Bhujanga Dhar Road,Howrah Municipal Corporation, Liluah, Howrah-711204 have changed my name and shall hereafter be known as Rohit Singh. 0070696135-1

I, Ritesh Kumar R/o-20, Village-Nanakpura,Moti Bagh, Delhi,declares that correct name of my daughter is Dakshika instead of Dashika. 0040530032-2

I Manisha Bansal W/O-Sunit Garg Add H.No.162/34 Janta-Colony Near-Vishwakarma-Park Rohtak Haryana-124001,Changed My Name To Manisha Garg 0040530071-5

I, Jay Gobind Tiwari R/O J-12, 3rd Floor, SharmaColony Budh Vihar Phase 2, Delhi-110086 HaveChanged My Name To Jay Govind Tiwari For All Future Purposes 0070695953-1

I, Ravi Majety S/O Chidambaram Majety H.No-7b, Ber-Sarai Near-Bersarai Children-Park, N.Delhi-110016.Have Changed My Name To Ravi Majeti. 0040530048-3

I, Ranjan Periwal S/o Suresh Periwal R/o F-25 Sej Plaza, Marve Road, Ne Nutan School, Malad, West Mumbai, Maharashtra – 400064, have changed the name of my minor son Meesh Periwal aged about 18 day and shall hereafter be known as Mirav Periwal. His date of birth13th-January-2020. 0070696091-1

I, Ramesh Ram S/o Bhusi Ram R/o Vill- Kahinaur, Post-Kahinaur mohalla Shri Bhusi Ram Nagar Kahinaur, Kahinaur mau Uttar Pradesh-275101, have changed my name and shall hereafter be known as Ramesh Dev 0070696100-1

I, Quibuddin S/0-Mohd Sadiq R/0 J-3/346 J.J.Colony Wazirpur Delhi-110052 Changed My Name To Quatubuddin. 0040530038-5

I, Pryag Prasad Gupta S/o Rama Shanker Prasad R/o B-736, Gali No-15, Jeewan Park Siras Pur, Delhi-110042 Have Changed My Name to Prayag Prasad. 0070696116-1

I, Prateek Singotiya S/o Sh. Jagdish Singotiya R/o Jaiswal Colony, Chhapara, Dist. Seoni. M.P.-480884 Inform that in my School Certificates my Father's name is wrongly mentioned as Jagdish Prasad Singotiya but my Father's actual and correct name is Jagdish Singotiya. 0040530103-1

I, Neelam Chaudhary W/o Shailender Singh R/o A-408, A-Block, Gali No-2, Meet Nagar, Gokal Pur, Delhi-110094, have changed my minor daughter's name from Yashvi Sangwan aged 8 years to Naira Choudhary forever 0070696111-1

I, Moni Devi D/o Shree Ram Sajeevan R/o G-7/68, Sector-16, Rohini, Delhi have changed my name to Savita W/o Shri Sarvesh Kumar After marriage (both are same person). 0040530011-1

I, Mahesh S/o Ghanshyam R/o B-455, J.J.Colony, Hastsal, Uttam-Nagar, New Delhi-59, Have Changed My Name to Mahesh Kumar. 0040530071-7

I, Madhu W/0 Rajesh Kumar Malhotra R/0 D-583, Avantika Sector-1 Rohini Delhi-110085, Changed My Name To Madhu Malhotra. 0040530048-6

I, Kunta Rani W/o Mangat Singh R/o-56-C, Badhai Kalan,Muzaffarnagar,UP have changed my name to Kunta Devi for all purposes. 0040530038-1

I, Kumud Mathur W/o Late.Rang Bahadur Mathur R/o R-303,Anupam-Apartments-4 CBD,East Arjun-Nagar,Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Kumud Bahadur,for all purposes. 0040530038-4

I, Kulwinder Basran W/O Dharamvir R/O-F-14, Road.No-5, Andrewsganj, New Delhi-110049.Have Changed My Name To Kulvinder Kaur. 0040530048-8

I, Km Hema Kushwaha, W/o Jai Bhagwan Singh R/o SECTOR-8, Near IMT Manesar, Village-Bashariya, Gurgaon-122503 Have Changed My Name to Hema. 0070696122-1

I, Jaskaran Singh Sachdev S/o Lt. Shri Onkar Singh R/o V-274, 2nd Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027 have changed my name from Jaskaran Singh Sachdeva to Jaskaran Singh Sachdev vide affidavit No. IN-DL14436096291709S, dated: 23/01/2020 for all future purposes. 0040530109-1

I, Eliyas Nag S/o Francis Nag R/o A-68 Gali No-6, Phase-5, Aya Nagar, Delhi-47, have changed my name to Elias Nag for all Purposes. 0040530029-1

I, Devpreet Singh Wahla S/o Manohar Singh R/o C-2186, C-Block, Ranjit Avenue, Amritsar, Punjab–143001, have changed my name and shall hereafter be known as Devpreet Singh. 0070696121-1

I, Binaya Kumar Singh S/o Subedar Singh R/o Best Home, Flat No-201, Second Floor, Upper Ground Floor, Garhi Chaukhandi, Sector-121, Noida, UP-201301 Have Changed My Name to Binay Kumar Singh. 0070696115-1

I, Bharat Suresh Sharma S/o Suresh Chand R/o House No-136 Gali No-1A Bhudatt Colony Ballabgarh Faridabad Haryana-121004 0070696138-1

I, Ashok Kumar,S/O Shri.Khayali Ram,Resident Of-C-934, Shahid-Nagar, Shahibabad,Ghaziabad, Uttar-Pradesh-201001.Have Changed MyName,From Ashok Kumar To"ANWAR Ali"For All Purposes. 0040530078-3

I Sanjay Kumar/Sanjay S/o Kimti Lal Gulati residing BA-8, West Shalimar Bagh Delhi 110088 have changed my name to Sanjay Gulati for all purposes. 0040530007-1

I Raghwendra Kumar,S/O Makinan Prasad Tiwari Address-Rz-A-67,Nand-Ram-Park Uttamnagar West/Delhi Delhi-110059,Changed My Name To Raghwendra Kumar Tiwari. 0040530071-4

व्यक्तिगत

I, Adesh Goel S/o Navin Kumar Goel R/o Flat No-377, Pocket-6-II, Sector-2, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Mehul Goel for all future Purposes. 0040529991-1

I Vishal S/o-Late. Sh. Parahlad Singh R/o-Vill.Katlupur P.O.Nahri,Dist.-Sonepat, Haryana.have changed my name to Vishal Kumar, permanently 0040530078-4

I Tanya Saxena W/o Nipun Jindal R/o H-142, Rama Krishna Vihar, Patparganj, IP Extenion, Delhi-110092, have changed my name to Tanya Jindal 0070696101-1

I Swarnjeet Kaur W/0-Deep Singh R/0 D-33 Swarn Park Nangloi Delhi-110041, Changed My Name To Swarnjit Kaur. 0040530038-6

I Sudha Devi W/O Sunil Kumar Flat.No.1202, Tower-H Park, Grandeura Sector-82, Escortsnagar, Faridabad, Haryana-121007, Changed My Name To Sudha Singhal. 0040530038-10

I Sandeep Kumar S/o Ved Prakash Chabra R/o Flat No-1103, Tower No-T-7 / Aman, Royal Heritage, Sector-70, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, have changed my name to Sandeep Chabra 0070696129-1

I Rena Kumari W/O-Saroop singh R/O-G-111 2nd-Floor gali.no-10, HariNagar Janakpuri-B-1 N.Delhi-110058.Changed My Name to Rena Kaur. 0040530048-1

I Rehana W/O Meharbaan Qureshi R/O-4,Racquet Court-Road Civil Lines Delhi-110054, Changed My Name To Rehana Baby. 0040530078-1

I Rajesh Kumar S/0 Banarsi Lal Malhotra R/0 D-583, Avantika, Sector-1 Rohini Delhi-110085.,Changed My Name To Rajesh Kumar Malhotra. 0040530048-5

I Punit Gambhir f/o-Kabir Gambhir r/o-B-99 Amar-Colony Lajpat-Ngr-IV N.D-24.have to change my minor son name Kabir Gambhir to Kabbeer Gambhir. 0040530048-2

I Om Prakash Sarolia S/0 Parma Ram R/0 H.No-85 Pkt-A-1 Sector-11 Rohini Delhi-110085, changed My Name To Om Prakash. 0040530038-7

I Naidu Cheepurupalli S/O Sattibabu Cheepurupalli Of Station Headquarters Barabanki Pin 225001 Uttar Pradesh Have Changed My Daughter's Name From Dhuveeksha Cheepurupalli To Jhansidevi Dhuveeksha Cheepurupalli Vide Barabanki Affadavit Number 9064 Dated 30 Jan 2020 For All Purposes. 0050161781-2

I Mohd Amarbin Akhter S/o Anis Ansari R/o House No-127G, Makhdoompur, Amroha, UP-244251, have changed my name to Mohd Rihan Akhter 0070696113-1

I Md Wasim Ahmad S/o Md Jamil Akhtar R/o Shah Ki Imli, Jinnati Masjid, Patna City, Patna, Bihar-800008, have changed my name to Wasim Ahmad 0070696110-1

I Jasmeet Kaur D/o Pavinder Singh and W/o Vikash Kumar Pathak R/o RZQ-140B, Nihal Vihar, Nangloi, Nilothi, Delhi-110041, have changed my name to Jaanvi Pathak 0070696114-1

I Iqbal Mahamed Abdul Ghulam Hussain Roomi S/O Ahtisham Ali R/O RZC-187, Nihal Vihar, Nangloi, New Delhi-110041 declare that my name is written in some documents as Ghulam Husain Roomi, Ghulam Hasan Roomi, Gulam Hussain Roomi, Gulam Hasan Roomi and G H Roomi. I sworn before Tehsildar that my correct and real name is Ghulam Hussain Roomi 0040530003-1

I Aysha Souda W/o Sh. Sunil Kumar Souda R/o House No. 6285, Gali No. 3, Block No. 6, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi – 05 has been changed my name from Ashu to Aysha Souda for all future purpose. 0040530000-1

I Ashna Punihani D/O-Manjeet Singh punihani R/O M.137, g.floor-Greater Kailash-part-2New Delhi-110048.Have Changed My name to Aashna punihani. 0040530048-4

I Anju Bala W/O-Vijay Kumar H.No-76, 2nd-Floor Street.No-3, Krishna Nagar Safdarjang Enclave, Delhi-110029.Changed My Name To Anjali Sharma. 0040530078-2

I Ambedkar Sharma S/o Balwant Sharma R/o S-4/613, Extention-1, Shalimar Garden, Sahibabad, Ghaziabad, UP-201001, have changed my name to Raghav Sharma 0070696112-1

I Alka Gupta W/0-Manish Gupta H.No-31 1st-Floor Kapil-Vihar Putampura, Delhi-110034.Changed My Child Name Kanishka Gupta To Kanishk Gupta. 0040530038-8

I Abhishek S/o Anil Kumar Singh R/o At-Madhuban Garments, Cinema Road, Anwarpur, Hajipur, Vaishali, Bihar-844101, have changed my name to Abhishek Singh 0070696123-1

खोया+पाया

I,Harsh Dhawan S/o-Rajesh Kumar Dhawan R/o-76-A 2nd-floor,st.no-10 East-azad-Nagar, krishna-Nagar Delhi-110051.have lost my original-certificate class-10th year-2007 Rollno-6121545 CBSE-Delhi, 0040530078-10

I,Roopa Sharma,W/o Sudhir Vashishtha,R/o-H.No.-32/52, Street.No.-11,Vishwas-Nagar,Shahdara,Delhi-110032, have lost my SAS Agency-Licence bearing.No.SS/2135. issued by Govt.Of India F.I.R.No-91254/2020 Dated-25/01/2020. 0040530071-10

It is notified for the information that my Original Examination Certificate of Main Secondary examination of Year-1990 and Roll No-417376 issued has been actually lost name of the candidate Mohd Suhail address-H.No.1283 Gali gao Khana Punjabi Phatak Ballimaran Delhi.110006 tel No.9910862048. 0040529998-1

Lost my original Share Certificate,Allotment-Letter,Possession-Lettet of my Flat-No.B-61, Second-Floor, Shakti-Apartment, Secror-9,Rohini, Delhi-110085,finder may Contact-Surinder Singh Saini at above noted address. 0040530071-9

I, jyoti D/o-Davinder Kumar R/o-Rz-512 durga-vihar phase-1 deenpur, Najafgarh, Delhi.have lost my original-certificate class-10th year-2009 Rollno-6408987 CBSE-Delhi. 0040530078-9

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलान रियासत अली व शफक्कत अली वल्द मौ. इब्राहिम पता-11/596, वैस्ट गुरु अंगद नगर दिल्ली ने अपने भाई शाकिर अली व उसकी पत्नी नाजरीन व उनके बच्चों के अवज्ञाकारी आचरण के कारण उनसे अपने सभी पारिवारिक, व्यवहारिक व सामाजिक संबंध विच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में उनके किसी भी क्रियाकलाप, लेन-देन के लिए मेरे मुवक्किलान व परिवारजन उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./-
जैड. अब्बास
एडवोकेट
सीट नं. 113, पी.एस. राठी, ब्लॉक, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

PUBLIC NOTICE

Be known to all that my clients Sh. Ram Avtar Rathore and his wife Smt. Soda Rathore both R/o B-1440, B-block, Near main market, Shatri Nagar, Delhi- 110052 has disowned their son namely Sunny and his wife Aarti from all their moveable and immovable properties and further severed all relations from them due to their disobedient, cruel and neglecting acts and conducts towards my above said clients. If any person deals with them then he is hereby cautioned to do so entirely at his own risk, cost and consequences. My clients will not be responsible for the acts, deeds and conducts of the aforesaid persons.

Sd/-
VIJENDRA KUMAR (Advocate)
Ch. No. 674, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. Laxman Singh Bisht S/o Sh. Shiv Singh Bisht R/o A-2/174, New Kondli, Mayur Vihar, Phase-III, Delhi-110096 has severed all relations with his son namely Sh. Deepak Singh Bisht and has disowned & disinherited him from all the movable and immovable properties and my client has no concern whatsoever with him as he has become cruel, disrespectful and ill-mannered towards my client. Whosoever deals with him in any manner, shall do so at his/her own risk & consequences.

Sd/-
SUMIT AHUJA (Advocate)
E-115, L.G.F. Amar Colony,
Lajpat Nagar-IV, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, NAUSHAD KHAN S/o Zeeshan Khan, residing at RZ-524/25, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019, declare that name of mine has been wrongly written as NAUSHAD, my father's name has been wrongly written as JISHAN KHAN and my mother's name has been wrongly written as LADLI BEGAM & LADLI BEGUM in my all documents like Secondary School Examination documents, Intermediate Examination documents, Madhya Pradesh Nurses Registration Council, Bhopal (M.P.) documents, St. John Ambulance (India), Indian Red Cross Society document, Election Identity Card, Driving Licence, PAN Card, Passport, Birth Certificate etc. The actual name of mine is NAUSHAD KHAN, the actual name of my father is ZEESHAN KHAN and the actual name of my mother is LADLI KHAN respectively, which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all general public that my client Mr. Bharat Bhushan S/o Hans Raj R/o C121, Ramesh Nagar, Double Storey, New Delhi-110015 have disowned / debarred their elder son Nishant Gupta & his wife Niti Gupta from their all movable and immovable properties with immediate effect. My client and his family members shall not be responsible for their any acts and deeds. Anybody dealing with them will do at his/ her own costs and risks.

MOHINDER DHAWAN
Bar Room No. 3, Civil Side, Near Gate No. 1, Tis Hazari Courts, Delhi - 110054

PUBLIC NOTICE

To be all know that Sh. Navin S/o Late Sh. Gordhan Dass R/o PLOT NO. D-2, BLOCK-F. SITUATED IN THE LAY-OUT PLAN OF THE NAJAFGARH ROAD RESIDENTIAL SCHEME, NOW KNOWN AS TAGORE GARDEN, N.D-27. measuring 149.33 Sq. Yards. Vide DDA File No. F 6(34)1962/LAB, and DDA original documents has been lost i.e ALLOTMENT CUM DEMAND LETTER, POSSESSION LETTER, SITE POSSESSION LETTER, COMPLETION CERTIFICATE, C & D FORM, BUILDING SESSION PLAN AND ALL OTHERS DDA ORIGINAL RELATED DOCUMENTS LOST/ MISPLACED ETC. Related papers. And FIR to this effect has been done in the Police Station (Crime Branch, Delhi) vide LR No. 100862/2020 on dated 28/01/2020 any person claiming any right interest having any objection or found in possession of original document may contact with above named person Sh. Navin Ph. No. 9582482904 within 15 days from the date of publication of this notice. the person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform to with DDA Vikas Sadan, INA, New Delhi.

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

Sunil Parsad (Advocate)
For Juris NextGen Law Offices
E-56, GreaterKailash Enclave Part-1
New Delhi-110048

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, MEENU SHARMA wife of ANMOL SHARMA residing at House No. 212, C-Block, Near Roop Krishna Public School Shahabad Dairy Delhi-110042, declare that name of mine has been wrongly written as MEENAKSHI SHARMA in my minor daughter's ANJALI aged 12 years in School Records. The actual name of mine is MEENU SHARMA respectively, which may be amended accordingly.

PUBLITC NOTICE

Know all men by these presents that my client Sardar Kripal Singh S/o Late Natha Singh R/o J-161 C, Vishnu Garden, Tilak Nagar, New Delhi-110018 do hereby disown and debar his daughter Ravinder Kaur alongwith her son Chanpreet Singh (Aged Approx. 24 years) from all his movable and immovable properties, Jewellery, Bank Balance, LIC Policies, Fixed deposits etc. with immediate effect because they are out of control and not having any connection with my above named client for long time.
Anybody dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk, cost and responsibilities. My clients will not be held responsible for their any acts, deeds and things done by them in future.

Sd/- B.B.N. DEO, ADVOCATE
SR IInd, B Campus,Janakpuri, N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE

Know all men that my clients Sh. Nishpal Singh S/o Mohinder Singh and Smt. Jasbir Kaur W/o Sh. Nishpal Singh both R/o A-252-253, 2nd Floor, A-Block, J.J. Colony, Chaukhandi, Tilak Nagar, New Delhi-110018 have debarred and disowned their son Amar Singh and daughter-in-law Harpreet Kaur along with their two children, from all their movable and immovable properties. In future any person deals with them shall do so at its own risk and responsibility. My clients will not be responsible for their any acts and deeds.

SD/-SHEKHAR JAIN, ADVOCATE
F-1,Mukhram Garden, Tilak Nagar, N.Delhi-18

PUBLIC NOTICE

That my clients Smt. Archana Gupta W/o Sh. Sanjeev Kumar Gupta and Sh. Sanjeev Kumar Gupta S/o Sh. Panna Lal Gupta R/o H. No. 238/A, Gali No. 6, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi - 110032 have closed their all relations from their Daughter Ms. Gargi Gupta to her bad behavior and activities and therefore debarred them from all movable and immovable properties.
My clients and their all other family members are not responsible for any act of Ms Gargi Gupta, in future from today.

Sd/-
Raj Kumar Jain (Advocate)
Karkardooma Court, Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

नागरिकता संशोधन कानून पर बोले अमित शाह

नागरिकता देने का वादा नेहरू ने किया था

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सोमवार को दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा किया था लेकिन अब कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रही है क्योंकि वह शाहीन बाग में अपने वोट बैंक को लेकर भयभीत है।

राजेंद्र नगर से भाजपा उम्मीदवार आरपी सिंह के समर्थन में एक चुनाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आठ फरवरी का चुनाव विधानसभा सदस्यों और मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच मुकाबला है। उन्होंने कहा कि

एक ओर, वे लोग हैं जो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं और दूसरी ओर, वे लोग हैं कि पाकिस्तान में घुसे और हमारे सैनिकों की मौत का बदला लिया।

शाह ने सीएए के मुद्दे पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आजाद ने पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के कभी भी भारत आने पर उन्हें नागरिकता देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है क्योंकि वे शाहीन बाग में अपने वोट को लेकर भयभीत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार उन लोगों को बचा रही है जिन्होंने जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे।

शरजील इमाम के 'भारत से असम को काटने' संबंधी टिप्पणी पर शाह ने कहा कि 12 दिनों से वह केजरीवाल से कह रहे हैं कि क्या वह जेएनयू छात्र को अभियोजित करने की इजाजत देंगे लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने बसों में कमांडों तैनात करने (महिलाओं की सुरक्षा के लिए) का वादा किया। लेकिन असल में उन्होंने कमांडो की वर्दी 'आप' कार्यकर्ताओं को पहना दी।

चीन के दर्शकों पर रोक

ऑटो एक्सपो में कोरोना वायरस का खौफ

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 3 फरवरी।

चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर भारत में भी खौफ है। तीन लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगे ग्रेटर नोएडा में 7 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलने वाले ऑटो एक्सपो– 2020 में कोरोना वायरस को लेकर खौफ साफ दिख रहा है। दरअसल, ऑटो एक्सपो में चीन की कई बड़ी कंपनियां भागीदारी कर रही हैं। कंपनियों के साथ बड़ी संख्या में उनके अधिकारी व कर्मचारी आते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को देखते हुए एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी बरती जा रही है, ताकि ऑटो शो पर इसका असर न पड़े। 10–12 दिन पहले आए चीन के दर्शक व प्रदर्शकों की बराबर जांच की जा रही है। चीनी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने ऑटो एक्सपो के लिए अपना दौरा रद्द कर दिया है। चीन से आने वाले नए दर्शकों पर रोक लगा दी गई है।

ऑटो एक्सपो शो 2020 में लगभग 20 फीसद पवेलियन चीन की कंपनियों ने बुक कराए हैं। ऑटो की बड़ी इंडस्ट्री होने की वजह से चीन से बड़ी संख्या में दर्शक व कंपनियों के प्रतिनिधि ऑटो एक्सपो में शिरकत करते हैं। कोरोना वायरस के चलते चीन कंपनियों के प्रतिनिधि व कर्मचारी भारत नहीं आ पा रहे हैं। इसका रास्ता निकालते हुए कंपनी प्रबंधन ने यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका आदि देशों में मौजूद अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्रेटर नोएडा भेज दिया है। चीन की कंपनियों के साथ आए कर्मचारी मॉस्क लगाकर कार्य कर रहे हैं। वायरस से बचाव के लिए सियाम ने भी कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर (सियाम) ट्रेड फेयर ग्रुप के सह अध्यक्ष संजीव हांडा ने बताया कि चीन के 186 प्रदर्शक व दर्शकों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 10–12 दिन पहले ही 46 ग्रेटर नोएडा आ गए हैं। उनका दावा है कि 10–12 दिन पहले आए चीनी नागरिकों में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चीन से कोई नया दर्शक नहीं आ रहा है। वहीं सियाम के उप निदेशक जनरल सुगातो सेन का कहना है कि कोरोना वायरस का असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार और सियाम ने प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरती है। ऑटो एक्सपो को सफल बनाने की तैयारियां चल रही हैं। कोरोना वायरस का किसी भी तरह का असर नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ डॉ अनुराग भार्गव ने बताया कि ऑटो एक्सपो में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है।

शरजील इमाम को तीन दिन की पुलिस रिमांड

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

राजद्रोह की धाराओं के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम की पुलिस हिरासत सोमवार को एक अदालत ने तीन दिन के लिए बढ़ा दी। इमाम के वकील ने यह जानकारी दी। अधिवक्ता मिशिका सिंह ने बताया कि इमाम को भारी सुरक्षा में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक के निवास पर शाम को पेश किया गया। इमाम को यहां स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के लिए बिहार के जहानाबाद से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

कैंसर से जागरूकता के लिए 'वाक फॉर लाइफ'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली में कैंसर से बचाव एवं जागरुकता के लिए स्थानीय संस्था कैनसपोर्ट द्वारा 'वाक फॉर लाइफ ' का आयोजन किया गया। यह आयोजन इंडिया गेट पर हुआ, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान शामिल हुए। जिंदगी में कैंसर से जूझ रहे और इस जानलेवा रोग को मात दे चुके साहसी लोगों ने भी भाग लिया। कुछ विशेष प्रकार के कैंसर से बचाने में जानकारी ही बचाव का काम करती है। यहाँ आए कुछ मरीजों के परिजनों ने संस्था के सेवा भाव की प्रशंसा की।

कैंपस लघु फिल्म महोत्सव की घोषणा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

डीयू का समाचार पत्र 'कैंपस कॉर्नर' की ओर से 19 से 21 मार्च, 2020 तक हंसराज कॉलेज में 'कैंपस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल सीजन–2' का आयोजन होगा। इसमें देशभर के प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म समीक्षक, विद्यार्थी एवं शोधार्थी भाग लेंगे। फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के साथ ही तीन दिन का अभिनय एवं पटकथा पर कार्यशाला, 'गांधी एवं ग्लोबल सिनेमा' विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान भी होगा।

सूरजकुंड : देशी चौपाल में विदेशी नर्तकों की धूम

अनूप चौधरी
फरीदाबाद, 3 फरवरी।

अरावली पहाड़ियों की पथरीली धरती में कला किस प्रकार अपने सतरंगी रंग बिखेर रही है, इसका आनंद लेने के लिए आपको सूरजकुंड की धरती पर आना ही होगा। मेले की बड़ी चौपाल में हरियाणा के देशी मंच पर विदेशी नृत्यांगनाओं के पांव थिरकते है। चौपाल में देश-विदेश के कलाकारों के साथ पंजाब, हरियाणा के कलाकार अपनी मस्ती भरे संगीत और नृत्य से पर्यटकों का मन लुभा रहे हैं।

34वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के मुख्य मंच चौपाल पर सुबह 11 बजे संगीत की स्वर लहरियों ने तान छेड़ी तो कलाकारों के पांव भी थिरक उठे। सर्वप्रथम पहाड़ी प्रदेश हिमाचल के लोक कलाकारों ने बिगुल बजाकर आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंडी जिला की महिला एवं पुरुष नर्तकों ने असां तां जाणा ठाकुरद्वारा लोकगीत पर मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति दी। अफ्रीका महाद्वीप के देश मलावी के लोक कलाकारों ने मलिपेंगा नामक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस नाच में उन्होंने दिखाया कि युद्ध के बाद सैनिक जीत की खुशी में अपने राजा के सामने ड्रम व अन्य परंपरागत वाद्यों की धुन पर नाचते तो हैं, साथ ही जो सैनिक लड़ाई में मारे गए, उनसे बिछड़े की भावना भी व्यक्त की जाती है।

कजाकिस्तान की युवती सैयदा ने लैला मजनूं के किस्से से लैला की प्रेम भावना को दर्शाते हुए मनमोहक नजानी डांस पेश किया।

www.readwhere.com

जामिया मिल्लिया इस्लामिया गोलीबारी घटना

दोपहिया वाहन की तलाश शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

***जामिया** मिल्लिया इस्लामिया के बाहर दो राउंड चली थी गोली*

***सीसीटीवी** फुटेज और वीडियो के आधार पर की जा रही है जांच*

पुलिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर सात के पास रविवार देर रात गोलीबारी करने वाले आरोपियों की तलाश दोपहिया वाहन के पंजीकरण नंबर के आधार पर कर रही है। सबूत के तौर पर पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मिले हैं। एक फुटेज में दिख रहा है कि वाहन के पीछे बैठा आरोपी हवा में दो गोलियां चला रहा है। गोली चलने की घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी फैल गई थी। उसके बाद गुस्साए सैकड़ों प्रदर्शनकारी जामिया नगर पुलिस थाने पहुंचे और सुबह चार बजे तक थाने का घेराव किया। ये प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ जल्दी से मुकदमा दर्ज उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इलाके में चार दिनों के भीतर गोली चलने की यह तीसरी घटना है। बावजूद पुलिस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरत रही है।

वहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के एक समूह ने सोमवार को आरोप लगाया कि 'सत्ता में बैठे' लोगों ने गुंडों को सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की हिम्मत दी है। विश्वविद्यालय के मौजूदा और पूर्व छात्रों की जामिया समन्वय समिति (जेसीसी) ने रविवार की रात में विश्वविद्यालय के बाहर हुई गोलीबारी की घटना की निंदा की और इसमें शामिल आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। जेसीसी ने कहा कि ऐसे लोग जिस छूट के साथ आते हैं और गोली चलाते हैं, यह दिखाता है कि उन्हें यह हिम्मत फासीवादी ताकतों ने दी है, जो सत्ता में बैठे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लाल रंग के दोपहिया वाहन की तस्वीर ली है, जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने किया था और उसके आधार पर उसके पंजीकरण नंबर की पहचान की है। यह पुलिस पर है कि वह जांच करे और यह देखे कि वाहन का मालिक और आरोपी एक ही हैं या अरोपियों ने किसी अन्य का वाहन इस्तेमाल किया। जामिया नगर पुलिस ने इससे इनकार किया कि मुकदमा दर्ज करने में कोई देरी हुई। वहीं, दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस के प्रभारी उपायुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सोमवार को गेट नंबर सात के पास उस स्थल की गहन तलाशी ली गई, जहां गोलियां चली थी। पर वहां से कोई खोखा नहीं मिला। आरोपियों की पहचान और अपराध की पुष्टि के लिए आगे जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि कुछ व्यक्तियों ने मुकदमा दर्ज होने के दौरान उनसे संपर्क किया था और कहा था कि उन्होंने वह लाल रंग का वाहन देखा था, जिसका कथित रूप से अपराध में इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने दावा किया है कि कोई भी वाहन का पूरा पंजीकरण नंबर तस्वीर में नहीं ले पाया। कुछ लोगों के अनुसार वाहन के नंबर का आखिरी अंक दो, जबकि कुछ के अनुसार चार है। एक ही सीरीज (पंजीकरण) के कई वाहन होते हैं और हम अब पड़ताल कर रहे हैं कि अपराध में इस्तेमाल वाहन का वास्तविक नंबर क्या है।

नाबालिग को हथियार देने वाला गिरफ्तार

जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले नाबालिग को बंदूक देने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक पहलवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पहलवान अजीत (25) के तौर पर हुई है। वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सहजपुरा गांव का रहने वाला है। अपराध शाखा के उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि नाबालिग को जिस व्यक्ति से बंदूक मिली थी उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह एक पहलवान है।

जूता कारखाना में आग लगने से मालिक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 फरवरी।

सेक्टर- 7 स्थित जूते की डाई बनाने वाले कारखाने में रविवार देर रात आग लगने से कारखाना मालिक की मौत हो गई जिनकी पहचान सुनील भदौरिया के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह सामने आई है। सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन मृतक सुनील के शव को लेकर जनपद मैनपुरी स्थित पैतृक गांव चले गए हैं। उनका वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं, थाना सेक्टर- 20 पुलिस के मुताबिक मौके से शराब की बोतल मिली थी।

गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। जांच पूरी होने के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा। कारखाने की एनओसी समेत अग्निशमन उपकरणों आदि के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। रविवार रात सेक्टर- 7 के ई 13 स्थित जूते की डाई की मशीन बनाने वाली कारखाने में आग लग गई थी। सूचना मिलने पर दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मियों को कारखाने के गेट के पास एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला।

तलाशी और नाम-पता दर्ज कर दे रहे धरनास्थल पर प्रवेश

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

शाहीन बाग में धरनास्थल से पहले और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट के बाहर हुई गोलीबारी के बाद दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। धरनास्थल से पहले दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के पास पुलिस ने मेटल डिटेक्टर लगा दिए हैं। यही नहीं, मेटल डिटेक्टर के पास तैनात पुलिसकर्मी वहां से गुजरने वाले लोगों की तलाशी लेकर उन्हें धरनास्थल की ओर जाने की अनुमति दे रहे हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मी घटनास्थल की ओर जाने वाले लोगों का पहचान पत्र देखने के साथ एक रजिस्टर में हर शख्स का नाम और पता लिख रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने यह व्यवस्था शाहीन बाग और जामिया में हुई तीन गोलीबारी की घटना के बाद की गई है, ताकि धरनास्थल पर पहुंचने से पहले ही ऐसे लोगों पर पहले ही शिकंजा कसा जा सके, जो माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस को यह व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए थी। यदि तलाशी अभियान पहले ही शुरू कर दिया होता तो गोली बार की तीसरी घटना नहीं घटती। वहीं, प्रदर्शन में शामिल सलीम खान

का कहना है कि दिल्ली पुलिस की यह पहल अच्छी है।

जामिया के बाहर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। गोलीबारी के बाद दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया है। जिला पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उपायुक्त का पदभार संभाल रहे जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त कुमार ज्ञानेश ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खामियां थी, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। पुलिस ने होली फैमली अस्पताल के अलावा जामिया के गेट से कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगा दी है।

लूटपाट के चार आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाईवे लुटेरे सईद गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर दो पिस्तौल, सात जिंदा कारतूस, एक आइ-10 कार बरामद किए हैं। यह गिरोह दिल्ली और आसपास के तीन दर्जन लूटपाट की वारदातों में शामिल पाए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान एटा उत्तर प्रदेश के राजू उर्फ संजय, अलीगढ़ के रिंकू उर्फ रंजीत, रेवाड़ी के आनंद सोनी और बागपत के ललित त्यागी के रूप में की गई है।

सेल के उपायुक्त के मुताबिक एक सूचना पर नारायणा रिंग रोड और धौला कुआं सबवे के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में लूटपाट के करीब दस मामले का खुलासा कर लिया गया। दिल्ली और एनसीआर में दर्ज करीब 35 मामले में गिरोह के सदस्य शामिल पाए गए। पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्य संजय कार लेकर हाईवे पर सवारियों को बैठाने के लिए प्रलोभन देता था। देर रात जैसे ही उसकी कार में सवारी बैठता था तभी उसके गिरोह के अन्य सदस्य सवारी बनाकर उसी कार में बैठ जाते थे। रास्ते में वे लोग हथियार के बल पर नगदी, जेवरात, क्रेडिट व डेबिट कार्डस और मोबाइल फोन लूटकर सवारी को एकांत जगह उतारकर फरार हो जाते थे।

ऐक्सिस बैंक — देय सूचना

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

चूंकि यहां नीचे वर्णित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बन्धककर्ताओं ने एक्सिस बैंक लि0 से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी तथापि हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता नियत तिथियों के अनुसार मूलधन तथा ब्याज का प्रतिभुगतान करने में विभिन्न प्रकार की चूकें कर चुके है। अतएव उनके खातों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत एक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकृत अधिकारी के अनुशंगानुसार भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्गमित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालनुसार वहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसके अनुपालन के लिए उन्हें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(12) के अन्तर्गत यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर मांग सूचनाएं नियमित की गई थी, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बन्धककर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सूचनाओं में वर्णित राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा भुगतानकर तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ सूचनाओं में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

क्र. सं.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1.	**श्री आशीष सारस्वत (ऋणी)** पुत्र श्री उमेश चन्द शर्मा निवासी म0नं. 2/58 प्रथम तल, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली भारत-110092 एवं : टेक्नीशियन द्वारा इन्टरवो टेक्नोलाजिस लि0 बी-14/1, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, न्यू दिल्ली भारत-110020 एवं : निवासी म0नं0 36, पुनीत विहार, मौजा सिकन्दरा, बहिश्ताबाद, पश्चिमपुरी रोड, डी मारिया स्कूल के सामने, आगरा उ0प्र0-282007 **श्रीमती गायत्री शर्मा (सह-ऋणी)** पत्नी श्री उमेश चन्द शर्मा निवासी म0नं0 36, पुनीत विहार, मौजा सिकन्दरा, बहिश्ताबाद, पश्चिमपुरी रोड, डी मारिया स्कूल के सामने, आगरा उ0 प्र0-282007	स्थित मकान नं0 36, पुनीत विहार, मौजा-सिकन्दरा, बहिश्ताबाद, आगरा, भारत उत्तर प्रदेश 282007 **क्षेत्रफल- 87.7 वर्ग मी0** **चौहद्दी:** **पूर्व** : प्लाट नम्बर 37, **पश्चिम** : प्लाट नम्बर 35 एवं सड़क एवं निकास, **उत्तर** : भूमि एम.के.पुरम, **दक्षिण** : सड़क एवं निकास	**रू.6,32,910.00** दिनांक 16.01.2020 तक ब्याज 17.01.2020 तक + अन्य खर्चे; **एनपीए दिनांक : 09.01.20120**; **देय सूचना की तिथि : 16.01.2020**; **ऋण धनराशि : रू.6,90,760.00**
2.	**श्री यशवन्त सिंह (ऋणी)** पुत्र श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह **श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह (सह-ऋणी)** पुत्र श्री महाराज बख्श सिंह **श्रीमती आशा सिंह (सह-ऋणी)** पत्नी श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह निवासी मकान नं0 140, गोधोलीपुरम विस्तार, निकट तिराहा, वृन्दावन मथुरा-281121 **श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह (सह-ऋणी)** पुत्र श्री महाराज बख्श सिंह द्वारा परमेश्वरी देवी धानुका श्रावस्ती विद्यामंदिर सीनियर सेकण्डी स्कूल, वृन्दावन निकट मंदिर मथुरा-281121	स्थित म0 नं0-140 गोधोलीपुरम विस्तार, निकट तिराहा वृन्दावन मथुरा-281121 जोकि **आशा सिंह** के नाम **क्षेत्रफल-133.77 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व** : सड़क **पश्चिम** : प्लाट नम्बर 163, **उत्तर** : प्लाट नम्बर 141, **दक्षिण** : प्लाट नम्बर 139,	**रू.4,87,759.00 एवं रू.14,26,924.00** दिनांक 16.01.2020 तक ब्याज 17.01.2020 तक + अन्य खर्चे; **एनपीए दिनांक : 09.01.2020**; **देय सूचना की तिथि : 16.01.2020**; **ऋण धनराशि : रू. 14,38,100.00 एवं रू. 15,90,000.00**
3.	**श्री जगदीश प्रसाद (ऋणी)** पुत्र श्री इन्दरमन उर्फ इन्दमनी **श्रीमती लक्ष्मी देवी (सह-ऋणी)** पत्नी श्री जगदीश प्रसाद निवासी कान्हा माखन स्कूल कैम्पस, बुर्जा वृन्दावन, मथुरा उत्तर प्रदेश भारत-281001 एवं : निवासी म0 नं0 85, वार्ड नं0 11, निकट मन्दिर बाबूगृह पोस्ट जैंत, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001 एवं : द्वारा जी.एल.ए. कालेज, एनएच 2, मथुरा, उ0 प्र0-281001 एवं : निवासी म0 नं0 92, सेक्टर 4, चैतन्य विहार, आवासीय योजना द्वितीय, वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001	स्थित प्लाट भूमि नं0 एस-4/92 चैतन्य विहार, आवासीय योजना द्वितीय, वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001 **क्षेत्रफल- 162.00 वर्ग मी0** **चौहद्दी:** **पूर्व** : प्लाट नम्बर 91 **पश्चिम** : प्लाट नम्बर 93, **उत्तर** : सड़क,	**रू.27,07,355.00** दिनांक 16.01.2020 तक ब्याज 17.01.2020 तक + अन्य खर्चे; **एनपीए दिनांक : 09.01.2020**; **देय सूचना की तिथि : 16.01.2020**; **ऋण धनराशि : रू. 29,00,000.00**
4.	**श्रीमती निशा चोपडा (ऋणी)** पुत्री श्याम सुन्दर चोपडा निवासी मकान नं0 28, शिवजी नगर, जेअल एण्ड जेस्ट के पास, शाहगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश 282010 एवं : निवासी म0 नं0 47/9, टी/7ए, त्रिवेणी नगर, गढ़ी बदोरिया, आगरा उत्तर प्रदेश-281001 एवं : निवासी मकान नम्बर 836, सरस्वती विहार, वीर सावरकर ब्लाक, गुड़गॉव, हरियाणा भारत 122001 एवं:द्वारा अधिशासी सहायक, डिलिइटटी एच टोहमत्सू इण्डिया एलएलपी सातवॉं तल, बिल्डिंग 10, टॉवर बी, डीएलएफ सायबर सिटी कॉम्पलेक्स, डीएलएफ फेज-II, गुड़गॉव हरियाणा, भारत 122002 **श्री विक्की चोपडा (सह-ऋणी)** पुत्र श्याम सुन्दर चोपडा निवासी मकान नम्बर 47/9, टी/7ए, त्रिवेणी नगर, गढ़ी बदोरिया, आगरा उत्तर प्रदेश-281001	स्थित फ्लैट नं0 217 द्वितीय तल मंगलम आधार, खसरा 1535 एवं 1355 पर निर्माण, मौजा बैपुर, शास्त्री पुरम, आगरा उ0प्र0 282007 **क्षेत्रफल-102.66 वर्ग मी0** **चौहद्दी:** **पूर्व** : खुला आसमान, **पश्चिम** : गलियारा, **उत्तर** : फ्लैट नं0 219, **दक्षिण** : फ्लैट नं0 215	**रू.24,68,659.00** दिनांक 15.01.2020 तक ब्याज 16.01.2020 तक + अन्य खर्चे; **एनपीए दिनांक : 09.01.2020**; **देय सूचना की तिथि : 15.01.2020**; **ऋण धनराशि : रू.25,56,165.00**

उपर्युक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं तथा/अथवा उनके जमानतकर्ताओं(जहॉं कहीं लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भावी ब्याज तथा यथालागू प्रभारों के साथ उपर्युक्तानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है। ऐसा करने में विफल होने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के समापन के उपरांत प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अन्तर्गत यथा लागू नियमावली के अधीन उधारकर्ताओं और बन्धककर्ताओं की प्रतिभूत परिसम्पित्तियों का कब्जा लिया जाना भी सम्मलित होगा।

ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत कोई भी उधारकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

दिनांक : 04.02.2020, स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

SRF We always find a better way

एस आर एफ़ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091
फोन (पंजीकृत कार्यालय): (+91-11) 49482870 | फैक्स: (+91-11) 49482900 | ई-मेल: info@srf.com | वेबसाइट: www.srf.com | सीआईएन: L18101DL1970PLC005197

(रु. करोड़ में)

31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु अनअंकेक्षित एकल एवं संचित वित्तीय परिणाम

क्र. सं	विवरण	एकल				संचित			
		समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह		समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह	
		31 दिसम्बर 2019	31 दिसम्बर 2018	31 दिसम्बर 2019	31 दिसम्बर 2018	31 दिसम्बर 2019	31 दिसम्बर 2018	31 दिसम्बर 2019	31 दिसम्बर 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	संचालनों से कुल आय	1651.84	1578.43	4684.32	4473.97	1850.49	1808.78	5351.58	5162.62
2	जारी प्रचालनों से कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	221.13	157.00	585.77	446.31	259.06	184.59	695.06	527.22
3.	जारी प्रचालनों से कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)*	311.77	128.54	619.01	339.30	345.47	153.57	721.74	412.28
4.	बंद प्रचालनों से कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	-	6.02	241.82	19.33	(2.75)	14.24	165.17	45.21
5.	बंद प्रचालनों से कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	-	3.92	180.59	12.58	(2.48)	12.14	111.60	38.46
6.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (बंद प्रचालनों सहित)	311.77	132.46	799.60	351.88	342.99	165.71	833.34	450.74
7.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के]	293.79	190.36	764.02	365.87	355.50	211.36	840.07	454.61
8.	प्रदत्त समता अंश पूंजी	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48
9.	प्रति अंश आय (रु.10/- प्रत्येक के) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु)								
	(अ) मूलभूत	54.24	23.05	139.11	61.25	59.67	28.83	144.98	78.45
	(ब) तरल	54.24	23.05	139.11	61.25	59.67	28.83	144.98	78.45

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए को कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा पेश किया गया था। धारा 115बीएए के अन्तर्गत विकल्प के प्रयोग के अपेक्षित समय के वर्तमान अनुमान के आधार पर, कम्पनी ने अपने स्थगित कर शेष राशि का पुनः आकलन किया है। परिणाम स्वरूप, तिमाही के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में रु 123.42 करोड़ रुपये (शुद्ध मैट समायोजन) क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड किये गये हैं।

टिप्पणी:

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेन्जों के पास दाखिल किए गए तिमाही एवं समाप्त नौ माह हेतु वित्तीय परिणामों का उद्धरण है। तिमाही एवं समाप्त नौ माह के परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.srf.com) पर उपलब्ध है।

कृते एवं मंडल की ओर से
आशीष भरत राम
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 3 फरवरी, 2020

हम हमेशा एक बेहतर तरीका ढूंढते हैं
रसायन व्यवसाय | पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय | टेक्निकल टेक्सटाइल व्यवसाय

www.readwhere.com

ऐ भाई...

रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।

कालकाजी से 'आप' विधायक के बेटे कांग्रेस में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

आम आदमी पार्टी के कालकाजी से विधायक सरदार अवतार सिंह कालका के बेटे मनप्रीत सिंह अपने समर्थकों के साथ सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके अलावा ओखला विधानसभा से 'आप' के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हो गए। सभी को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनप्रीत सिंह ने कहा कि इस बार कालकाजी में बाहर वाले उम्मीदवार और घर वाले उम्मीदवार के बीच लड़ाई है। कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा कालकाजी की है, जबकि 'आप' ने उनके पिता का टिकट काटकर एक बाहरी को उम्मीदवार बनाया है। इस बार कालकाजी की जनता इसका सबक सिखाएगी। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि पार्टी दिल्ली का चुनाव मुद्दों, प्रभावित लोगों और दिल्ली के विकास के लिए लड़ रही है, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी सांप्रदायिक लाइन पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में संविधान की पवित्रता को बचाए रखने के लिए शाहीन बाग में धरने पर बैठी हैं, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को साम्प्रदायिक रंग दे रही है।

तीन किमी तक बंद रहेंगी नोएडा में शराब की दुकानें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा सभा का आठ फरवरी मतदान और 11 फरवरी को होने वाली मतगणना के चलते दिल्ली की सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकाने बंद रहेंगी। डीएम बीएन सिंह ने बताया छह फरवरी शाम छह बजे से आठ फरवरी को मतदान समाप्त होने तक इस परिधि में आने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी। आदेश देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की फुटकर दुकानों, होटल, बार आदि सभी पर एक समान लागू होगा। वहीं, आठ फरवरी को नोएडा- ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत दिल्ली के मतदाताकर्मियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस अवकाश की एवज में अगले साप्ताहित अवकाश के दिन भी फैक्टरियों में उन कर्मचारियों से काम नहीं कराया जाएगा।

सुल्तानपुरी में राजस्थान विधायक की जनसभा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

सुल्तानपुरी विधानसभा में आयोजित कांग्रेस की रैली में वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आजादी के आंदोलन से शुरू होकर देश के नवनिर्माण में एक महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में दर्ज है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी का ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरीखे राजनेताओं का बलिदान दिया है। उनकी शहादत को कांग्रेस कभी भूल नहीं सकती। राजस्थान की कांग्रेस विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ऑब्जर्वर नियुक्त शकुंतला रावत ने ए-ब्लाक सुल्तानपुरी माजरा में स्थानीय उम्मीदवार जयकिशन के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महासचिव, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शरीफ कुरेशी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। रैली में भाजपा, बसपा, फॉरवर्ड ब्लॉक और 'आप' के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं राजेंद्र बागड़ी, प्रताप बागड़ी, प्रकाश पहलवान, सोनू सिंह, हनी सिंह, हमराज, राशिद, इशरार, यशपाल भट्टी, विनोद सोनी सहित अन्य शामिल रहे।

केजरीवाल फिर से बरगलाने की कोशिश में जुटे : कैप्टन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने सोमवार सुबह हरि नगर विधानसभा में प्रत्याशी सुरेंद्र सेतिया के लिए जनसभा की। वहीं, शाम के समय कालकाजी विधानसभा की उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा के लिए देशबंधु कॉलेज के सामने से रोड शो किया। इस दौरान अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को जनता को बरगलाने की महारत हासिल है। दूसरी ओर भाजपा पर शाहीन बाग के बहाने ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया।

पंजाब के सीएम ने दिल्ली में मुफ्त पानी और बिजली की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस की सरकारें भी जनता की सहूलियत के लिए इस प्रकार के कई कदम उठाए हैं। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बिजली पानी के अलावा कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जो दिल्ली की जनता के लिए बेहतरी का हो। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी कहा कि पंजाब में उनके पक्ष में हवा चल रही है, लेकिन आप 20 सीटों पर सिमट कर रह गई।

अब एक बार फिर से दिल्ली में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की हवा दिल्ली में चल रही है। पर कांग्रेस दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। वहीं, विकासपुरी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश शर्मा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा की और कहा कि मुकेश शर्मा दिल्ली के पहले शख्स हैं, जिन्होंने पूर्वांचल के लोगों के हित के लिए खड़े रहे हैं।

चुनावी रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी

दिल्ली में भाजपा सरकार जरूरी

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

रैली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना जरूरी है। दिल्ली की सरकार ने केंद्र की योजनाओं में रोड़ा अटकाया है। दिल्ली में सरकार बनते ही इन योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिलगा। प्रधानमंत्री ने करीब एक घंटे के भाषण में बड़े ही सधे हुए अंदाज में कांग्रेस व 'आप' पर सीधे हमले बोले। पहली बार किसी सभा में प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी का नाम लिया और योजनाओं में अड़ंगा लगाने पर पार्टी को घेरा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जान बूझकर केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में रोका गया है। दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत और नई मेट्रो लाइन का विस्तार जैसी योजनाएं लागू नहीं हो पाई। दिल्ली में सरकारी बस सेवा बेहाल है, ऐसी दिल्ली तो दिल्ली वालों ने कभी नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत नफरत पर नहीं विकास पर वोट देगा। उन्होंने बताया कि अगले पांच साल में 100 लाख से अधिक का निर्माण देश में होगा। इस बजट में दिल्ली के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर ढाई हजार करोड़ की व्यवस्था की है। इसी प्रकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए 4400 करोड़ की योजनाएं तैयार की गई हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत दिल्ली की विभिन्न विधानसभाओं से भाजपा के उम्मीदवार शामिल हुए। सभी उम्मीदवारों की तरफ एक बड़ी माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वगत किया गया।

बोले दिल्ली के नेता, देश बदला अब दिल्ली बदलो

सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि साढ़े चार साल में एक अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, नहीं खोला। इसके बाद भी कहते झूठे हम। हम दिल्ली के दिल्ली बनाना चाहते हैं। विजय गोयल ने कहा ये चनाव दिल्ली व देश का है। हर व्यक्ति को आरओ का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। चार साल 'आप' ने कोई काम नहीं किया। इस चुनाव में राष्ट्रवाद जीतेगा और शाहीन बाग हारेगा। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भाजपा सरकार ने सवा करोड़ से अधिक की योजनाओं पर काम किया है। इस क्षेत्र में 14 करोड़ का एक हब बनेगा और प्रगति मैदान बनाने का काम चल रहा है। दिल्ली से मेरठ के बीच 16 लेन का हाईवे तैयार किया जा रहा है। धौलाकुंआ पर कारिडोर बन रहा है। पार्टी के दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि चुनाव ऐतिहासिक मोड़ पर आ चुका है।

खेल बदल सकती है मोदी की जनसभा

भाजपा के परंपरागत गढ़ रहे पूर्वी दिल्ली इलाके में सोमवार को हुई प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को समर्थक मील का पत्थर मान रहे हैं। माना जा रहा है कि खामोश मतदाताओं में नए जोश का संचार करने में जनसभा अहम किरदार निभा सकती है। नगर निगम और लोकसभा चुनाव, दोनों में भाजपा को जीत मिली थी। हालांकि 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में जरूर भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अलबत्ता इस मर्तबा भाजपा दिल्ली चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। सोमवार को मोदी के पंडाल में पहुंचते ही नारों की गूंज ने जोश के संचार से शुरूआत की। लोगों की उम्मीद को भांपते हुए मोदी ने भी अपने तरकश से चुनकर ऐसे बाण चलाए, जिन्हें प्रत्याशी अपने लिए संजीवनी मान रहे है। साथ ही पूरी शिद्दत के साथ समर्थन मांगने में जुट गए हैं।

समर्थक दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में एक समर्थक कुछ इस अंदाज में नजर आया।

भाकपा के उम्मीदवार, ई-रिक्शा और ऑटो से कर रहे प्रचार

सुशील राघव
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दौर में हर पार्टी प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है। इसी क्रम में भाजपा, 'आप' और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। इन पार्टियों के प्रचार काफिले में सैकड़ों गाड़ियां होती हैं। हर जगह इन पार्टियों के साइनबोर्ड आसानी से दिख जाएंगे। दूसरी ओर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) सहित अन्य वामपंथी पार्टियां बेहद सादगी से अपना प्रचार कर रही हैं। भाकपा के उम्मीदवार ई-रिक्शा और ऑटो का उपयोग कर मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं।

उम्मीदवार दिलीप कुमार प्रचार करते हुए

भाकपा से इनमें पालम से दिलीप कुमार, तिमारपुर से संजीव कुमार राणा और बवाना से अभीप्सा चौहान शामिल हैं। भाकपा के दिल्ली प्रदेश के महासचिव प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय ने बताया कि उनके उम्मीदवार बहुत ही सादगी से प्रचार करने में लगे हुए हैं। पालम से उम्मीदवार दिलीप कुमार ई-रिक्शा से ही प्रचार कर रहे हैं। वहीं, संजीव कुमार राणा पैदल ही लोगों तक पहुंचते हैं और कभी-कभी ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। अभीप्सा चौहान के पास कार है और वह उसका इस्तेमाल करती हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय ने बताया कि हमने अपने तीनों उम्मीदवारों को पांच-पांच प्ले कार्ड दिए हुए हैं।

प्रचार के लिए छोटे पर्चे लोगों से उनके घर पर मिलने के बाद दिया जाता है। इसके अलावा चुनाव प्रचार में पार्टी के नेता अपने-अपने माध्यम से पहुंचकर उम्मीदवार से जुड़ते हैं। इनमें से कोई ऑटो, कोई बस या मेट्रो से पहुंचता है। अधिकतर प्रचार पैदल ही पूरा किया जाता है। प्रोफेसर वार्ष्णेय ने बताया कि हमारी पार्टी का मानना है कि चुनाव सरकारी पैसों से होना चाहिए ताकि इसमें कालाधन का इस्तेमाल नहीं हो पाए। हमारी पार्टी लोगों के दिए हुए चंदे से चलती है।

मोटरसाइकिल से वोट मांगने निकला महिलाओं का काफिला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के जिस मुद्दे को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार सत्ता में आई थी, दोनों ही इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे से भटक गए हैं। निर्भया के हत्या के दोषियों को आज तक सजा नहीं मिल पाई है और फांसी से बचने के लिए तिकड़म लगा रहे हैं। वे सोमवार को रोहतशा नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित महिला रैली को संबोधित कर रही थीं।

इस रैली में सभी दोपहिया चालक महिलाएं थीं। प्रत्याशी विपिन शर्मा के समर्थन में बिग बॉस और रोडीज के विजेता आशुतोष कौशिक ने 'हम हैं विपिन शर्मा' कैंपेन शुरू किया। विपिन शर्मा ने कहा कि शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों की बात सुनने का समय नहीं है, उनकी बात सुननी चाहिए। विश्वास नगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार गुरुचरन सिंह राजू ने तूफानी दौरा कर मानक विहार पार्क, घरौंदा अपार्टमेंट, बाहुबली एन्क्लेव, ऋषभ विहार, किरण विहार, गीतांजलि अपार्टमेंट, शरद विहार आदि में जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। इस दौरान जनसभा सहदेव गली विश्वास नगर आशीर्वाद अपार्टमेंट, आई पी एक्सटेंशन आदि में जगह- जगह पर फूल मालाओं से स्वागत कर समर्थन का ऐलान किया। वहीं गांधीनगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का सोमवार को भी नियमित पदयात्रा और जनसभा के क्रम जारी रहा। उन्होंने रघुवरपुरा, अमर मोहल्ला, ईस्ट सीलमपुर, न्यू शांति मौहल्ला में पदयात्रा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब आप और भाजपा के प्रतिनिधि वोट मांगने आए, तो उनसे सवाल पूछे कि पिछले पांच सालों में गांधीनगर में ऐसा क्या विकास किया है।

बादली में दो पार्षद दे रहे मौजूदा विधायक को टक्कर

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

मुकाबला

दिल्ली विधानसभा के बादली विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। दो बार निगम पार्षद और विधायक रहे देवेंद्र यादव पार्टी का वजूद बचाने के लिए कांग्रेस के टिकट पर फिर लड़ रहे हैं तो उत्तरी नगर निगम के मौजूदा निगम पार्षद विजय भगत को भाजपा ने मैदान में उतारकर पूर्वांचल का कार्ड खेलने की कोशिश की है। 'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल' के नारे के साथ आम आदमी पार्टी मौजूदा विधायक अजेश यादव पर ही दोबारा दांव खेला है। अजेश बीते चुनाव में कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 35 हजार 376 वोट से पराजित कर पहली बार विधायक बने थे। यहां करीब सबा दो लाख मतदाता हैं। भाजपा, कांग्रेस और आप के अलावा जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है उनके लिए मुकाबला काफी कड़ा है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के हरियाणा सीमा से लगे बादली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के अजेय यादव का कहना है कि बीते 65 सालों से इस इलाके को जिस प्रकार राजधानी से अलग-थलग रखा गया उसके लिए बीते पांच सालों का आप शासन नहीं बल्कि अगले पांच साल तक उसे सुधारने के लिए सरकार बनाने की सख्त जरूरत है। भलस्वा, बादली, समयपुर, लिबासपुर, सिरसपुर जैसे गांव और भलस्वा डेयरी, श्रद्धानंद कालोनी, जीवन पार्क, हरिजन कालोनी और स्वरूप कॉलोनी जैसे अर्द्धनिर्मित कॉलोनियां ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे घरेलू कारखाने और नगर निगम की अवहेलना से पैदा हुए भलस्वा कचरा पट्टी के भीषण गंदगी से छुटकारा उनके लिए मुद्दा है। विधानसभा के जहांगीरपुरी के संजय जैन, लिबासपुर के विक्रांत यादव और मेट्रो अपार्टमेंट के आमिर कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने बीते पांच सालों में कई फैसलों ने आप सरकार को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी तरह की पहचान दी है।

उधर, नागरिकता संशोधन कानून और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने सहित अन्य राष्ट्रीय मुद्दे को भुनाने के लिए भाजपा ने पूर्वांचल के विजय भगत को मैदान में खड़ा कर स्थानीय देवेंद्र और अजेय को मुश्किल में डालने की कोशिश की है। कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव इसी इलाके के रहने वाले हैं और उनका साफ कहना है कि इलाके में बीते पांच सालों में झुग्गी झोपड़ियों के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो झुग्गी वालों को वहीं मकान बनाकर दिया जाएगा। देवेंद्र के समर्थन में राजस्थान के कई विधायकों बलजीत यादव, दानिश अबरार, इंद्रा सहित युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विकास छिकारा सहित अन्य लोग डेरा डाले हुए हैं।

दिल्ली में बड़ी है पानी की सियासत

मुफ्त पानी देने पर जोर लेकिन इलाकों में गंदे पानी का शोर

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनावों में पानी को लेकर जम कर राजनीति हो रही है। हर दल इसे अपनी तरह से भुनाने की जुगत में हैं। जहां दिल्ली सरकार मुफ्त पानी देने को अपनी उपलब्धि को तौर पर गिना रही है। वहीं भाजपा पानी की गुणवत्ता को लेकर हमलावर है और जीतने पर गुणवत्तापूर्ण पानी मुफ्त देने का भरोसा दे रही है।

उधर, कांग्रेस ने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी से कम खर्च करने पर प्रति लीटर 30 पैसे उपभोक्ता को देने का वादा भी किया है। यानी अगर कोई उपभोक्ता केवल 10 हजार लीटर पानी इस्तेमाल करता है तो उसके खाते में तीन हजार रुपए कांग्रेस सरकार जमा करेगी। हालांकि जनता की राय है कि पानी मिलना व साफ पानी मिलना आज भी कई इलाकों में बड़ी चुनौती है।

पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के सामने जहां मौजूदा वैध कनेक्शन के अलावा नियमित की गई अवैध कॉलोनियों को पीने के पानी की पाइपलाइन व पानी मुहैया कराने की चुनौती है वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच पानी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। केजरीवाल ने यमुना साफ करने, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार को खत्म करने व 24 घंटे पानी मुहैया कराने व 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का वादा किया था। दो इलाकों में पायलट परियोजना के तौर पर 24 घंटे पानी देने की कोशिश की गई। लेकिन गीतांजलि एन्क्लेव मालवीय नगर व अन्य इलाकों में इसमे सफलता नहीं मिली। हालांकि इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी भी की गई। कई नए इलाकों में पाइपलाइन बिछाई भी गई। पर पानी की आपूर्ति अभी शुरू नहीं। हालांकि टैंकर से पानी दिया गया। इसी तरह यमुनापार में 100 बोर किए गए व वही पानी सीधे आपूर्ति की पाइपलाइन से जोड़ दिया गया। जिससे लोगों में गंदे पानी की शिकायतें आने लगी। दक्षिणी दिल्ली व तमाम अवैध कॉलोनियों में लोगों की रोज की जरूरतों के लिए पानी मिल पाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। वसंत कुंज इलाके में रहने वाले सतीश दूबे ने कहा कि इलाके में पानी की किल्लत रहती है। आए दिन पानी का टैंकर मंगाना पड़ता है । संगम विहार इलाके में रहने वाली आशा देवी ने कहा कि पानी के लिए सिर फुटौव्वल करनी पड़ती है।

पानी का बिल मुफ्त किए जाने का तो तब फायदा हो जब कि पानी मिले। जबकि छतरपुर में रहने वाली अर्चना ने कहा कि 20,000 लीटर महीने पानी मुफ्त किए जाने से उनको राहत है। वे कहती हैं कि गंदा पानी ठीक कर दिया जाए तो अच्छा है। तमाम आवासीय सोसाइटी में पानी आपूर्ति का मिलाजुला प्रबंधन है। कुछ पानी जल बोर्ड की आपूर्ति से तो, कुछ निजी बोर से आता है लिहाजा सोसाइटी में पानी का अलग से बिल नहीं दिया जाता बल्कि रखरखाव खर्च में इसे शामिल किया गया है। इससे सोसाइटी वालों को मुफ्त पानी का फायदा नहीं है।

दिल्ली का पानी सबसे गंदा

पिछले दिनों आई भारतीय मानक ब्यूरो की रपट में दिल्ली का पानी सबसे खराब पाया गया। इसे भाजपा व कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश में 'आप' सरकार पर हमले किए। पहले केजरीवाल ने रपट को चुनौती दी और फिर हरियाणा से प्रदूषित पानी आने को लेकर भाजपा पर पलटवार शुरू कर दिया। लेकिन मुफ्त पानी देने का फैसला लोगों को राहत देने वाला साबित हुआ। सभी के घोषणा पत्र में इसे जगह दी गई है।

www.readwhere.com

500 से कम टीडीएस वाले इलाकों में आरओ पर प्रतिबंध का निर्देश

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पानी में प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम टीडीएस पाए जाने वाले स्थानों में आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

सुप्रियो ने बताया कि 20 मई 2019 के अपने आदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पानी में प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम टीडीएस पाए जाने वाले स्थानों में आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की जाए। उन्होंने बताया कि साथ ही एनजीटी ने यह निर्देश भी जारी किया है कि जहां आरओ के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है वहां 60 फीसद से ज्यादा की जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी की जाए।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने बताया कि आरओ पर अधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली के नियमन के लिए एक प्रारूप अधिसूचना जनता के परामर्श के लिए मंजूर की गई है।

गोवा : विधानसभा में सीएए पर मोदी, शाह की प्रशंसा में प्रस्ताव लाने पर हंगामा

पणजी, 3 फरवरी (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा में प्रस्ताव लाए जाने के विरोध में गोवा विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। इस प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के विधायक अध्यक्ष के आसन के समक्ष पहुंच गए।

प्रस्ताव भाजपा विधायक अतानासियो मोनसेरेट ने पेश किया जिसमें मोदी और शाह को बधाई दी गई। विपक्ष के नेता दिगंबर कामत के नेतृत्व में कांग्रेस और जीएफपी के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर से प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने की मांग की। विधायकों ने कहा कि उन्होंने एक नोटिस देकर नए नागरिकता कानून और राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर चर्चा की मांग की है। लेकिन अध्यक्ष ने जैसे ही मोनसेरेट को बोलने की अनुमति दी, विपक्षी दलों के विधायक खड़े हो गए और आसन के समक्ष पहुंच गए। जीएफपी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा, 'यह लोकतंत्र की हत्या है। सरकार बधाई प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने देना चाहती है।' इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। लेकिन जब सदन फिर शुरू हुआ तो विपक्षी विधायकों ने बहिर्गमन किया।

50 आइएएस अधिकारियों का तबादला

हैदराबाद, 3 फरवरी। तेलंगाना की नौकरशाही में बड़े फेरबदल के तहत कई कलक्टर सहित करीब 50 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। **(भाषा)**

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
फोन: +91-11-23456000, फैक्स: +91-11-23412545, ईमेल आईडी: investorsgrievance@pfcindia.com
सीआईएन: L65910DL1986GOI024862, वेबसाइट: www.pfcindia.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **बुधवार, 12 फरवरी, 2020** को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.pfcindia.com** पर देखी जा सकती है तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी देखी जा सकती है।

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
हस्ता./-
मनोहर बालवानी
(कंपनी सचिव)

दिनांक: 31.01.2020
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 12 व 13 के साथ, पठित बैंक एवम् वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की धारा 19(4) के तहत सूचना।

ओ.ए. नं.463/2019 के मामले में

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .... आवेदक
बनाम
श्री अजय प्रकाश धुसिया एवं अन्य .... प्रतिवादी

(डी-3) मैसर्स एवीजे डेवलपर्स (इण्डिया) प्रा. लि.
इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं.सी, कम्युनिटी सेंटर, आनन्द विहार, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के सामने, दिल्ली-110092

चूंकि ऊपर नामित आवेदक ने आपके खिलाफ एक मामला शुरू किया है और चूंकि, इस न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से सूचना देना संभव नहीं है। अतः इस विज्ञापन के जरिये आपको निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है कि आप 06.03.2020 को पूर्वा. 10:30 बजे इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों। इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर निर्धारित तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित न होने की स्थिति में इस मामले की सुनवाई व निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।

21 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिया गया।

न्यायालय की मुहर

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ऐलूपन कम्पोजिट पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ऐलूपन कम्पोजिट पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	31/12/2003
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज– दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U27203DL2003PTC123774
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	7वीं हंसालया बिल्डिंग, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली –110001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ तिथि	23/07/2020 (दिनांक 24/01/2020 का आइआरपी का आदेश की प्रति प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	23/07/2020 (24.01.2020 को दिवाला संकल्प प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**धर्मेंद्र कुमार** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-003/IP-N000112/2017-2018/11264
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	92 सी, डीडीए पॉकेट –4, मयूर विहार फेज –1, नई दिल्ली – 110091 **ईमेल:** kumard36@hotmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	92 सी, डीडीए पॉकेट –4, मयूर विहार फेज –1, नई दिल्ली – 110091 **ईमेल:** kumard36@hotmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	18/02/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप–धारा (6क) के क्लाज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	श्रेणी का नाम: कुछ नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध हैं :	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं भौतिक पता: लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-V ने दिनांक **24 जनवरी 2019** को **ऐलूपन कम्पोजिट पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

ऐलूपन कम्पोजिट पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **18 फरवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

*दावे उनके विशिष्ट निम्नलिखित प्रपत्रों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं: **फॉर्म बी**– परिचालन लेनदारों द्वारा दावा के लिए कामगारों और कर्मचारियों को छोड़कर, **फॉर्म सी**– वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म सीए**– एक वर्ग में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा के लिए, **फॉर्म डी**– काम करने वालों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म ई**– श्रमिक और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए, **फार्म एफ**– लेनदारों द्वारा दावों के लिए वित्तीय लेनदार और कार्पोरेट ऋणदाता के परिचालन लेनदारों के अलावा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
धर्मेंद्र कुमार
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-003/IP-N000112/2017-2018/11264

दिनांक: 04 फरवरी 2020
स्थान: दिल्ली

असम में सात फरवरी को मोदी की रैली

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के बोडो बहुल कोकराझार नगर में सात फरवरी को एक रैली को संबोधित करेंगे। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बाद मोदी का यह पूर्वोत्तर का पहला दौरा होगा।

सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सात फरवरी को असम का दौरा करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। कई बोडो उग्रवादी समूहों और एक छात्र इकाई के साथ केंद्र सरकार द्वारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के एक सप्ताह बाद मोदी का यह दौरा हो रहा है।

डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 10वां तल, गेटवे टॉवर, डीएलएफ सिटी फेज–III, गुड़गांव–122002

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) हरियाणा, बे नं. 55-58, पर्यटन भवन, सैक्टर-2, पंचकुला हरियाणा ने अपने पत्र सं. एसईआईएए/एचआर/2020/27 दिनांक 24 जनवरी 2020 के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुसरण में सैक्टर 24, 25 एवं 25ए, गुड़गांव, हरियाणा में "डीएलएफ साइबर सिटी" के विस्तार के रूप में भवनों सी.डी, ई एवं एफ के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड (डेवलपर) को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है। आम जनता को आगे सूचित किया जाता है कि कथित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति एमओईएफसीसी/एसईआईएए की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। यह सार्वजनिक सूचना पर्यावरण स्वीकृति पत्र की निश्चित शर्त सं. (i) के अनुपालन में जारी की जाती है।

स्थान: गुड़गांव
दिनांक: 29.01.2020

गिरी राज शाह (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
कृते डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड

आधारशिला कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1993PLC056347]
पंजी. कार्यालय : 7–सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली– 110017
फोन : 0120–4152766, 4193799, वेबसाइट : www.adharshilacapital.in
ई–मेल – adharshilacapital@gmail.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 10 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/अवधि हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.adharshilacapital.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
हस्ता./–
(तुषार मल्होत्रा)
कम्पनी सेक्रेटरी
सदस्यता सं. : एसीएस–48917

दिनांकित : 03–02–2020
स्थान : गाजियाबाद

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I
23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015, फोन: 011-25419177, 25412977, ईमेल: sbi.05169@sbi.co.in

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(2) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार मैसर्स श्री बांके बिहारी कोटफैब प्रा. लि., इसके निदेशक, पंजीकृत कार्यालय 511, 5वां तल, रिंग रोड मॉल, मंगलम प्लेस, सैक्टर 3, रोहिणी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110085 और निम्नलिखित निदेशकों/गारंटर्स (1) श्री कमल किशोर पोद्दार पुत्र श्री मदन लाल, मकान नं. 19/62, सैक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085 (2) श्रीमती संतोष देवी पोद्दार पत्नी श्री कमल किशोर पोद्दार, पंजीकृत कार्यालय मकान नं. 19/62, सैक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085 (3) श्री शैलेश पोद्दार पुत्र श्री कमल किशोर पोद्दार, मकान नं. 19/62, सैक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085 (4) श्रीमती साक्षी पोद्दार पत्नी श्री शैलेश पोद्दार, मकान नं. 19/62, सैक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085 (5) श्री अमर पोद्दार पुत्र श्री कमल किशोर पोद्दार, मकान नं. 19/62, सैक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085 (तदोपरान्त कर्जदार और गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को एक मांग नोटिस दिनांक 11.06.2019 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 10,09,34,153.00 (रू. दस करोड़ नौ लाख चौंतीस हजार एक सौ तिरेप्पन मात्र) दिनांक 27.05.2019 तक और साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे लागत, प्रभार** इत्यादि सहित **उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 उक्त नियमों के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा 31.01.2020** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, **के प्रभार वास्ते कुल राशि रू 10,09,34,153.00 (रू. दस करोड़ नौ लाख चौंतीस हजार एक सौ तिरेप्पन मात्र) दिनांक 27.05.2019 तक और साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे लागत, प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के संशोधित प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा, निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही आप बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते है। कृपया ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते है तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विमोचित करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

अचल संपत्ति का विवरण

(1) साम्यिक बंधक सम्पत्ति दुकान नं. 206, द्वितीय तल, म्युनिसीपल नं. 306, वार्ड नं. 11, कूचां घासी राम, चाँदनी चौक, दिल्ली–110006 में स्थित, क्षेत्रफल 104 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती कमल किशोर पोद्दार के नाम पर है।

(2) साम्यिक बंधक सम्पत्ति दुकान नं. 202–203, द्वितीय तल, म्युनिसीपल नं. 306, वार्ड नं. 11, कूचां घासी राम, चाँदनी चौक, दिल्ली–110006 में स्थित, क्षेत्रफल 97.54 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती संतोष देवी पोद्दार के नाम पर है।

दिनांक : 31–01–2020 स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

नियुक्तियां

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF DEVELOPMENT RESEARCH
(Deemed to be University)
Gen. A.K. Vaidya Marg, Filmcity Road, Santosh Nagar, Goregaon(E), Mumbai : 400065

ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF NON-TEACHING STAFF POSITIONS
Advt No.02/02

IGIDR invites applications from the Indian Nationals for filling up the vacant Non-Teaching Staff positions purely on contract basis as follows:-

Sr.No.	Name of the post	Consolidated Pay	Tenure
1	Assistant Administrative Officer (Hr&Admin) - 01 No	₹ 65,000/- pm	Initially on contract basis for **two years** which may be extended/ renewed further.
2	Office Assistant (Estate Department) - 01 No	₹ 35,000/- pm	
3	Project Officer (Research) – 01 No	₹ 65,000/- pm	
4	Communication Officer – 01 No	₹ 65,000/- pm	

For Deputation: Candidates working in Academic Institute/University / Central or State Government Department/Autonomous Bodies in the regular **pay-scale** may also apply for deputation for Sr No.1, 3 & 4 in Pay Band of ₹9,300-34,800 G.P 4,600/- (as per 6th cpc). For all other details, terms and conditions please log on to website:- http://www.igidr.ac.in/careers/. The completely filled Application along with the relevant supporting documents duly self-attested should be sent by registered post/ speed post to **The Registrar, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai** so as to reach by **08th March 2020**.

Registrar

विज्ञापन संख्या : 18/2020

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
कोल इंडिया लिमिटेड
में
निदेशक (पी एंड आई आर)

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **7 अप्रैल, 2020 (15.00 बजे तक)** है।

जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉग इन करें।

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT)

Tranway

TRANWAY TECHNOLOGIES LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Tranway Technologies Private Limited" on March 25, 2015 under the provisions of the Companies Act, 2013 bearing Corporate Identification Number U74900KA2015PTC079480 issued by the Registrar of Companies, Karnataka, Bangalore. Subsequently our company was converted into Public Limited Company and the name of our Company was changed to "Tranway Technologies Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation dated January 03, 2020 bearing Corporate Identification Number U74900KA2015PLC079480 issued by the Registrar of Companies, Karnataka, Bangalore. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 77 of the Prospectus.

Registered office: GF-01, Pallavi Enclave 26th Main, 17th Cross, J P Nagar, 6th Phase Bangalore 560078, Karnataka, India.**Corporate office:** No. 1914, 5th Cross, 18th 'A' Main, J P Nagar, 2nd Phase, Bangalore, Karnataka – 560078, India
Contact Person: Ms. Anitha R, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel No.:** 080-46730800; **E-Mail ID:** cs@tranwayinc.com; **Website:** www.tranwayinc.com; **CIN:** U74900KA2015PLC079480

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE OF 42,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TRANWAY TECHNOLOGIES LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹10/- PER EQUITY SHARE, (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 424.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹22.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 40,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 402.00 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 40.00% AND 37.93% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 31 of the Prospectus.)

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 1.0 TIMES OF THE FACE VALUE.
ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPENED ON: JANUARY 27, 2020 and CLOSED ON: JANUARY 29, 2020.
PROPOSED DATE OF LISTING: FEBRUARY 05, 2020.

The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the Startup segment under SME Platform of BSE Limited **("BSESTARTUPS")**. Our Company has received in-principal approval letter dated January 20, 2020 from BSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the STARTUP Platform of BSE Limited. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited (**"BSE"**). The trading is proposed to be commenced on or about February 05, 2020.

* Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue Received 575 applications for 79,60,000 shares and was subscribed to the extent of 1.88 times before rejection. After considering Rejections case including bids not banked, the Issue was subscribed 1.84 times i.e. 560 applications for 78,10,000 shares. Nil applications for Nil shares were bided without banking.

Summary of the Valid Applications Received:

Sr. No	Category	Gross Application		Less: Rejections		Valid	
		No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share
1	Retail Individual Applicants	567	57,70,000	15	1,50,000	552	56,20,000
2	Non Retail Applicants	7	19,70,000	Nil	Nil	7	19,70,000
3	Market Maker	1	2,20,000	Nil	Nil	1	2,20,000
	Total	**575**	**79,60,000**	**15**	**1,50,000**	**560**	**78,10,000**

Allocation: *The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange –BSE SME Platform on January 31, 2020*

A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹10/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 2,20,000 Equity shares.

SR NO	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	2,20,000	1	100.00	2,20,000	100.00	2,20,000	1:1	2,20,000
	Total	**1**	**100.00**	**2,20,000**	**100.00**			**2,20,000**

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹10/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.88 times i.e. for 56,20,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 29,80,000 Equity Shares to 297 successful applicants.

SR NO	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	10,000	542	98.19	54,20,000	96.44	10,000	287:542	28,70,000
2	20,000	10	1.81	2,00,000	3.56	10,000	1:1	1,00,000
3		10000 additional shares are allocated for Serial no 2 in the ratio of 1:10				10,000	1:10	10,000
	Total	**552**	**100.00**	**56,20,000**	**100.00**			**29,80,000**

C.Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 10/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.89 times i.e. for 19,70,000 shares. Total number of shares allotted in this category is 10,40,000 Equity Shares to 7 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

SR NO	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	40,000	1	14.29	40,000	2.03	20,000	1:1	20,000
2	70,000	1	14.29	70,000	3.55	40,000	1:1	40,000
3	1,00,000	1	14.29	1,00,000	5.08	50,000	1:1	50,000
4	1,60,000	1	14.29	1,60,000	8.12	90,000	1:1	90,000
5	2,50,000	1	14.29	2,50,000	12.69	1,30,000	1:1	1,30,000
6	3,60,000	1	14.29	3,60,000	18.27	1,90,000	1:1	1,90,000
7	9,90,000	1	14.29	9,90,000	50.25	5,20,000	1:1	5,20,000
	Total	**7**	**100.00**	**19,70,000**	**100.00**			**10,40,000**

The Board of Directors of the company at its meeting held on January 31, 2020 has approved the Basis of Allotment of Equity shares as approved by the Designated stock Exchange viz. BSE Limited and at a meeting held on January 31, 2020 has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

In terms of the Prospectus dated January 21, 2020 and as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b) other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before February 04, 2020. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to February 03, 2020. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSESTARTUPS Platform within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated January 21, 2020 ("Prospectus")

INVESTORS PLEASE NOTE The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED at www.linkintime.co.in. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

LINK Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
C-101, 1st Floor, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India.
Tel No: +91 22 4918 6200; **Fax No:** +91 22 4918 6060; **Website:** www.linkintime.co.in; **Email:** tranway.ipo@linkintime.co.in
Investor Grievance Email: tranway.ipo@linkintime.co.in; **Contact Person:** Ms. Shanti Gopalkrishnan; **SEBI Registration No:** INR000004058
CIN No: U67190MH1999PTC118368

For **TRANWAY TECHNOLOGIES LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place: Bangalore
Date: February 04, 2020

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF TRANWAY TECHNOLOGIES LIMITED.

CONCEPT

www.readwhere.com

वुहान का वायरस

चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के खतरे ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। बीमारी से तो खतरा है ही, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से लगाई गई स्वास्थ्य इमरजंसी के बाद जिस तरह दुनिया के कई देश सतर्क हो गए हैं और चीन से आने वाले नागरिकों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उससे भी लोगों में कम खौफ नहीं फैला है। इसी का नतीजा है कि चीन में रह रहे दूसरे देशों के लोग किसी भी तरह अपने-अपने देश जाने में लगे हैं, ताकि कोरोना के संक्रमण से बच सकें। भारत सरकार ने अब तक अपने छह सौ सैंतालीस नागरिकों को चीन से सुरक्षित निकाल लिया है। एअर इंडिया के विशेष विमान से दो फेरों में इन यात्रियों को चीन से दिल्ली लाया गया और सभी को सेना के बनाए विशेष वार्ड में रखा गया है। अभी तक केरल के दो लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए भारत ने विशेष सावधानियां बरती हैं। इसके अलावा चीन से आने वाले लोगों के ई-वीजा की सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, ताकि बिना जांच के कोई नागरिक चीन से भारत में न आ सके। इसके अलावा किसी भी भारतीय को चीन नहीं जाने की सलाह दी गई है।

वायरस-जनित संक्रमण जब तेजी से फैलता है तो तत्काल यह पता लगा पाना संभव नहीं होता कि आखिर इसका तोड़ क्या होगा। इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय होता है। भारत में कोरोना वायरस को लेकर लोग दहशत में हैं, इसलिए सरदर्द, जुकाम जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की अस्पतालों में भीड़ लगना स्वाभाविक है। हालांकि दिल्ली में तेरह ऐसे संदिग्ध लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनमें कोरोना का संक्रमण होने का अंदेशा है। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत लोगों को जागरूक करने की तो है ही, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे मरीजों या संदिग्धों की बढ़ती संख्या को लेकर है। अस्पतालों को ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रखा जाना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का तोड़ निकालने के करीब पहुंच जाने का दावा तो किया है, लेकिन इसका टीका ईजाद होने में अभी वक्त लग सकता है। तब तक इससे निपटने के लिए साफ-सफाई और बचाव के अन्य उपाय ही अपनाने होंगे। वायरस संक्रमण यों तो कभी भी और कहीं भी फैल सकते हैं जिनका कोई कारण पता नहीं चल पाता। पिछले दो दशकों में तो ऐसे कई वायरस संक्रमणों ने दुनिया को डराया है। आगे भी ऐसे नए-नए वायरस संक्रमणों के मामले आते रहेंगे। इसलिए ऐसी समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है। ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे कम से कम लोग वायरस संक्रमण की चपेट में आएं और कारगर इलाज मिल सके।

इस वक्त चीन के सामने संकट कई हैं। वहां कोरोना से मरने वालों की संख्या तीन सौ साठ से ऊपर निकल गई है। संक्रमित लोगों की संख्या तो हजारों में है। ऐसे में हुनान प्रांत में बर्डफ्लू के मामले भी सामने आए हैं। वुहान सहित कई शहरों में बंद जैसे हालात हैं और नागरिकों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल है। वुहान में चीन ने दस दिन के भीतर जिस तरह का विशालकाय अस्पताल तैयार कर लिया, वह उसकी इस संकट से निपटने की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। हालांकि अमेरिका सहित कई देश चीन पर इस महामारी की जानकारी को दबाए रखने का आरोप लगा रहे हैं। ये वक्त चीन की मदद करने का है, न कि राजनीति करने का।

नशे के सहारे

हमारे देश में विधानसभा या लोकसभा के चुनावों के दौरान शासन की सख्ती थोड़ी ज्यादा हो जाती है और इसमें अक्सर अवैध सामान की जब्ती की खबरें आती हैं। इसी क्रम में खासतौर पर नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री भी जांच की जद में आती है। यों यह कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन अगर हर अगले चुनाव में मादक पदार्थों की जब्ती की मात्रा बढ़ती जा रही है तो यह सवाल स्वाभाविक है कि इसकी खपत के ठिकाने क्या होते होंगे! गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में अब एक हफ्ते का वक्त भी नहीं रह गया है। लेकिन इस चुनाव में दिल्ली पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में यह हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है कि अब तक नशीले पदार्थों की जब्ती पिछले चुनाव के मुकाबले चौबीस गुना ज्यादा हो चुकी है। आमतौर पर सबसे ज्यादा शराब की खपत देखी जाती रही है, लेकिन इस बार अगर गांजे ने शराब को पीछे छोड़ दिया है तो पुलिस और शासन के साथ-साथ यह समाज के लिए भी चिंतित होने का वक्त है कि जहां इस प्रवृत्ति में कमी आनी चाहिए थी, वहीं इसमें तेज बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है!

हो सकता है कि जब्ती में शराब और गांजे की भारी मात्रा की वजह सिर्फ यह हो कि चुनावों के दौरान मादक पदार्थ बेचने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्ती बढ़ गई होगी। लेकिन अगर ये जब्ती की जद में आए शराब और गांजा गैरकानूनी गतिविधियों के रूप में देखे गए, तो सामान्य स्थितियों में भी इनको लेकर ऐसा रवैया क्यों नहीं देखा जाता! सच तो यह है कि नशीले पदार्थ कई राजनीतिकों के लिए वोट हासिल करने का जरिया बन चुके हैं। ऐसी खबरें अक्सर आती रही हैं कि मतदान के ठीक पहले लोगों के वोट हासिल करने की मंशा से मुफ्त में शराब की बोतलें बांटी जाती रही हैं। खुद दिल्ली अपराध शाखा के अतिरिक्त आयुक्त ने कहा है कि यहां जब्त शराब और गांजा की खेप दिल्ली विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख कर लाई गई थी। दिल्ली चुनाव आयोग के एक अधिकारी की भी यह राय अहम है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर चुनावों में नशा और अन्य अवैध सामग्रियों की बढ़ती खपत को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। सवाल है क्या हमारे राजनीतिक दलों या नेताओं को अपने कार्य प्रदर्शन, छवि और ईमानदारी पर भरोसा नहीं होता है कि वे मतदाताओं को रिझाने के लिए नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं!

चुनावों में मादक पदार्थों का ऐसा इस्तेमाल उन वादों के अलावा है, जिनमें मतदाताओं के वोट किसी भी हाल में हासिल करने के लिए तमाम तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं। यह अलग बात है कि उन वादों को पूरा करना अमूमन जरूरी नहीं समझा जाता। लेकिन इस सबमें एक सबसे अफसोसनाक प्रवृत्ति यह देखी गई है कि वोट सुनिश्चित करने के मकसद से मतदाताओं के बीच मादक पदार्थ बांटे जाते हैं। यह एक तथ्य है कि चुनावी घोषणाओं के बाद बढ़ने वाली राजनीतिक सक्रियता आम लोगों के राजनीतिक प्रशिक्षण का भी मौका होती है। मुद्दा आधारित बहसों में गुण-दोष के आकलन जनता के सामने पेश किए जाते हैं तो उन्हें किसी पक्ष में अपनी स्वस्थ राय बनाने में मदद मिलती है और उनके भीतर देशहित में राजनीतिक जागरूकता का प्रसार होता है। लेकिन शराब, गांजा देकर या इस तरह के बेमानी वादों के लोभ के जरिए हासिल किए गए वोट किस तरह की सामाजिक चेतना का निर्माण करेंगे? क्या यह विचार की जमीन मजबूत करने के लिहाज से देश के दीर्घकालिक हित में है?

कल्पमेधा

पाप तो इतिहास के आरंभ काल से चला आ रहा है, लेकिन उसकी उपासना हमने अभी शुरू की है।
–महात्मा गांधी

महामारी बनता कैंसर

योगेश कुमार गोयल

कैंसर के इलाज में बड़ी समस्या यही है कि या तो बीमारी ठीक ही नहीं हो पाती या फिर इलाज के बाद इसके लौटने का खतरा बरकरार रहता है। इसके अलावा, कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी बाधा इलाज का अत्यधिक महंगा होना और बीमारी का देरी से पता चलना है।

कैंसर नामक बीमारी आज विकासशील देशों में होने वाली कुल मौतों का दूसरा बड़ा कारण बन चुकी है। हृदय रोगों से होने वाली मौतों के बाद इन देशों में सर्वाधिक मौतें अब कैंसर से हो रही हैं। चिंताजनक स्थिति यह है कि यह बीमारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है और विश्वभर में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनियाभर में कैंसर से जुड़े करीब डेढ़ करोड़ मामले हर साल सामने आ रहे हैं। कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के मकसद से हर साल चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत चार फरवरी 2000 को पेरिस में कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में पेरिस चार्टर द्वारा की गई थी। वैसे पहली बार वर्ष 1933 में अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में विश्व कैंसर दिवस मनाया था।

कैंसर आज एक ऐसी भयानक बीमारी बन चुका है कि तमाम प्रयासों के बावजूद इसके मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है और लाखों लोग हर साल इस बीमारी के कारण मारे जा रहे हैं। कैंसर भारत में दूसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी के रूप में उभरा है और देश में हर साल इसके करीब ग्यारह लाख मामले दर्ज हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूटीओ) के मुताबिक भारत में कैंसर रोगियों की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है, वह एक खतरनाक संकेत है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर से हर साल आठ लाख लोगों की मौत हो जाती है। देश में कैंसर से मौतों के सर्वाधिक मामले उत्तर-पूर्वी राज्यों में दर्ज किए गए हैं। देश में कैंसर होने के मामलों में तीस फीसद और कैंसर से मौत होने के मामलों में बीस फीसद वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनियाभर में करीब बारह फीसद मौतें कैंसर से ही होती हैं और विकसित देशों में करीब इक्कीस फीसद लोग इसी बीमारी के कारण मारे जाते हैं।

कैंसर के इस कदर फैलते जाने के लिए बढ़ता प्रदूषण और पोषक खानपान का अभाव अहम कारण हैं। अधिक मात्रा में तंबाकू सेवन, धूम्रपान, अल्कोहल और नशीले पदार्थों का उपयोग, मोटापा, खानपान की गलत आदतें, प्रदूषित वातावरण, शरीर की कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, रसायनों, विकिरण और पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कैंसर होने के प्रमुख कारण बनते हैं। कई बार आनुवंशिक या वंशानुगत कारण भी कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। चिंता की बात यह है कि हर आयु वर्ग के लोग अब कैंसर की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिनमें महिलाएं और कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं। वैसे तो कैंसर के सौ से भी ज्यादा प्रकार हैं, लेकिन मस्तिष्क कैंसर के अलावा पुरुषों में मुख्यतः मुंह व जबड़ों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, पेट का कैंसर, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, आंतों का कैंसर, त्वचा कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर इत्यादि प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, जबकि महिलाओं में स्तन और गर्भाशय का कैंसर प्रमुख हैं।

'प्रॉस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपीडेमियोलॉजिक' नामक एक अध्ययन के तहत कुछ समय पहले जब भारत सहित चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, ब्राजील, स्वीडन, ईरान, मलेशिया, फिलीपीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फिलस्तीन, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, तंजानिया, तुर्की, पोलैंड, जिम्बाब्वे इत्यादि देशों के स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि कैंसर अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महामारी के रूप में उभर रहा है और अगर यह इसी गति से बढ़ता रहा तो आगामी कुछ दशकों या वर्षों में ही यह दुनियाभर में सबसे बड़ी प्राणघातक बीमारी बन जाएगा। करीब एक दशक तक चले दो अन्य वैश्विक अध्ययनों में भी यही तथ्य उभर कर आया कि विकसित देशों में अब कैंसर के कारण सबसे ज्यादा लोग प्राण गंवा रहे हैं। कनाडा की लावल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता गिल्स डेगनिस के मुताबिक वर्ष 2017 में दुनिया में करीब छब्बीस लाख मौतें कैंसर के कारण हुई थीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर छह में से एक व्यक्ति की मौत अब कैंसर के कारण होती है और वर्ष 2018 में विश्वभर में छियानवे लाख लोग कैंसर से मारे गए। इनमें से इक्कीस लाख कैंसर रोगियों की मृत्यु फेफड़ों के कैंसर, बीस लाख की स्तन कैंसर, अठारह लाख की कोलोरेक्टल कैंसर, बारह लाख की प्रोस्टेट कैंसर, ग्यारह लाख की त्वचा के कैंसर और दस लाख की पेट के कैंसर से हुई।

देश में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए पिछले साल नवंबर में विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसद की स्थायी समिति ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कैंसर के मामलों से निपटने और मरीजों को एक ही जगह इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देशभर में विशिष्ट इलाज केंद्र (ट्रीटमेंट हब) बनाने की सिफारिश की थी। समिति ने रिपोर्ट में कहा था कि कैंसर पीड़ित मरीजों में करीब अड़सठ फीसद मृत्यु दर बेहद दुखद है और मौजूदा समय में कैंसर के इलाज का देश में जो नेटवर्क है, वह इस बीमारी की भयावहता को देखते हुए बहुत छोटा और अपर्याप्त है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से निपटने के लिए ऐसे मजबूत और विशाल तंत्र की जरूरत है, जो कैंसर की दवाओं के मूल्य को नियंत्रित रख सके। समिति ने मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर शोध एवं उपचार केंद्र के नेटवर्क को देशव्यापी बनाने की सिफारिश भी की थी।

कैंसर के प्रभावी इलाज को लेकर भारत सहित दुनियाभर में निरंतर बड़े स्तर पर शोध कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अत्याधुनिक उपचार के बावजूद इस बीमारी का अब तक कोई कारगर इलाज नहीं खोजा जा सका है। वैसे चिकित्सा विज्ञान द्वारा कैंसर के इलाज के लिए कई कारगर दवाएं और थैरेपी खोजी जा चुकी हैं। आज कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी, टारगेट थैरेपी, इम्यूनोथैरेपी, बायोलॉजिकल थैरेपी, सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी और स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा कैंसर के बहुत से मरीजों का सफल इलाज किया भी जा रहा है और कैंसर का इलाज पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक, सफल और कम दुष्प्रभावों के साथ संभव हुआ है। लेकिन इसके बावजूद कैंसर से हो रही मौतों का आंकड़ा वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। कैंसर के इलाज में बड़ी समस्या यही है कि या तो बीमारी ठीक ही नहीं हो पाती या फिर इलाज के बाद इसके दोबारा वापस लौटने का खतरा बरकरार रहता है। इसके अलावा, कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी बाधा इलाज का अत्यधिक महंगा होना और बीमारी का देरी से पता चलना है। लिहाजा, कैंसर से बचाव के लिए जहां इसके प्रति जागरूकता सबसे जरूरी है, वहीं सबसे बड़ी जरूरत इस बात की भी है कि कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा हरसंभव सहायता प्रदान की जाए, भले ही ऐसे मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो या निजी अस्पतालों में, क्योंकि देशभर में कैंसर के मरीजों की संख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसके मद्देनजर कैंसर मरीजों के इलाज की कल्पना सिर्फ सरकारी अस्पतालों के भरोसे कदापि नहीं की जा सकती। हालांकि दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर के इलाज की सारी सुविधाएं मौजूद हैं और सरकार ने हरियाणा के झज्जर जिले में भी एम्स जैसी ही कैंसर के इलाज की सुविधाएं शुरू की हैं, लेकिन कैंसर के मरीज इतने ज्यादा हैं कि सरकारी अस्पतालों में उनका नंबर आने में ही हफ्तों-महीनों लग जाते हैं और तब तक मरीज की हालत बद से बदतर हो चुकी होती है।

चेतना की राह

भावना मासीवाल

दुनिया मेरे आगे

पिछले कुछ सालों से लगातार यह सबके सामने की हकीकत है कि देश के सार्वजनिक मंचों से लेकर कार्यस्थलों तक में महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं। जिन्हें अब तक घर की दहलीज की शोभा के तौर पर देखा और पेश किया गया, वे अब योग्यता की परीक्षाओं से लेकर आंदोलनों तक में अपने दम से दुनिया के चौंका रही हैं। यों यह कोई नई प्रवृत्ति नहीं है कि वे हर क्षेत्र में अपनी प्रबल दावेदारी सिद्ध कर रही हैं, वह चाहे अंतरिक्ष हो या समुद्र। दरअसल उन्हें यह दावेदारी दी शिक्षा ने। शिक्षा ही वह औजार है, जिसने महिलाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया और आज भी कितनी ही महिलाएं शिक्षा के जरिए अपने सपनों को बुन रही हैं। मगर कभी किसी ने सोचा कि उनके सपनों को उड़ान कहां से मिली? वह कौन महिला थीं, जिन्होंने महिला शिक्षा की नींव रखी और माना कि महिलाओं का चेतनाशील होना आवश्यक है।

दरअसल, महिलाओं के सशक्तिकरण का रास्ता उनकी चेतना से होकर ही गुजरता है। अपने आसपास महिलाओं की दुनिया पर गौर करते हुए मुझे भी अक्सर लगता रहा कि पढ़ाई-लिखाई का कोई बेहतर हासिल तभी संभव है, जब उसमें जागरूक चेतना का तत्त्व शामिल हो। तो इस दिशा में क्या काम हुए, यह बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जब मैंने सावित्रीबाई फुले के जीवन-वृत्त को पढ़ा, तब समझ में आया कि एक जड़ पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए शिक्षा के साथ-साथ चेतना के स्तर पर मजबूत होना जरूरी है। सोचती हूं कि कैसा जीवट था उनके भीतर जो आज तक हमारे जैसी तमाम महिलाओं को प्रेरणा देता रहता है। महाराष्ट्र में सतारा जिले के नायगांव में पैदा होने वाली सावित्री का विवाह कम उम्र में ही हो गया था, लेकिन एक शानदार जीवन साथी यानी ज्योतिबा राव फुले के मिलने के बाद उनकी जिंदगी ने जो दिशा पकड़ी, उसमें पहले उन्होंने खुद को शिक्षित बनाया और फिर युवा होते-होते अध्यापिका के रूप में बालिका विद्यालयों में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही थीं। उनके जीवट का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि समाज द्वारा लड़कियों की शिक्षा के विरोध के बावजूद उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की। एक स्त्री होने के कारण समाज में स्त्री शिक्षा के विरोध के कारणों को वे जानती थीं।

दरअसल, स्त्रियों का सामाजिक रूढ़िवादी परिवेश उन्हें अशिक्षित बना कर दोयम या गुलाम बनाए रखने की मानसिकता रखता था, ताकि लड़कियां शिक्षा से चेतनाशील होकर महिला विरोधी कुप्रथाओं का विरोध न कर सकें। इसके अलावा, लड़कियों का अपना परिवार भी बड़ा बाधक-तत्त्व था। हम आज भी यह हकीकत अपने आसपास देखते हैं कि परिवार में माता-पिता के बाद बेटी ही घर के सभी कामों में सहयोगी होती है। खुद से छोटे सभी बच्चों की वह दूसरी मां होती है। ऐसे में माता-पिता उसकी शिक्षा को उसके लिए अनुपयोगी मानते थे और उस श्रमजनित हाथ को कम नहीं होने देना चाहते थे।

किसी भी समाज में मौजूद यह सोच लड़कियों को घर तक सीमित कर देती है। ऐसे में सावित्रीबाई फुले के सामने अपने परिवेश की लड़कियों और उनके माता-पिता को शिक्षा के प्रति जागृत करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि 'स्वाभिमान से जीने के लिए/ पढ़ाई करो पाठशाला की/ इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा है/ चलो, पाठशाला जाओ।/ पहला काम पढ़ाई, फिर वक्त मिले तो खेल-कूद/ पढ़ाई से फुर्सत मिले, तभी करो घर की साफ-सफाई/चलो, अब पाठशाला जाओ'। आज हम एक छोटी-सी बाधा के सामने टूट जाते हैं, लेकिन एक जड़ सामाजिक दौर में भी उन्होंने ज्योतिबा राव फुले के सहयोग से एक जनवरी 1848 को पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। यह विद्यालय स्त्री शिक्षा की क्रांति पहला स्तंभ बना।

आज भी एक स्त्री होने के नाते मेरे सहित बाकी महिलाएं भी समाज की दीवारों से अनजान नहीं होंगी। फिर एक जड़ समाज में सावित्रीबाई फुले के रुख को कैसे सहजता से स्वीकार कर लिया जा सकता था? जब वे लड़कियों को पढ़ाने और उनके बीच जाकर जागृति अभियान चलाने की कोशिश करती थीं तो उन पर अंडे, टमाटर, गोबर, पत्थर तक फेंके जाते थे। लेकिन अपने थैले में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर उन्होंने इस प्रतिक्रिया का भी सामना किया। एक कविता में उन्होंने रूढ़िवादी समाज की मानसिकता पर लिखा कि 'खुद को सयाना समझने वाले स्वधर्मी/ मुझे भी कहते रहे भला-बुरा/ की छींटाकशी गोबर और पत्थर/ फेंक कर मुझ पर...'।

तब भी यही सच था और आज भी यही है कि स्त्रियां ही समाज का भविष्य हैं। आज की स्त्री जानती है कि स्वाभिमान से जीने का माध्यम शिक्षा है। लेकिन यह भी सच है कि आज आजादी के सत्तर सालों के बाद भी हमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारे के साथ समाज को जागरूक करने की कोशिश करनी पड़ रही है, लेकिन यह स्थिति करीब पौने दो सौ साल पहले भी थी। सवाल है कि वहां से चल कर हम कहां तक पहुंच सके हैं!

इस बजट में

लगातार गिरती विकास दर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस तरह से संकट में डाल दिया है उससे निकलने की एक बड़ी चुनौती वित्तमंत्री के पास थी। अब जबकि बजट पेश हो चुका है तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या यह बजट भारत को मंदी से निकाल कर अर्थव्यवस्था को वापस ऊंचाइयों पर ले जाएगा! वित्तमंत्री का कहना है कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान-कल्याण जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। एक बात तो साफ है कि सरकार ने इस बार पैसा लोगों तक पहुंचाने की पहल की है जो मंदी से उबरने में राम बाण साबित हो सकती है। ऐसे समय में जब उपभोग और निवेश में गिरावट को आर्थिक मंदी की मुख्य वजह माना जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग बढ़ने के मद्देनजर गांव में रहने वाले निर्धनों की आय बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया गया है।

बजट में की गई घोषणाओं का असर आने वाले दिनों में भले अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कुछ सुधार के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल उद्योग जगत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने निराशाजनक प्रतिक्रिया दी भी है। सबसे ज्यादा निराशा ऑटो मोबाइल उद्योग को हुई है। मध्य वर्ग और नौकरीपेशा लोगों की कर दरों में राहत की उम्मीद पूरी हुई है। सरकार 'मेक इन इंडिया' से 'असेंबल इन इंडिया' की तरफ बढ़ने की बात कह रही है। बजट में अब पांच शहर 'पीपीपी मॉडल' पर विकसित करने का सपना है। ऐसा ही सपना स्मार्ट सिटी का भी पूर्व में दिखाया जा चुका है, जो जमीन पर नहीं उतर पाया है।

सरकारी उपक्रमों के विनिवेश के सिलसिले को केंद्र सरकार जारी रखेगी। यह बजट में भी दिख गया है। बीएसएनएल के बाद जीवन बीमा निगम की बारी आने की आशंका को बजट में सच साबित कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी भागीदारी घटाने की बात कही है। जिस रफ्तार से नौकरियां जा रही हैं उन्हें देखकर मध्यवर्ग डरा हुआ है। सरकार कितने भी आंकड़े दिखा दे, अपने आसपास ऐसे लोग दिखते ही रहते हैं जिन्हें दो साल से वेतन वृद्धि नहीं मिली। हालत यह है कि किसी की तनख्वाह कम हो गई है तो किसी की नौकरी चली गई।

शेयर बाजार नीचे जा रहा है जो दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था अब भी पटरी पर आने की स्थिति में नहीं है। स्वाभाविक है कि सिर्फ बजट से काम नहीं चलने वाला है और कुछ अन्य ऐसे नीतिगत फैसले लेने होंगे जिनसे गांव, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ उद्योग को भी फायदा हो।

● *अनु मिश्रा, बिठुना, सिवान, बिहार*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कैसा भविष्य

क्या राजनेताओं के शब्दों को युवा इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे उनसे प्रभावित होकर बिना अपने भविष्य की चिंता किए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएं! देश में हाल की कुछ घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं। युवाओं को समझना होगा कि न्यूटन के क्रिया-प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने से ही उनका भविष्य सुरक्षित होगा न कि विरोध प्रदर्शनों के नाम पर कुछ भी करने या विरोध प्रदर्शनों के विरोध में गोलियां चलाकर अपने भविष्य को दांव पर लगाने से।

आखिरकार इतना गुस्सा युवाओं के अंदर भर कौन रहा है? क्या राजनीतिक स्वार्थ के चलते राजनेता अथवा धर्म के आधार पर कुछ धर्म के तथाकथित ठेकेदार? या सत्ता के आधार पर बंट चुका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? जो भी हो, पर ऐसी स्थिति के चलते देश का भविष्य उज्ज्वल हो पाएगा इसमें संदेह है। फिलहाल फैसला युवाओं को करना है कि उन्हें कैसा भविष्य चाहिए!

● *शिवम सिंह, दिल्ली विशवविद्यालय*

अमन की खातिर

प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान को धूल चटाने में दस दिन नहीं लगेंगे। बेशक अपनी ताकतवर फौज और नेतृत्व पर हमें गर्व है। मगर पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश के कई हिस्सों में जनता और पुलिस आमने-सामने हैं। डंके की चोट पर देश में कथित गद्दारों को गोली मारने के लिए ललकारा जा रहा है। शाहीन बाग जैसे मुहल्लों को मिनी पाकिस्तान के नजरिये से देखा जा रहा है। खुलेआम तमंचा लहराते युवा अपने ही देश में हिंदुस्तान ढूंढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अगर वाकई देश गद्दारों के चंगुल में है तो महीनों से उबलते देश को अंगारों पर क्यों छोड़ दिया गया है? नेताओं के आग उगलते बयानों से क्या हासिल होगा? मुल्क में अमन-चैन की बहाली की खातिर वह दस दिनों वाली ताकत क्यों नहीं आजमाई जा रही है? तमंचा पकड़े नौजवानों को हत्यारा बनाने से बेहतर है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना दिया जाए।

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड*

जुर्म और दंड

निर्भया कांड के चार दोषियों की फांसी की तारीख टलने और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा निर्भया की मां से दोषियों को माफ करने के अनुरोध के बाद, एक बार फिर देश में फांसी की सजा के पक्ष और विपक्ष में बहस जोर पकड़ने लगी है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने अलग-अलग निर्णयों में फांसी की सजा पर विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' में ही फांसी की सजा देने की हिदायत दी थी। गौरतलब है कि भारत में आखिरी फांसी याकूब मेमन को 2015 में दी गई थी।

किसी मुलजिम को मौत की सजा मिलने पर, पीड़ित परिवार वालों को असल में न्याय मिलने की अनुभूति होती है जबकि कानून की दुनिया में कोई भी शोध यह दावा नहीं करता कि सजा को क्रूरतम कर देने से अपराध में कमी आ जाती है। अब, जब विश्व के अधिकतर देशों ने मौत की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब ऐसे समय में भारत के कानून-निर्माताओं का फांसी की सजा पर गंभीरता से विचार करना जरूरी हो जाता है।

● *आदित्य राव, कानपुर, उत्तर प्रदेश*

जरा हट के

फरीदाबाद में 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में नृत्य प्रस्तुत करती कलाकार। मेले में 40 देशों के कलाकार व शिल्पकार भाग ले रहे हैं।

बोल

नेपाल के विकास में भारत न सिर्फ अहम भागीदार है बल्कि वह कारोबार, पारगमन व प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में सबसे बड़ा मित्र है।

-केपी ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री

विवाद

वैश्विक संकट केवल चीन को लेकर घोषित नहीं किया गया है। हमारी चिंता यह है कि जिन देशों में यह वायरस फैल रहा है वहां के हेल्थ सिस्टम बहुत ही खराब हैं।

- टेड्रोस ऐडहेनॉम गेब्रीयेसोस डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक

सम-सामायिक

संशोधित गर्भपात विधेयक : कानून से क्या-क्या बदलेगा

जनसत्ता संवाद

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में संशोधित गर्भपात विधेयक यानी 'मेडिकल टमिर्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी बिल 2020' को मंजूरी दे दी। विधेयक को संसद के सत्र में रखे जाने की तैयारी है। इस विधेयक में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 हफ्ते से बढ़कर 24 हफ्ते कर दी गई है। महिलाओं के साथ ही चिकित्सकों एवं स्वयंसेवी संगठनों की ओर से अरसे से ऐसी मांग की जा रही थी। अदालतें समय-समय पर इसकी जरूरत बताती रही हैं।

गर्भपात अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971) में संशोधन के लिए साल 2014 से ही विभिन्न हितधारकों से चर्चा की जा रही थी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। विधेयक का मसविदा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि दुष्कर्म पीड़िताओं और नाबालिगों को अनचाहे गर्भ से निजात पाने में मदद मिलेगी।

इस विधेयक से गैर शादीशुदा महिलाओं को विधि सम्मत कारणों के तहत गर्भपात की इजाजत मिलेगी। अभी तक केवल शादीशुदा महिलाओं को ही विभिन्न वजहों से गर्भपात की इजाजत थी। इससे एकल महिलाओं के लिए कानूनी दायरे में और सुरक्षित तरीके से अनचाहे गर्भ को गिराना आसान हो जाएगा।

संशोधक विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेने की जरूरत होगी, जबकि, गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए दो चिकित्सकों की राय लेनी जरूरी होगी। अभी जो कानून है उसके अंतर्गत गर्भ-निरोधक के काम न करने या अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए कानून मंजूरी सिर्फ विवाहित महिलाओं को मिल सकती है। नाबालिग लड़कियों के लिए माता-पिता की लिखित में इजाजत चाहिए होती है, जबकि अविवाहित महिलाएं गर्भ-निरोधक के काम नहीं करने को गर्भपात की वजह नहीं बता सकतीं।

कानून के तहत मां की जान को खतरा होने पर, बलात्कार के कारण गभर्धारण होने पर, बच्चे के शारीरिक-मानसिक दुर्बल होने पर या गर्भ-निरोधक के काम न करने पर गर्भ को 20 हफ्ते के अंदर ही गिराया जा सकता है। सरकार के अविवाहित महिलाओं को लेकर कानून में साफ-साफ शामिल करने से एकल महिलाओं की यौन गतिविधियों से जुड़ा सामाजिक दबाव भी कम होगा।

कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिस कारण कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। उदाहरण के लिए 10 साल की एक बलात्कार पीड़िता बच्ची के गर्भपात की इजाजत अदालत ने नहीं दी थी। बच्ची के माता-पिता को उसकी गर्भावस्था के बारे में 26 हफ्ते बीत जाने के बाद पता चला था, लेकिन गर्भपात कानून की वजह से 10 साल की उम्र में उस बच्ची को मां बनना पड़ा था। तब सवाल उठा था कि क्या बच्ची की उम्र ऐसी थी कि वह एक बच्चे की परवरिश कर सके।

2017 में बिहार की एक एचआइवी पॉजिटिव बलात्कार पीड़िता का गर्भ भी 26 हफ्ते पार कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी थी। आधार उस रिपोर्ट को बनाया गया था, जो कहती थी कि 26 हफ्ते के बाद गर्भपात जानलेवा हो सकता है। मजबूरन उसने एक एचआइवी पॉजिटिव बच्चे को ही पैदा किया। वर्ष 2017 में ही जब 26 हफ्ते की गर्भवती महिला उसके गर्भ में एक डाउन सिंड्रोम बच्चे के होने का पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने उसे गर्भपात की इजाजत नहीं दी। हालांकि, तब कोर्ट ने यह माना था कि एक मां के लिए एक मानसिक रूप से अक्षम बच्चे को बड़ा करना बहुत मुश्किलों भरा होता है।

अदालत की चौखट पर तर्क

गर्भपात कानून में संशोधन की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि महिला और उसके भ्रूण के स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए गर्भपात कराने की अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 से 26 हफ्ते कर दी जाए, जिस तरह से गर्भधारण का अधिकार महिला के पास है, उसी तरह से गर्भपात कराने का भी अधिकार महिला के पास होना चाहिए, अविवाहित महिला व विधवाओं को भी कानूनी रूप से गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए।

शोध

कॉन्टैक्ट लेंस से होगी मधुमेह की पहचान

जनसत्ता संवाद

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनिया भर में इस समय 42.2 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। 30 सालों में मधुमेह पीड़ितों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। मधुमेह से पीड़ित लोगों को दिल का दौरा और हृदयाघात (हार्ट स्ट्रोक) हो सकता है। वहीं इससे किडनी फेल और पैरों के निष्क्रिय होने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बीमारी का पता खून की जांच से ही लगाया जा सकता है। यही कारण कि जांच में देरी इस बीमारी का एक बड़ा कारण है। वहीं हाल ही में दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस को विकसित किया है जो मधुमेह की पहचान करने के साथ मधुमेह से आंखों में होने वाली बीमारी से डायबिटीज रेटिनोपैथी का इलाज भी करता है।

दक्षिण कोरिया के पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पीओएसटीईसीएच) के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस विकसित किया है। शोधकर्ता प्रोफेसर शी क्वांग हान और उनके शोध दल सहित उनके पीएचडी छात्र, जियोन-हुई ली ने एक स्मार्ट फोटोनिक कॉन्टैक्ट लेंस और एक पहनने योग्य चिकित्सा उपकरण का आविष्कार किया जो मधुमेह की पहचान कर मधुमेह संबंधी बीमारी रेटिनोपैथी का इलाज कर सकता है।

मधुमेह के रोगियों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद रक्त में शर्करा (ग्लूकोज) के स्तर को मापने के लिए खून के नमूनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए मरीज के हाथों में पिन चुभाकर रक्त का नमूना लिया जाता है, हर बार ऐसा करना मरीज के लिए थोड़ा पीड़ादायक होता है। लेकिन इस स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस को आंखों में पहनने मात्र से रक्त में शर्करा के स्तर का पता चल सकेगा और खून के नमूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल यह स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) से युक्त है। इस लेंस में एक एकीकृत माइक्रो-एलईडी और फोटोडेटेक्टर है जो एनआईआर प्रकाश का विश्लेषण करके रक्त वाहिकाओं में शर्करा को माप सकता है। यह अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्ट लेंस है जो केवल मरीज के आंसुओं से ही उसके रक्त में शर्करा के स्तर का पता लगा लेता है और रेटिनोपैथी की समस्या से जूझ रहे मरीजों के इलाज में मदद पहुंचाता है। यह नया विकसित उपकरण न केवल मधुमेह रोगियों को रक्त में शर्करा के स्तर की निगरानी करने देगा, बल्कि रेटिनोपैथी के लिए चिकित्सा उपचार भी सक्षम करेगा जो मधुमेह की जटिलताओं के कारण होता है।

शोधकर्ताओं ने इस कॉन्टैक्ट लेंस का परीक्षण खरगोश पर किया है। इन खरगोश की आंखों में डायबेटिक रेटिनोपेथी की समस्या थी। एक महीने बाद जब इन खरगोशों के आंखों की पुनः जांच की गई तो इसके परिणाम चकित कर देने वाले थे। शोधकताओं ने पाया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी से ग्रसित खरगोशों में नई रक्त वाहिकाओं के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आई थी। खरगोश पर हुए सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इस कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग इंसानों की आंखों पर किया जाएगा। इस साल के मध्य में इसके क्लीनिकल परीक्षण शुरू होने की संभावना है। यह शोध जर्नल नेचर रिव्यू मैटेरियल्स में प्रकाशित किया गया है।

प्रोफेसर शी क्वांग हान और उनके शोध दल ने इन परिणामों के आधार पर एक स्मार्ट पहनने योग्य चिकित्सा उपकरण भी विकसित किया है जो पसीने से ही रक्त में शर्करा (ग्लूकोज) के स्तर का पता लगा सकता है। इसके अलावा इस शोध दल ने पीएचआई बायोमेड कंपनी के साथ, एक ब्लू-टूथ सिस्टम भी विकसित किया है जो मरीजों को उनके मोबाइल फोन पर मधुमेह से जुड़े परिणाम या आंकड़ों को भेजता है।

प्रोफेसर हान ने कहा, 'हमने स्मार्ट एलईडी कॉन्टैक्ट लेंस विकसित किया है जो मधुमेह की पहचान कर सकता है और दुनिया में पहली बार प्रकाश के साथ मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी का इलाज कर सकता है। हम स्टैनफोर्ड मेडिसिन के सहयोग से इन स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस और स्मार्ट पहनने योग्य चिकित्सा उपकरणों के व्यवसायीकरण की योजना भी बना रहे हैं।'

दक्षिण कोरिया के पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस विकसित किया है जो मधुमेह की पहचान कर मधुमेह संबंधी बीमारी रेटिनोपैथी का इलाज कर सकता है।

विश्व परिक्रमा

ब्रिटेन का ब्रेग्जिट समझौते पर दस्तखत

रविवार, 26 जनवरी : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की दशकों पुरानी अपनी सदस्यता को समाप्त कर दिया है और कई वर्षों की देरी के बाद अपने करीबी पड़ोसियों तथा व्यापारिक साझेदारों का साथ छोड़ दिया है।

चीन में कोरोना वायरस से 56 मरे

सोमवार, 27 जनवरी : चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या रविवार को 56 हो गई। वायरस चीन के अन्य शहरों में भी फैल रहा है और इसकी चपेट में तकरीबन 2000 लोग आ गए है। चीन ने दक्षिण शहर शांताउ को बंद कर दिया है।

कोबी ब्रायंट की दुर्घटना में मौत

मंगलवार, 28 जनवरी : नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के दिग्गज खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की रविवार को हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुर्घटना में कोबी की 13 साल की बेटी के साथ सात अन्य लोग की भी मौत हो गई।

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका ने दी चीन न जाने की सलाह

बुधवार, 29 जनवरी : चीन में फैले कोरोना वायरस के घातक प्रकोप के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को हुबेई प्रांत की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक यात्रा परामर्श में कहा, चीन के वुहान में कोरोनो वायरस के मामले सामने आने की वजह से चीन की यात्रा पर पुनर्विचार करें।

ट्रंप पर आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित

गुरुवार, 30 जनवरी : अमेरिका में महाभियोग में चल रही सुनवाई में डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग संबंधी लगाए गए आरोप 'राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।'

कोरोना को रोकने के लिए चार अरब डॉलर

शुक्रवार, 31 जनवरी : चीन ने खतरनाक कोरोना वायरस को रोकने के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए गुरुवार को करीब चार अरब डॉलर की राशि आवंटित की, वहीं जैक मा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स के संगठन भी मदद कर रहे हैं। चीन के वुहान में दिसंबर में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ।

दुनिया में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित

शनिवार, 1 फरवरी : दुनिया के एक दर्जन से ज्यादा देशों में फैले खतरनाक कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वैश्विक आपात घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचअ ने इसे 'अभूतपूर्व घटनाक्रम' बताया है क्योंकि यह विषाणु दूसरे देशों के लिए खतरा पैदा करता है।

जानें-समझें

एलआइसी का विनिवेश

कभी थी खरीदार, क्यों आज बेचने की दरकार

दीपक रस्तोगी

'भरोसे का प्रतीक' कही जाने वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर चुकी है। यह हिस्सेदारी किसी हालत में एलआइसी की कुल कीमत का 10 फीसद से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध होने लगा है। एलआइसी के कर्मचारी संगठनों ने इसे देश के खिलाफ करार देते हुए चार फरवरी को एक दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। विशेषज्ञों की राय में एलआइसी की हिस्सेदारी बेचने की कवायद (आइपीओ) दशक का सबसे बड़ा आइपीओ साबित हो सकता है और उसके बाद एलआइसी पूंजी के आधार पर देश की सबसे बड़ी कंपनी तक बन सकती है, जिसका बाजार मूल्यांकन आठ से 10 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। समर्थन-विरोध से इतर सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार अपने भरोसे के प्रतीक को ही बेचने चली है।

अगाध परिसंपत्तियां और हिस्सेदारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2.1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। इनमें से एलआइसी और आइडीबीआइ से 90 हजार करोड़ रुपए हासिल करने की योजना है। भारत के बीमा बाजार में इस कंपनी का 70 फीसद से ज्यादा पर कब्जा है। कुल जीवन बीमा में से 76.28 फीसद और प्रथम वर्ष के 71 फीसद बीमा एलआइसी के पास हैं। 2019 में इसकी कुल परिसंपत्तियां 31 लाख करोड़ रुपए की आंकी गई थीं। साल 2019 के वित्तीय वर्ष में एलआइसी को 3.37 खरब रुपए की कमाई ग्राहकों से मिलने वाले प्रीमियम से हुई, जबकि 2.2 खरब रुपए निवेश से रिटर्न के रूप में मिले। 2019 के वित्तीय वर्ष में इक्विटी इनवेस्टमेंट के तौर पर एलआइसी का निवेश 28.32 खरब रुपए, जबकि 1.17 खरब रुपए कर्ज के तौर पर और 34,849 करोड़ रुपए मुद्रा बाजार में है। एलआइसी में सरकार की हिस्सेदारी 100 फीसद है। अपने वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में एलआइसी का आइपीओ आएगा।

क्या कहता है एलआइसी अधिनियम

1956 में भारत में जीवन बीमा के कारोबार के राष्ट्रीयकरण के तहत एलआइसी अधिनियम तैयार किया गया था। सरकार को एलआइसी का आइपीओ लाने से पहले एलआइसी अधिनियम में संशोधन करना होगा। भले ही देश के बीमा उद्योग पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (आइआरडीए) निगरानी करती है, लेकिन एलआइसी के कामकाज के लिए संसद ने अलग से कानून बना रखा है। एलआइसी अधिनियम की धारा 37 कहती है कि एलआइसी बीमा की राशि और बोनस को लेकर अपने बीमाधारकों से जो भी वादा करती है, उसके पीछे केंद्र सरकार की गारंटी होती है। प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनियों को ये सुविधा हासिल नहीं है। विनिवेश के लिए इस गारंटी को बदलने की जरूरत होगी।

एनपीए का बढ़ता बोझ

अब तक जो एलआइसी कंपनियों के शेयर खरीद रही थी, अब सरकार उसी की हिस्सेदारी बेचेगी। दरअसल, बीमार कंपनियों में पैसा लगाने और सकारात्मक नतीजे नहीं आने के कारण बीते पांच साल में एलआइसी की हालत लगातार खस्ता हुई है। बीते पांच साल में कंपनी की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी एनपीए) दोगुने स्तर तक पहुंच गए। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 तक एनपीए का आंकड़ा निवेश के अनुपात में 6.15 फीसद हो गया। 2014-15 में एनपीए 3.30 फीसद के स्तर पर था। पांच साल में एलआइसी का एनपीए 100 फीसद बढ़ा है। 31 मार्च 2019 को कंपनी के सकल एनपीए 24 हजार 777 करोड़ रुपए थे, जबकि कंपनी पर कुल देनदारी यानी कर्ज चार लाख करोड़ रुपए से अधिक का था। एलआइसी की कुल परिसंपत्तियां 36 लाख करोड़ रुपए की हैं।

कैसे आई बदहाली

एलआइसी ने जिन कंपनियों में उसने निवेश किया था उनकी माली हालत बेहद खराब हो गई है और कई कंपनियां तो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इनमें दीवान हाउसिंग रिलायंस कैपिटल, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पीरामल कैपिटल और यस बैंक शामिल हैं। दीवान हाउसिंग में एलआईसी का हिस्सा 6500 करोड़ से अधिक का है। रिलायंस कैपिटल में चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश है। एबीजी शिपयार्ड, एमटेक ऑटो और जेपी ग्रुप में भी एलआइसी ने काफी निवेश किया है। आइडीबीआइ की 51 फीसद हिस्सेदारी के लिए एलआइसी को करीब 10,000 से 13,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना पड़ा। वर्ष 2015 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के आइपीओ के समय एलआइसी ने 1.4 अरब डॉलर की रकम लगाई थी।

क्या कहते हैं जानकार

फाइल फोटो

सरकार को एलआइसी के आइपीओ से 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की उम्मीद है। सरकार सभी पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करेगी। एलआइसी की आइपीओ लिस्टिंग से पारदर्शिता आएगी और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।

- राजीव कुमार, केंद्रीय वित्त सचिव

एलआइसी में सरकारी हिस्सेदारी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बीमाधारकों का इस संस्थान पर से भरोसा हिला देगा। सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों के लिए जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, एलआइसी हमेशा से आखिरी सहारा रहा है।

- राजेश निम्बालकर, महासचिव, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस इंप्लाइज फेडरेशन

व्यक्तित्व

किसान चाची : कृषि के लिए मिला पद्मश्री

जनसत्ता संवाद

देश ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 112 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। इनमें से एक नाम राजकुमारी देवी का भी रहा। मुजफ्फरपुर के आनंदपुर गांव की रहने वाली राजकुमारी देवी को पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान कृषि क्षेत्र यानी खेतीबाड़ी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मिला है। वह बिहार की पहली महिला कृषक हैं, जिन्हें यह सम्मान मिला है। राजकुमारी देवी न सिर्फ खेती करती है बल्कि उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह की शुरुआत भी की है। उनके इस कदम से सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।

खेती से जुड़े ज्ञान और उनकी बुद्धिमता को देखकर गांव वाले उन्हें प्यार से किसान चाची के नाम से जानते हैं। आज वह इसी नाम से देश-दुनिया में भी जानी जाती हैं। राजकुमारी देवी ने महिला किसान के तौर पर सामाजिक बाधाओं को दरकिनार कर कृषि के क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई है। एक आम महिला से किसान चाची होना और पद्मश्री जैसा सम्मान पाने तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन आज वो सभी महिलाओं की रोल मॉडल बन चुकी हैं। गरीब परिवार में जन्मीं राजकुमारी देवी की शादी एक किसान परिवार में हुई थी। शादी के कुछ ही सालों बाद उन्हें पति के साथ घर से अलग कर दिया गया। बंटवारे के बाद मिले ढाई एकड़ जमीन से अपने परिवार का पालन पोषण करना राजकुमारी देवी और उनके पति के लिए मुश्किल था। इसलिए राजकुमारी देवी ने फैसला किया कि वो घर में ना रह कर जमीन से पैसे कमाएंगी। इसके लिए उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया।

राजकुमारी देवी को खेती की जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने पूसा कृषि विद्यालय से उन्नत कृषि की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अपने खेत में ओल और पपीता लगाया। खेतों में लगे ओल को उन्होंने बाजार में बेचने की जगह आचार बनाया। आचार बेचने से उन्हें अच्छी आय होने लगी। गांव की महिलाओं को जब इसका पता चला तो वो भी राजकुमारी देवी से सीखने आने लगीं। फिर उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी खेती और आचार बनाना सिखाया। इस तरह सब उन्हें किसान चाची कहने लगे।

किसान चाची बनते ही आसपास के पुरुष किसान भी उनसे सलाह लेने और उनसे अपने घर की महिलाओं को भी कृषि के गुर सिखाने की सिफारिश करने लगे। फिर क्या था किसान चाची गांव-गांव जाकर महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने लगी। वह साइकिल से हर दिन 40-50 किलोमीटर का सफर तय करके महिलाओं और दूसरे किसानों को खेती करना, फूड प्रोसेसिंग की बारीकियां और मूर्ति बनाना सिखाने लगीं। 2003 में सरैया मेले में उनके काम को सराहा गया। 2007 में किसानश्री अवार्ड मिला तो नाम राष्ट्रीय फलक तक पहुंचा। पद्मश्री मिलने को किसान चाची ग्रामीण महिलाओं का सम्मान मानती हैं। राजकुमारी देवी ने कहा, 'सशक्तीकरण तभी होगा जब महिलाएं रूढ़ियों को तोड़ अपना रास्ता स्वयं बनाने लगेंगी।'

अब तक किसान चाची चालीस से अधिक स्वयं सहायता समूह बना चुकी है।

www.readwhere.com

पुलवामा में जैश से जुड़े चार लोग गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतिपोरा इलाके में सोमवार को पुलिस ने आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया, 'अवंतिपोरा पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है।'

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद आमीन, मोहम्मद रफीक, ख्रेव निवासी फयाज लोन और अवंतिपोरा निवासी मकबूल डार के रूप में की गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोग अवंतिपोरा में सक्रिय जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मदद करते थे।

जांच में पता चला कि वे अवंतिपोरा में मुठभेड़ में मारे गए कमांडर कारी यासिर और उनके सहयोगी समेत जैश ए मोहम्मद के सक्रिय आतंकवादियों को साजोसामान और आश्रय प्रदान कर रहे थे। प्रवक्ता ने कहा, 'पुलिस क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और क्षेत्र के सक्रिय आतंकवादियों का सहयोग करने में चार अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।'

राज्यसभा : सीएए और एनपीआर पर चर्चा को अड़ा विपक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने पर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी और तीन बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक दोपहर तीन बजकर करीब दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया।

एनपीआर और सीएए का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने की अनुमति देने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण तीन बार के स्थगन के बाद दोपहर तीन बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने भाजपा के भूपेंद्र यादव से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने को कहा।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने एनपीआर और सीएए का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने की अनुमति देने की मांग पर नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उन्हें चर्चा के दौरान उठा सकते हैं।

इससे पहले सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सूचित किया कि उन्हें कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, माकपा के टी के रंगराज और इलामारम करीम, भाजपा के विनय विश्वम और बसपा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने एनपीआर और सीएए पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने अपने मुद्दे उठा सकते हैं, इसके लिए शून्यकाल स्थगित करना जरूरी नहीं है।नायडू जब अपनी बात कह रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के बी के हरिप्रसाद, बसपा के सतीश चंद्र मिश्र, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, माकपा के टी के रंगराजन तथा अन्य सदस्य अपने अपने मुद्दे उठाने पर जोर देने लगे। सभापति ने कहा कि उन्होंने व्यवस्था दे दी है। इसके बाद उन्होंने दोपहर बारह बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। बारह बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद फिर वहीं स्थिति रही जिसको देखते हुए उपसभापति ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी।

दोपहर दो बजे सदन की बैठक शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने भाजपा के भूपेंद्र यादव को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने को कहा। लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, सपा के सदस्यों ने अपने स्थानों पर खड़े हो कर उनके मुद्दे उठाए जाने की मांग की और हंगामा शुरू हो गया।

एल्गार परिषद प्रकरण : 11 लोग यूएपीए और भादंसं के तहत आरोपित

पुणे, 3 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने एल्गार परिषद मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और जेल में बंद नौ व्यक्तियों समेत 11 लोगों को यूएपीए और भादंसं के प्रावधानों के तहत आरोपित किया है। कुछ दिन पहले ही केंद्र ने महाराष्ट्र का यह मामला उसे सौंपा था। आरोपियों के वकील सिद्धार्थ पटेल ने बताया कि पुणे पुलिस ने जांच के दौरान इस मामले में भादंसं की धारा 124 ए (देशद्रोह) लगाई थी लेकिन एनआइए की प्राथमिकी में ऐसा कोई आरोप नहीं है।

महाराष्ट्र के कोरेगांव भीमा में एक जनवरी, 2018 को एक युद्ध स्मारक के समीप हिंसा भड़क गई थी। उससे एक दिन पहले पुणे के शनिरवाडा इलाके में एलगार परिषद की बैठक में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया गया था। पुणे पुलिस ने दावा किया कि इस बैठक को प्रतिबंधित माओवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त था और उसने घटना के सिलसिले में सामाजिक कार्यकर्ताओं–सुधीर धावले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, सोमा सेन, अरुण फरीरा, वर्नोन गोंजालविस, सुधा भारद्वाज और वरवर राव को नक्सलियों के साथ कथित संबंध को लेकर गिरफ्तार किया। केंद्र ने 24 जनवरी को इस मामले को पुणे पुलिस से लेकर केंद्रीय एजंसी एनआइए को सौंप दी। विश्रामबाग थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

एनआइए की प्राथमिकी उसके द्वारा पुणे की विशेष अदालत में दिए गए आवेदन का हिस्सा है जिसमें जब्त डाटा, अदालत रिकार्ड और सुनवाई संबंधी ब्योरा मांगा गया है। इस प्राथमिकी में 11 लोगों को भादंसं की धाराओं 153 ए (समूहों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देना), 505 (1)(बी) (लोगों के बीच भय या घबराहट पैदा करने की मंशा या आशंका वाले कृत्य), 117 (लोगों या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना) के तहत आरोपित किया गया है।

चिन्मयानंद मामले की सुनवाई लखनऊ जिला अदालत स्थानांतरित

प्रयागराज, 3 फरवरी (भाषा)।

इलाहाबाद होई कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद मामले की सुनवाई शाहजहांपुर से लखनऊ जिला अदालत स्थानांतरित करने का सोमवार को आदेश दिया। पीड़िता ने अदालत में आशंका जताई थी कि चिन्मयानंद शाहजहांपुर की एक कद्दावर हस्ती है और वह प्रमाण को प्रभावित या उसके साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम है, इसलिए उसके गृहनगर यानी शाहजहांपुर में निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने कहा, 'निचली अदालत इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेगी और संभव हो सके तो दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करेगी। मुकदमे का निस्तारण एक साल के भीतर कर दिया जाए।'

रोजवैली की तीन कंपनियों की संपत्तियां कुर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली पोंजी घोटाले से जुड़ी एक धनशोधन जांच के सिलसिले में तीन कंपनियों की 70 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें से एक अभिनेता शाहरुख खान द्वारा प्रवर्तित आइपीएल क्रिकेट टीम से जुड़ी कंपनी भी शामिल है।

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, इन तीन कंपनियों में शामिल हैं– मल्टीपल रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेवियर्स कालेज, कोलकाता और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा कई जगहों पर जमीनें और होटल भी कुर्क किए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, 'रोज वैली समूह से धनराशि प्राप्त करने वाली विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों एवं संबंधित इकाइयों की 70.11 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियां धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थाई रूप से कुर्क की गई हैं।' तीन कंपनियों के बैंक खातों को भी कुर्क किया गया है, जो कुल 16.20 करोड़ रुपए हैं।

इसके अलावा नवीनतम आदेश के तहत पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में रामनगर और महीशदल स्थित 24 एकड़ जमीन, मुम्बई के दिलकाप चैम्बर्स स्थित एक फ्लैट, कोलकाता के न्यू टाउन में ज्योति बसु नगर स्थित एक एकड़ जमीन और रोज वैली समूह का एक होटल भी कुर्क किया गया है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) की 'कोलकाता नाइट राइडर्स' का स्वामित्व द नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है और इसके निदेशकों में अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के साथ ही अभिनेत्री जूही चावला के पति जय मेहता शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी, उसके अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ 2014 में पीएमएलए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। कुंडू को ईडी ने कोलकाता से 2015 में गिरफ्तार किया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता और भुवनेश्वर की अदालतों में कई आरोपपत्र दायर किए हैं।

हिज्बुल कमांडर से संबंधों पर पूर्व विधायक से होगी पूछताछ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) हिज्बुल मुजाहिदीन के स्वयंभू कमांडर नवीद 'बाबू' से संबंधों के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व विधायक शेख अब्दुल राशिद से पूछताछ करेगी। नवीद को जम्मू-कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, नवीद ने दावा किया है कि वह राशिद के संपर्क में था। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और 'राशिद इंजीनियर' के नाम से जाने जाने वाले राशिद ने उत्तर कश्मीर के लंगेट से 2014 विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था।

एनआइए ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों संबंधी एक मामले में नौ अगस्त को उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजंसी राशिद को समन जारी करने को लेकर पेशी वारंट हासिल करने के लिए अदालत के पास जाएगी, ताकि पूर्व विधायक के नवीद से संबंध के बारे में पूछताछ की जा सके। वह छह फरवरी तक एनआइए की हिरासत में है। नवीद को 11 जनवरी को देविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। नवीद का पूरा नाम सैयद नवीद मुश्ताक अहमद है। डीएसपी सिंह, नवीद समेत दो अन्य लोगों को कश्मीर घाटी से कथित रूप से बाहर ले जा रहा था। नवीद ने पूछताछ के दौरान कहा था कि वह एक पूर्व विधायक के लगातार संपर्क में था। अधिकारियों के मुताबिक नवीद ने दावा किया है कि उत्तरी कश्मीर में आतंकवादियों का मजबूत ठिकाना बनाने के लिए वह पूर्व विधायक के नियमित संपर्क में था और छिपने के संभावित इलाके की तलाश कर रहा था। अधिकारियों ने राशिद से पूछताछ की जरूरत को सही बताते हुए कहा कि यह निश्चित ही एक गंभीर अपराध है।

भाजपा ने हेगड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया

पेज 1 का बाकी

खबर आई थी कि महात्मा गांधी को लेकर अपने नेता अनंत हेगड़े के विवादित बयान पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कड़ी नाराजगी जताई है। पार्टी ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का किसी भी प्रकार का अपमान कतई स्वीकार्य नहीं है।हेगड़े ने बंगलुरू के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दावा किया कि आजादी की पूरी लड़ाई अंग्रेजों की सहमति एवं सहयोग से लड़ी गई थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला स्वतंत्रता आंदोलन एक नाटक था। हेगड़े के बयान को लेकर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कर्नाटक के नेता की टिप्पणी निंदनीय है और पार्टी नेतृत्व उनसे नाराज है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अपनी नाखुशी से उन्हें अवगत करा दिया है और उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में भाजपा नेता अनंत हेगड़े के कथित बयान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली चुनाव में ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट हासिल करने के लिए भाजपा के कई नेता और मंत्री भड़काऊ बयान दे रहे हैं जो देश की आत्मा पर चोट है।

शर्मा ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा–महात्मा गांधी का और आजादी के आंदोलन का इससे (हेगड़े की टिप्पणी) बढ़कर कोई अपमान नहीं हो सकता। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री और सरकार कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि इनकी नीयत में खोट है। शर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री संसद में आएं और इस मामले पर स्पष्टीकरण दें। कांग्रेस नेता ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा नेताओं के पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई का विरोध किया था और ऐसे में उनके ये बयान चौंकाने वाले नहीं है।

हेगड़े की टिप्पणी को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कट्टाग्रह पर विश्वास रखने वाले सत्याग्रह को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि ये मोदी जी का 'भारत' है जहां बापू के विचार और उनके रास्ते पर रोज हमला होता है। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो साबित हो जाएगा कि आवाज हेगड़े की है और विचार मोदी जी का है।

हेगड़े ने बंगलुरु में हुए एक कार्यक्रम में आरोप लगाया कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए कुछ बलिदान नहीं दिया, उन्होंने देश को विश्वास दिलाया कि भारत को आज़ादी 'उपवास सत्याग्रह' के ज़रिए मिली है और वे महापुरुष बन गए। 'उपवास सत्याग्रह' गांधीवादी आंदोलन का तरीका है। विवादित बयानों के लिए कुख्यात हेगड़े ने कहा, 'दो तरह के स्वतंत्रता सेनानी थे। एक जो शस्त्र में भरोसा रखते थे, दूसरे शास्त्र में।' वीडी सावरकर की याद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'स्वतंत्रता सेनानियों का एक अन्य वर्ग भी था, जो ब्रिटिशों से पूछा करता था कि स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे चलाया जाए।' स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में उत्तर कन्नड़ के सांसद ने कहा, ' आप जो कुछ भी कहेंगे, हम उसका सामंजस्य और समझ के साथ पालन करेंगे... 20-20 (क्रिकेट मैच) की तरह।' हेगड़े ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता सेनानियों के तीसरे वर्ग ने ब्रिटिशों से उनके स्वतंत्रता आंदोलन को मान्यता देने की अपील की और अनुरोध किया कि उन्हें जेल में रखा जाए।'

यूपी से चार दिन में पीएफआइ के 108 सदस्य गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

जड़ों तक जाएंगे। इनको कहां से किस जरिए से मदद मिलती थी, इसकी जांच करेंगे। हम केंद्रीय जांच एजंसियों के संपर्क में भी हैं। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पिछले चार दिनों में पीएफआइ के 108 सदस्यों को हिंसा के दौरान उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। इनमें लखनऊ में 14, बहराइच में 16, सीतापुर में 3, मेरठ में 21, गाजियाबाद में 9, मुजफ्फरनगर में 6, शामली में 7, बिजनौर में 4, वाराणसी में 20, कानपुर में 5, गोंडा, हापुड़ और जौनपुर में एक-एक पीएफआइ सदस्य शामिल हैं।

उनसे जब पूछा गया कि क्या प्रदेश पुलिस पीएफआइ को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर ईडी के संपर्क में है, इस पर उन्होंने कहा– हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और ईडी समेत तमाम एजंसियों के संपर्क में हैं। हम इस बारे में बाद में सही समय आने पर जानकारी साझा करेंगे। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवस्थी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जिसने पीएफआइ के खिलाफ इतनी तेजी और सख्ती से कदम उठाए हैं।

नशे में कैमरे के सामने नाचने वाले पार्षद को नोटिस

सूरत, 3 फरवरी (भाषा)।

मद्य निषिद्ध गुजरात में सूरत के एक भाजपा पार्षद का नशे में धुत होकर नाचने वाला वीडियो वायरल होने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है।

सूरत के भाजपा अध्यक्ष नितिन भजियावाला ने सोमवार को कहा कि पार्षद पीयूष शिवशक्तिवाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर इकाई उनके निलंबन की मांग करेगी। शिवशक्तिवाला सूरत नगर निगम में संग्रामपुरा नगरपालिका वार्ड के पार्षद हैं।

यह वीडियो वलसाड जिले के नागरोल गांव में एक फार्म हाउस में मोबाइल फोन पर शूट किया गया था। गुजरात में शराब का निर्माण, संग्रह, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। पार्षद कुछ लोगों के साथ फार्म हाउस पर जश्न मना रहे थे। इस बीच शिवशक्तिवाला ने सोमवार को पार्टी में शराब का सेवन करने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रही बोतल में फल का रस था।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'स्वास्थ्य कारणों से मेरे पास शराब पीने का परमिट है। मैं पार्टी में नाच रहा था लेकिन मैंने शराब नहीं पी थी। नाचना कोई अपराध नहीं है। मैं पार्टी को स्पष्टीकरण दे दूंगा। बोतल में शराब नहीं बल्कि फलों का रस था।' भजियावाला ने कहा कि वे भाजपा से पार्षद के निलंबन की मांग करेंगे क्योंकि गुजरात में शराब प्रतिबंधित है।

50 हिंदू परिवारों ने मांगी नागरिकता

पेज 1 का बाकी

लेकर कोई टिप्पणी करने से इंकार किया है। इससे पहले 31 जनवरी को पाकिस्तान के 200 हिंदू परिवार टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आ गए थे। इन लोगों ने भी भारत में ही रह जाने की इच्छा जताते हुए विदेश मंत्रालय को मांग पत्र भेजा है। यह लोग भारत में बसने के लिए आए हैं। इन लोगों ने वीजा अवधि खत्म होने के बाद शरण मांगने की कागजी कार्रवाई की बात कही है।

सुरक्षा एजंसियों के अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले पर्यटक वीजा को लेकर पाकिस्तान से इतने बड़े जत्थे कभी भारत नहीं आए। केंद्र सरकार द्वारा संसद में नागरिकता संशोधन कानून के पास कराने के बाद पाकिस्तान में रहने वाले कई परिवार अपने पूरे सामान के साथ वाघा सीमा के रास्ते भारत आने लगे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले जिन परिवारों के लोग वाघा सीमा के जरिए भारत में दाखिल हुए हैं, उन सभी को सरकार ने पर्यटक वीजा जारी किया है। हालांकि जिस तरह से यह लोग पैदल अपना सामान लेकर भारत में दाखिल हुए हैं, उससे यह माना जा रहा है कि ये लोग लौटने के लिए नहीं आए हैं।

अराजकतावादी और आतंकवादी में ज्यादा फर्क नहीं : जावडेकर

पेज 1 का बाकी

खालिस्तान कमांडो फोर्स कमांडर गुरिंदर सिंह के आवास पर रात भर रुकने' का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, 'आप जानते थे कि वह एक आतंकवादी का आवास है। फिर भी आप वहां रुके। आपको और कितने साक्ष्य चाहिए?' भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'केजरीवाल अब एकदम मासूम चेहरा करके सवाल कर रहे हैं कि 'क्या मैं आतंकवादी हूं?' आप आतंकवादी हैं और यह साबित करने के लिए बहुत सबूत हैं। आपने खुद ही कहा था कि आप अराजकतावादी हैं। अराजकतावादी और आतंकवादी में ज्यादा फर्क नहीं होता है।' उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) शाहीनबाग का समर्थन कर रही है, जहां 'असम को आजादी', 'जिन्ना वाली आजादी' के नारे लग रहे हैं। 'ऐसे नारों का समर्थन करना भी आतंकवाद है।'

उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के साथ खड़े रहे जहां 'भारत विरोधी नारे लगे' और (नारे लगाने वालों के खिलाफ) अभियोजन की मंजूरी भी नहीं दी। जावडेकर ने कहा, '26 जनवरी को आपने धमकी दी कि आप उनके खिलाफ अभियोजन रोक देंगे। आपको और कितने सबूत चाहिए? दिल्ली के लोगों को अब पता है कि आप झूठों के सरदार हैं, आप अराजकतावादी हैं और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं।' उन्होंने कहा, 'आप शाहीनबाग, जेएनयू, वहां हो रही नारेबाजी और ऐसे सभी अराजकतावादियों का समर्थन कर रहे हैं...तब आप निश्चित रूप से एक आतंकवादी हैं।

कोरोना वायरस के तीसरे मामले की पुष्टि

पेज 1 का बाकी

हाल ही में चीन से केरल लौटा एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। उसे अस्पताल में आइसोलेशन (अलग वार्ड) में रखा गया है। मरीज की हालत स्थिर है और उस पर करीब से नजर रखा जा रहा है। मरीज चीन में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित वुहान शहर की यात्रा पर गया था।स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को अपने संशोधित यात्रा परामर्श में लोगों से कहा कि चीन के हुबेई प्रांत में जानलेवा कोरोना वायरस के महामारी बनने के मद्देनजर वे देश की यात्रा करने से बचें। मंत्रालय ने कहा है कि पड़ोसी देश से लौटने वाले लोगों पर यात्रा (उनके घूमने-फिरने पर) प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यात्रा परामर्श रविवार को जारी हुआ था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी के मुताबिक कोरोना वायरस से जुड़ी स्थिति पर नजर रखने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। हम उन सभी एहतियाती कदमों पर बातचीत करेंगे जो वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा सकते हैं।

शाहीन बाग में संविधान और तिरंगे की आड़ में साजिश

पेज 1 का बाकी

फैसला, करतारपुर कारीडोर, तीन तलाक, उत्पीड़न के शिकार अल्पसख्यंकों के लिए सीएए लाना, शत्रु संपत्तियों के लिए कानून, एक रैंक – एक पेंशन जैसी योजननाएं शामिल हैं। इसी प्रकार पहली बार देश में 5 लाख तक की आय वालों के लिए टैक्स माफ, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, पांच लाख तक का मुफ्त इलाज, 10 करोड़ शौचालय जैसी सुविधाएं दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को लोकपाल दिया है।

दरअसल

लोकसभा में ठाकुर और वर्मा का जोरदार विरोध

पेज 1 का बाकी

रजिस्टर (एनपीआर) के विरोध में नारेबाजी की।प्रश्नकाल के दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब वित्त मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्नों का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस सदस्यों ने अनुराग ठाकुर वापस जाओ, अनुराग ठाकुर शेम शेम और गोली मारना बंद करो के नारे लगाना शुरू कर दिया। ठाकुर जब भी पूरक प्रश्नों का जवाब देने के लिए खड़े होते, विरोध में कांग्रेस सदस्य नारे लगाने लगते। पूरा प्रश्नकाल विपक्ष के शोर-शराबे और टोका-टाकी के बीच चला। विपक्षी सदस्य दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ठाकुर की एक विवादास्पद टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। उक्त टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने ठाकुर के तीन दिन तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी।

दूसरी ओर जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा चर्चा की शुरुआत करने खड़े हुए तब कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने हाल ही में एक चुनावी रैली में दिए गए उनके विवादित बयान को लेकर विरोध किया और कुछ देर बाद सदन से वाकआउट कर गए। विपक्षी सदस्यों ने उनके खिलाफ शर्म करो, शर्म करो के नारे लगाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन से बाहर कही गई बातों को उठाकर कार्यवाही बाधित करना ठीक नहीं है, इससे गलत चलन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सदस्य के रूप में वर्मा को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इसके बावजूद शोर शराबा नहीं थमा। हंगामे के दौरान ही भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। इसके बाद कांग्रेस, द्रमुक सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया ।

पिछले सप्ताह एक साक्षात्कार में व एक चुनावी रैली में विवादित बयान देने के लिए चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार से चार दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी विषय उठाने का आग्रह किया लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य पूरे समय हंगामा करते रहे और अध्यक्ष ने शोर-शराबे के बीच ही प्रश्नकाल पूरा कराया।

सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, वैसे ही कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। कई सदस्यों ने लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ और नो सीएए-एनआरसी-एनपीआर के नारे वाली तख्तियां ले रखी थीं। इस दौरान द्रमुक, सपा, बसपा और राकांपा के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर कांग्रेस सदस्यों का समर्थन करते नजर आए। विपक्ष के सदस्य-चाहिए आजादी, एनआरसी से आजादी जैसे नारे भी लगा रहे थे।

लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा-सदन में चर्चा करने से संविधान और लोकतंत्र बचेगा। आप यहां चर्चा करने के लिए आए हैं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि आप सारे मुद्दे उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 'सदस्य लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए अपने स्थानों पर जाएं।' हालांकि कांग्रेस और वामदलों के सदस्य आसन के समीप खड़े होकर ही नारेबाजी करते रहे।

प्रश्नकाल के बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाकर अध्यक्ष बिरला ने शून्यकाल शुरू कराया। उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका दिया। चौधरी ने कहा कि देश में सीएए लागू होने के बाद देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस दौरान गोली चल रही हैं

'शीर्ष नेताओं की सहमति से दिए जा रहे भड़काऊ बयान'

पेज 1 का बाकी

की राजनीति की जरूरत है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा जैसी विकराल चुनौतियों के बीच विभाजन करने वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ऐसे में विपक्षी पार्टियां देश और संविधान को बचाने की बात कर रही हैं। निचले सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए गोगोई ने कहा कि आज देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री लोगों को उकसाने वाले कुछ भी बयान दें, लेकिन अंत में जनता ही सरकार चुनती है और सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाती है।

गोगोई ने आरोप लगाया कि एक मंत्री ने उकसावे वाला बयान दिया जिसके बाद दिल्ली में एक युवक ने गोली चला दी। वह परोक्ष रूप से केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिए गए विवादास्पद बयान की ओर इशारा कर रहे थे। गोगोई ने कहा कि इसके लिए केवल मंत्री जिम्मेदार नहीं बल्कि शीर्ष पदों पर बैठे लोग भी जिम्मेदार हैं जिनकी मौन सहमति इस तरह के बयानों को देने के लिए है। अगर यह सहमति नहीं होती तो इस तरह के बयान पर बयान नहीं आते।

गोगोई ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज देश के मंत्री कह रहे हैं कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले देश के लोग ही देश के दुश्मन हैं। जबकि कांग्रेस उन्हें अपना भाई-बहन मानती है। उन्होंने सदन में चर्चा की शुरुआत भाजपा के प्रवेश वर्मा द्वारा किए जाने और इस दौरान कांग्रेस के वाकआउट का जिक्र करते हुए कहा कि हमें भी सदन से बाहर जाने में पीड़ा हुई लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिस भाजपा नेता पर चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने को लेकर प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, भाजपा ने उनसे चर्चा की शुरूआत कराई। गोगोई ने कहा कि यह चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भाजपा का रवैया दर्शाता है।

इससे पहले जब गोगोई अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सत्तापक्ष की खाली सीटों की ओर इशारा किया।

www.readwhere.com

सबरीमला : लैंगिक भेदभाव से जुड़े मुद्दों पर सवाल तय करेगा न्यायालय

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह विभिन्न धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ धार्मिक भेदभावों पर कानूनी सवाल तैयार करेगा जिनका निर्णय नौ न्यायाधीशों का पीठ करेगा। सबरीमला मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान भेदभाव के अन्य बड़े मामले उठाए गए थे।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले नौ न्यायाधीशों के पीठ ने कहा कि वह मामले में तय किए गए कानूनी मुद्दों और समय सीमा के बारे में पक्षों को छह फरवरी को सूचना देगी। पीठ इस मुद्दे पर भी गौर करेगी कि क्या पुनर्विचार के लिए विषय को बड़े पीठ को सौंपा जा सकता है।

इस पीठ में न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एमएम शांतनागौडर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन, कपिल सिब्बल, श्याम दीवान और राकेश द्विवेदी ने कहा कि पुनर्विचार के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले मुद्दों को वृहद पीठ को नहीं भेजा जा सकता।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि पुनर्विचार के मामले में संभावनाएं बहुत सीमित होती हैं और अदालत बस इतना देख सकती है कि समीक्षा के तहत फैसले में कोई स्पष्ट गलती है या नहीं। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन और रंजीत कुमार ने हालांकि दलील का विरोध किया और कहा कि सर्वोच्च अदालत मामले पर फैसले के दौरान उठे व्यापक मुद्दे को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को संदर्भित कर सकती है। पीठ ने कहा कि वह सभी मुद्दों को देखेगी और उन सवालों को तय करेगी जिसका निर्णय नौ न्यायाधीशों की पीठ को करना है।

देश में 19132 मान्यता प्राप्त, 4878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने संसद में कहा है कि देश में दो प्रकार की मदरसा शिक्षा प्रणाली के तहत संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 19132 है, जबकि 4878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी संचालित हो रहे हैं।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को राज्यसभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर बताया कि देश में सर्वाधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। राज्य में 11621 मान्यता प्राप्त और 2907 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं।

श्री बाबू सिंह दद्दू जी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज
कृष्णा नगर (भोजपुर), कानपुर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ.प्र.)
आवश्यकता है
श्री बाबू सिंह दद्दू जी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज में बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्राचार्य, उप प्राचार्य, आचार्य (प्रोफेसर), सह आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर), सहायक आचार्य (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) एवं ट्यूटर की आवश्यकता है। इण्डियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यताधारी व अनुभव के अभ्यर्थी/सेवानिवृत्त 65 वर्ष तक के अभ्यर्थी एक सप्ताह में आवेदन करें वेतन राज्य सरकार द्वारा बैंक माध्यम से देय होगा।
सचिव/प्रबन्धक

शुद्धिपत्र
इस समाचार पत्र में प्रकाशित बिक्री सूचना दिनांकित 01.01.2020 के संबंध में शुद्धिपत्र खाता **सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (परिसमापन में)" सम्पत्ति** की ई-नीलामी दिनांक **04.02.2020 को होनी थी। हम इस सम्पत्ति** की ई-नीलामी को स्थगित करते हैं।
संजय गुप्ता
'सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसी' के मामले में परिसमापक
IBBI (पंजी. सं. - IBBI/IPA-001/IP-00117/2017-18/10252)
पता : ई-10ए, कैलाश कालोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
ई-मेल : assetsale1@aaainsolvency.in, sanjaygupta@aaainsolvency.com
सम्पर्क व्यक्ति : श्री पुनीत सचदेवा / राज कुमार : +91-8800865284 / 011-46664619

CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED
CIN: L92114DL1982PLC014334
Regd. Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-2649 1320
Corp. Office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana.
Tel.: 0124-4822 222
Email: investorcare@cybermedia.co.in Website: www.cybermedia.co.in
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 12th day of February, 2020, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results, standalone and consolidated, of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2019.
The said information is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in and the websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.
By Order of the Board
Sd/-
Anoop Singh
Company Secretary
M. No. F8264
Place: Gurugram
Date: January 28, 2020

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
डीए एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL2000PTC103920)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु 06 जनवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते डीए एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
हरी प्रकाश मंगला
(निदेशक)
दिनांक: 04 फरवरी 2020
स्थान: दिल्ली
डीआईएन: 01014149

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
गोमती एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51909DL2005PTC143609)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु 06 जनवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते गोमती एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
हरी प्रकाश मंगला
(निदेशक)
दिनांक: 04 फरवरी 2020
स्थान: दिल्ली
डीआईएन: 01014149

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
लक्ष्मण एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51909DL2005PTC143610)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु 06 जनवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते लक्ष्मण एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
हरी प्रकाश मंगला
(निदेशक)
दिनांक: 04 फरवरी 2020
स्थान: दिल्ली
डीआईएन: 01014149

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (हडको),
(भारत सरकार का उपक्रम)
आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणित कम्पनी
हडको भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302005
अचल सम्पत्ति के लिये कब्जे का नोटिस
यतः "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002," की धारा 13 (2) के अधीन हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग नोटिस दिनांक 09.08.2019 को जारी करते हुए ऋणी (1) मैसर्स सरगा उदयपुर होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (पहले मैसर्स सृष्टि उदयपुर होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड) पताः- एफ-13, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, निदेशक (2) श्री धनंजय कुमार सरकार पुत्र श्री एन आर सरकार पताः डी-2 पांचवी मंजिल, दक्षिणी पार्क, साकेत प्लेस, साकेत, नई दिल्ली-110017, पताः 2/2018 डॉ अम्बेडकर नगर सेक्टर-5, नई दिल्ली, निदेशक (3) श्री विक्रम कसेरा पताः मकान नं. 7 बी तीसरी मंजिल, देवदर स्ट्रीट, बालीगुंगे सर्कस एवेन्यु, कोलकत्ता-700019, निदेशक (4) श्री सुजीत कनोरिया पुत्र श्री हरि प्रसाद कनोरिया पताः मकान न एच-7, विट्ठलकुन्ज, अन्सल विला, सतवारी, नई दिल्ली-110074 जमानतदार (5) श्री ओम प्रकाश धाभाई पुत्र श्री तेजराम धाभाई पताः- नंदभवन, एन एच 8 गोवरधन विलास, उदयपुर जमानतदार (6) श्री नारायण लाल धाभाई पुत्र श्री तेजराम धाभाई पताः नन्दभवन, एन एच 8 गोवरधन विलास, उदयपुर को बकाया राशि रुपये 14,28,89,187/- (अक्षरे रुपये चौदह करोड़ अट्ठाईस लाख नवासी हजार एक सौ सत्तासी मात्र) दिनांक 09.08.2019 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्च अतिरिक्त के भुगतान, नोटिस दिनांक से 60 दिनों के भीतर, करने की मांग की थी। ऋणी द्वारा सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी/आमजन को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त एक्ट की धारा 13 (4) व नियम 8 (1) के अधीन, अधोहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 30.01.2020 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है एवं आमजन को सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति बावत् कोई व्यवहार नहीं करे और किये गए व्यवहार पर हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रुपये 14,28,89,187/- (अक्षरे रुपये चौदह करोड़ अट्ठाईस लाख नवासी हजार एक सौ सत्तासी मात्र) दिनांक 09.08.2019 तक इसके पश्चात के ब्याज व खर्च अतिरिक्त की राशि का भार होगा।
आपका ध्यान उक्त अधिनियम 2002, की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यदि हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किये सभी लागतों, व्यवहारों और खर्चों के साथ उसके बकायों को विक्रय सूचना के प्रकाशन की तिथि के पहले हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चुकाया जाता है तो प्रतिभूति आस्ति को ऋण मुक्त करा सकते हैं। सूचित हो विक्रय सूचना के प्रकाशन के पश्चात प्रतिभूति आस्ति को ऋण मुक्त कराने का अधिकार नहीं रहेगा।
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरणः बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भूभाग के उप पट्टे में निहित अधिकार जिसका विवरणः खसरा नं. 9,27,1063/9,53,56,57,58,59,60, 1064/56, 1065/54, गोवरधन विलास, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2,41,731,.50 वर्ग फीट हैं (हडको रिकार्ड के अनुसार) जो कि मैसर्स सरगा उदयपुर होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (पहले मैसर्स सृष्टि उदयपुर होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड) के नाम से है।
चतुःसीमा-
पूर्व- 60 फीट रास्ता नक्शा अनुसार पश्चिम-आरजी नं. 66 व 64
उत्तर- आरजी नं. 1064/1063/9,1160/9 दक्षिण-100 फीट रास्ता
दिनांक- 30.01.2020
स्थान-उदयपुर
प्राधिकृत अधिकारी
हडको, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.
कॉर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
दूरभाष : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co
प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) (इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत सूचना
यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि आपका ऋण खाता प्रतिभूत लेनदार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत पता डी-3025, भूतल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-110017 (इसके पश्चात "एसएचडीएफसी" कहा जायेगा) द्वारा एनपीए घोषित किया गया है और आप अपने विरुद्ध एसएचडीएफसी के कुल बकाया को अदा करने के उत्तरदायी हैं। साथ ही आप आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित उपर्युक्त राशि पर अनुबन्ध दर से भावी ब्याज अदा करने के भी उत्तरदायी हैं। अतः, एतद्वारा हम आपसे इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देयताएँ एसएचडीएफसी को भुगतान करने के लिए कहते हैं जिसमें असफल रहने पर एसएचडीएफसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा। कर्जदारों तथा प्रतिभूत आस्तियों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र. सं.	ऋण खाता सं. कर्जदार(रों) का नाम	पता	सूचना की राशि	प्रतिभूत आस्ति
1	0FBD1606000005000524 राजेश, संजू देवी	म.नं. 22, गली नं. 2, डबुआ पाली रोड, उत्तम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121004	रु. 5,83,553/-	अरजी खेवट सं. 1308/1221, खतौनी सं. 1669/1572, एमयू सं. 43 किला सं. 9(8-0), 10/1(6-0), खतौनी नं. 1670/1553, एमयू सं. 43, किला नं. 8(5-3), वाका मौजा डबुआ, तहसील-जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121001

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 03.02.2020
अधिकृत प्राधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि.

पंजाब एंड सिंध बैंक
278/1, लोथैन रोड, कश्मीरी रोड, दिल्ली-110006
कब्जा सूचना
अचल सम्पत्ति के लिए
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारक तथा गारन्टर का नाम	गिरवी/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि	बकाया राशि
ऋणधारकः श्रीमती जी जयलक्ष्मी सह-ऋणधारक श्री गोविन्दराज पिल्लई गारन्टरः श्रीमती पूजा शर्मा	श्रीमती जी. जयलक्ष्मी तथा श्री गोविन्द राज के स्वामित्व की सम्पत्ति डी-56, एमआईजी फ्लैट, यूजी-6, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095 का सभी भाग तथा हिस्सा	29.7.2019	29.1.2020	30.6.2019 को रु. 14,01,504.95 तथा आगे का ब्याज, खर्चे एवं उस पर अन्य चार्जेज

तिथिः 29.1.2020
स्थानः नई दिल्ली
प्रधिकृत अधिकारी
पंजाब एंड सिंध बैंक

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
बी-1/3, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
टेली. नं.: 011-26714564
प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन के लिए अधिनियम 2002 के 54 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना (मांग सूचना)
एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न ऋणधारकों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं के मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा उक्त सुविधाएं गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति बन चुकी हैं। उनके अंतिम ज्ञात पते पर बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणधारकों एवं गारन्टरों को वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना जारी की गई। लेकिन, कुछ मामलों में सूचनाएं अनसर्व्ड वापस लौट आई तथा अन्य मामलों में प्राप्त नहीं की गई, अतः ऋणधारकों/गारन्टरों को सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जाता है।

ऋणधारक/सह-देनदार / पार्टनर/मार्टगैजर	चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण	एनपीए की तिथि मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
ऋणधारकः श्री सौरभ शांडिल्य पुत्र श्री कालिका नंद मिश्रा सह-देनदारः श्री महर्षि शाण्डिल्य पुत्र श्री कालिका नंद मिश्रा दोनोंः निवासीः एच. नं.-196, आर्य नगर, ग्राम सफ़ाबाद, सेक्टर-73, नोएडा-201303	फोर व्हीलर टाटा इंडिगो GLS-CNG पंजीकरण सं. UP16DT7142, इंजिन नं. 475SI71CTYP12839, चैसिस नं. MAT601636GPC08829, कलरः पी. व्हाईट	30.4.2019 3.2.2020	3.2.2020 को रु. 293861/-

उक्त ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों को सलाह दी जाती है कि इस सूचना में वर्णित राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें अन्यथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी। ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों को यह सलाह भी दी जाती है कि सूचना की प्रति प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखाओं में सम्पर्क करें।
तिथिः 3.2.2020
स्थानः नई दिल्ली
रुपेशकुमार
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी,
आन्ध्रा बैंक

Dr. Lal PathLabs Limited
(formerly Dr. Lal PathLabs Private Limited)
CIN: L74899DL1995PLC065388
Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi- 110085
Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram-122 001, Haryana
Phone: +91 124 3016500; Fax: +91 124 4234468; Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended 31st December, 2019
(Rs. in million except as stated)

S. No.	Particulars	Three months ended 31 December, 2019 (Unaudited)	Nine months ended 31 December, 2019 (Unaudited)	Corresponding Three months ended 31 December, 2018 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	3,417	10,717	3,047
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items*	734	2,651	679
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items*	734	2,651	679
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items*	549	1,950	461
5	Total Comprehensive Income for the period after tax*	550	1,961	462
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- per share)	833	833	833
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)			
	(a) Basic (In Rs.)	6.56	23.48	5.56
	(b) Diluted (In Rs.)	6.55	23.42	5.55

*Before non-controlling Interest
Notes:
i. Key numbers of the Standalone Results are as under: (Rs. in million except as stated)

Particulars	Three months ended 31 December, 2019 (Unaudited)	Nine months ended 31 December, 2019 (Unaudited)	Corresponding Three months ended 31 December, 2018 (Unaudited)
Total Income from Operations	3,237	10,297	2,947
Profit for the period before Tax	686	2,551	653
Profit for the period after Tax	511	1,879	443
Total comprehensive income	511	1,890	444

ii. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 3rd February, 2020.
iii. The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108 - 'Operating Segments', prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
iv. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the quarter and nine months ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com)
For and on behalf of the Board of Directors of
Dr. Lal PathLabs Limited
(Hony.) Brig. Dr. Arvind Lal
Chairman and Managing Director
Place: New Delhi
Date: 3 February, 2020

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.
PUBLIC ANNOUNCEMENT
STOVEKRAFT®
STOVE KRAFT LIMITED
Our Company was incorporated as Stove Kraft Private Limited on June 28, 1999 with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Bangalore, Karnataka ("RoC") as a private limited company under the Companies Act, 1956. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the extraordinary general meeting held on May 28, 2018 and the name of our Company was changed to Stove Kraft Limited. A fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the RoC on August 13, 2018. For further details in relation to the change in the name and the registered address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 137 of the Draft Red Herring Prospectus dated January 31, 2020 ("DRHP").
Registered and Corporate Office: 81/1, Medamarana Halli Village, Harohalli Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagar District, 562 112, Karnataka, India. Tel: +91 80 2801 6222; Fax: +91 80 2801 6209
Contact Person: Shashidhar SK, Chief Financial Officer, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: cs@stovekraft.com; Website: www.stovekraft.com
Corporate Identity Number: U29301KA1999PLC025387
OUR PROMOTERS: RAJENDRA GANDHI AND SUNITA RAJENDRA GANDHI
INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF STOVE KRAFT LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,450.00 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 7,163,721 EQUITY SHARES COMPRISING OF UP TO 640,906 EQUITY SHARES BY OUR PROMOTER, RAJENDRA GANDHI, UP TO 250,000 EQUITY SHARES BY OUR PROMOTER, SUNITA RAJENDRA GANDHI ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 1,311,205 EQUITY SHARES BY SEQUOIA CAPITAL INDIA GROWTH INVESTMENT HOLDINGS I ("SCI-GIH") AND UP TO 4,961,610 EQUITY SHARES BY SCI GROWTH INVESTMENTS II ("SCI", TOGETHER WITH SCI-GIH, "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS") (THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS"), AND SUCH OFFERED SHARES, THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [•]%, OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.
THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•], ALL EDITIONS OF [•] AND BENGALURU EDITION OF [•] (WHICH ARE WIDELY CIRCULATED ENGLISH, HINDI AND KANNADA DAILY NEWSPAPERS RESPECTIVELY, KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KARNATAKA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").
In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In case of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholders may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Managers and at the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.
The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and is being made in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein at least 75% of the Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") ("QIB Category"), provided that our Company and Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors at the Anchor Investor Allocation Price on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds only at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. Further, such number of Equity Shares representing 5% of the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID, in case of RIBs, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 270 of the DRHP.
This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on February 3, 2020. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. at www.edelweissfin.com and www.jmfl.com, respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The member of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company and / or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs on in relation to the offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP.
Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' on page number 18 of the DRHP.
Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.
For details of the share capital and capital structure of the Company, see "Capital Structure" on page 58 of the DRHP. The liability of the members of the Company is limited. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 137 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
Edelweiss	JM FINANCIAL	KFINTECH
Edelweiss Financial Services Limited 14th Floor, Edelweiss House, Off CST Road, Kalina Mumbai 400 098, Maharashtra, India Tel: +91 22 4009 4400; Fax: +91 22 4086 3610 E-mail: skl.ipo@edelweissfin.com Investor grievance e-mail: customerservice.mb@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com Contact Person: Disha Doshi/Amitkumar Singh SEBI Registration No.: INM0000010650	**JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030 Fax: +91 22 6630 3330 Email: skl.ipo@jmfl.com Investor grievance e-mail: grievance.ibd@jmfl.com Website: www.jmfl.com Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361	**KFin Technologies Private Limited** Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddi 500 032 Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 E-mail: stovekraft.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.
For **STOVE KRAFT LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer
Place: Bengaluru
Date: February 3, 2020
STOVE KRAFT LIMITED is proposing, subject to, applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on February 3, 2020. The DRHP shall be available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs, i.e., Edelweiss Financial Services Limited and JM Financial Limited at www.edelweissfin.com and www.jmfl.com, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 18 of the DRHP. Any decision whether to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the Red Herring Prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S. There will be no offering of the Equity Shares in the United States.
Adfactors 436

www.readwhere.com

मणिपुर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा अनियमितता मामला

सीबीआइ ने जांच के लिए दर्ज की प्राथमिकी

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने एमपीएससी द्वारा 2016 सिविल सेवा मुख्य परीक्षा कराने में कथित अनियमितता की जांच करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की है। एजंसी ने मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मणिपुर लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के अनाम अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीएससीसीई) 2016 मणिपुर लोक सेवा, मणिपुर पुलिस सेवा और संबद्ध सेवाओं के 62 पदों के लिए कराई गई थी। चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कई प्रतियोगियों के अदालत का रुख करने के बाद हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्तूबर में परीक्षा रद्द कर दी थी और सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल नवंबर में यह आदेश बरकरार रखा और एजंसी को तय समय में जांच पूरी करने का आदेश दिया था।

अधिकारियों ने बताया कि कथित अनियमितताओं की जांच करने वाली समिति ने उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षकों के हस्ताक्षर ना होने, नंबरों से छेड़खानी, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न होना, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया की अनदेखी आदि जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

कार कुएं में गिरी, पांच लोगों की मौत

सांगली, 3 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के सांगली जिले में सोमवार तड़के एक कार के कुएं में गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि आटपाडी तहसील में पारेकार वाडी गांव के निकट कार चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया जिसके बाद कार सड़क किनारे एक कुएं में जा गिरी।

रामा स्टील ट्यूब्स लि0.
पंजी. कार्यालय: बी-5, तीसरा फ्लोर, मेन रोड, गाजीपुर, नई दिल्ली-110096
CIN: L27201DL1974PLC007114
फोन: 011 43446600
ईमेल: investors@ramasteel.com
वेबसाइट: www.ramasteel.com

सूचना
सेबी (एलओडीआर), विनियमन, 2015, के विनियमन 47(1) के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ, 31.12.2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों की स्वीकृति लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, फरवरी 11, 2020 को सुबह 11:30 बजे बी-5, तीसरा फ्लोर, मेन रोड, गाजीपुर, नई दिल्ली-110096 में आयोजित की जाएगी।
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.ramasteel.com बीएसई लिमिटेड अर्थात www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
इसके अलावा, ट्रेडिंग विंडो जनवरी 1, 2020 से बंद कर दी गई थी और यह फरवरी 14, 2020 को खुल जाएगी।
कृते रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड
हस्ता/-
स्थान: नई दिल्ली (कपिल दत्ता)
तिथि: 03.02.2020 कंपनी सचिव

FRUITION VENTURE LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC058824
Regd. office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan Commercial Complex Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Tel: +91-11-47027878, Fax: +91-011-47591818
Website: www.fvl.co.in; Email: cstruitionventure@gmail.com
NOTICE
Pursuant to clause 41 of the listing Agreement, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 12th day of February, 2020 at A-21, 4th Floor, Savitri Bhawan, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009 to inter alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter & nine month ending December 31, 2019.
For and on behalf of the Board
Fruition Venture Limited
Sd/-
Place: New Delhi (Richa) CFO
Date: 03.02.2020 PAN: BQMPR4063F

COURT NOTICE
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-039466-2017
NEXT DATE: 18-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Sharif Ali @ Sharif
Publication Issued To: Sharif Ali @ Sharif Address- H.no. 693, Rukuddin Sarray Thana, Tehsil Sabnal-244302 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 18-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to :- https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

पॉल मर्चेन्ट्स लिमि.
(आइएसओ 9001:2015 प्रमाणित क्र.)
(सीआइएन:L74900DL1984PLC018679)
संयु. कार्या.: एससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022
फोन: 0172-5041786, फैक्स: 0172-5041709,
ई-मेल: info@paulmerchants.net
पंजी. कार्या: डीएलएफ 335, 336, 337, तीसरा तल, डीएलएफ टॉवर, 15, शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-48702000 वेबसाइट: www.paulmerchants.net
सार्वजनिक सूचना
सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 29 (1) (ए) के प्रावधानों की अनुपालना में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अनुसार दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित स्टैंडएलॉन और कंसोलिडेटिड वित्तीय परिणामों व सभी अन्य मामलों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए मै. पॉल मर्चेन्ट्स लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड की बैठक वीरवार, 13 फरवरी, 2020 को अपराह्न 12.00 बजे कम्पनी के संयुक्त कार्यालय पीएमएल हाऊस, एससीओ 829-830, सैक्टर 22 ए, चंडीगढ़ पर आयोजित होना अधिसूचित है। विवरण कम्पनी की वेबसाइट http://www.paulmerchants.net/ पर तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट http://www.bseindia.com/ पर भी उपलब्ध है।
दिनांक: 03.02.2020 ह./-
स्थान: चंडीगढ़ हरदम सिंह
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी,
FCS-5046

कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ए-2, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राजस्थान), फोन: 0141-2222232 फैक्स: 0141-2221961, CIN: L23201RJ1986PLC003704, ई-मेल: conpetco@gmail.com वेबसाइट: www.contol.in
सूचना
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार 12 फरवरी, 2020 को दोपहर 2:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त होने वाले त्रैमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जायेगा। पुनश्च: कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों के लेनदेन हेतु ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर 2019 के परिणाम घोषित होने के 48 घंटे तक बंद रहेगी। यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात www.contol.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
कृते कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड
स्थान: जयपुर हस्ता./-
दिनांक: 03 फरवरी, 2020 मदन लाल खण्डेलवाल (मैनेजिंग डायरेक्टर)

COURT NOTICE
In the court of Ms. Rajbinder Kaur JMIC bathinda
CNR NO.PBBT03-006351-2018
NEXT DATE: 29-04-2020
Ms Jai Agro Industries
V/s
Ms Neelkanth Agro Center
Publication Issued To :Anand Baswana Prop. Of M/s Neelkanth Agro Center, Near Police Chowki, Main Bus Stand Town, Basir, (tibbi), Distt. Hanumangarh.
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 29-04-2020 at 10:00 a.m. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Bathinda
JMIC Bathinda
Dated, this day of 30-01-2020

कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पूर्व में एमटेक इंडिया लिमिटेड विदित)
CIN: L65921HR1983PLC033789
पंजी. कार्यालयः ग्राम नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, पुराना मानेसर रोड, गुडगांव, हरियाणा-123106
कॉर्पो. कार्यालयः 3 एलएससी पम्पोश एन्क्लेव ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
Tel: +91-11-42344444, Fax: +91-11-42344400
E-mail: info@amtek.com
Web: www.amtek.com
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में श्री दिनकर टी. वैंकटसुब्रमनियन (आईपी पंजीकरण सं. IBBI/ IPA-001/ IP-P00003/ 2016-17/ 10011) (रिजॉल्यूशन प्रोफिशनल) अन्य बातों के अलावे 13 फरवरी, 2020 गुरुवार को 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन करेंगे।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट तथा बीएसई की वेबसाईट अर्थात http://www.bseindia.com तथा एनएसई अर्थात https://www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।
कैस्टेक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड के लिये (कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के अधीन कम्पनी)
ज्योति शर्मा
कम्पनी सचिव
श्री दिनकर तिरुआनंदपुरम वेंकटसुब्रमणियन (प्रस्ताव कर्मी) की स्वीकृति से जारी
आईपी पंजीकरण सं. IBBI/ IPA-001/ IP-P00003/ 2016-17/10011)
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 03.02.2020

CRANEX LIMITED
CIN: L74899DL1973PLC006503
Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, Opposit Qutab Hotel, New Delhi -110016
Works: 57/1, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad-201010, Distt. Ghaziabad (U.P.)
Ph: 0120-3240427, 4167626
Fax: 91-120-4167630
Website: www.cranexltd.com
Email: cranex1@yahoo.com, info@cranexltd.com
NOTICE
In Compliance of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday,14th February, 2020 at 04:00 P.M. at the Corporate Office of the Company at 57/1, Industrial Area, Site IV, Sahibabad - 201010 (UP) to consider and approve, inter-alia, the Unaudited Financial Results of the Company for the Third quarter ended 31st December, 2019.
The trading window of the Company had been closed from the end of the quarter i.e. w.e.f from 1st January, 2020 and will re-opening on 17th February, 2020.
The said notice may be accessed on the Company's website at www.cranexltd.com and may also be accessed on the Stock Exchange at www.bseindia.com
By Order of the Board
For Cranex LIMITED
Sd/-
Place: New Delhi Prakash Kedia
Date: 03.02.2020 Compliance Officer

NOTICE
Notice is hereby given that the following 38 & C forms issued by M/s Key Stone Developers Pvt Ltd have been misplaced and not traceable. If found, inform to the Key Stone Developers Pvt Ltd, C-56/9, Sector-62, Noida.

S. No.	Form-38 No.	S. No.	Form-38 No.	S. No.	Form-38 No.
1	3480634	25	135009	49	1476392
2	1541940	26	186332	50	1476393
3	1228619	27	186338	51	1476407
4	2677730	28	241028	52	1476418
5	7156834	29	611189	53	1476422
6	2692848	30	835516	54	1476435
7	3103948	31	1016997	55	1476446
8	8662	32	1225325	56	1476447
9	8663	33	1225326	57	1867028
10	432605	34	1225328	58	1867032
11	587955	35	1265328	59	1867039
12	732649	36	1265329	60	1867042
13	748451	37	1265330	61	1867091
14	880749	38	1572601	62	1867105
15	880750	39	136048	63	1867850
16	989820	40	224227	64	1867853
17	343329	41	4976529	65	1867855
18	396166	42	1644422	66	1867858
19	453357	43	1262699	67	1867860
20	453358	44	1262724	68	1867874
21	453359	45	1264240	S. No.	Form-C No.
22	549025	46	1475254		
23	44381	47	1475262	1	112329
24	67655	48	1476391		

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED
CIN: L24241UP1981PLC005282
Regd. Office: 51/47, Nayaganj, Kanpur-208001
Email: kellmp@yahoo.com
Website: www.khandelwalextractions.com
Notice available at: www.bseindia.com
NOTICE OF BOARD MEETING
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 12th February, 2020 at its registered office inter-alia, to consider and approve the Un-audited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2019.
For Khandelwal Extractions Limited
Place: Kanpur Surabhi Pasari
Date: 03.02.2020 (Company Secretary)

SUPER TANNERY LIMITED
CIN No.: L19131UP1984PLC006421
Regd. Office: 187/170, Jajmau, Kanpur - 208 010 (U.P.)
Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792,
Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com
NOTICE OF BOARD MEETING
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 4:00 PM, on Saturday, 14th February, 2020 at its registered office inter-alia, to consider and approve the Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December 2019.
For Super Tannery Limited
Sd/-
Place:- Kanpur R.K. Awasthi
Date:- 31.01.2020 (Company Secretary)

मैक्स हाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजी. कार्या.: एसडी-65, टॉवर अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
फोन: 011-27314646
CIN: L67120DL1981PLC179487
वेबसाइट: www.maxheights.com
ईमेल आईडी: info@maxheights.com
सूचना
सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 और 33 के अनुसार, सूचना प्रदान की जाती है कि, 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को दोपहर 3:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एसडी-65, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 में आयोजित की जायेगी।
आगे ध्यान दें कि, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी, 2020 से बंद कर दी गई थी और वित्तीय परिणामों की घोषणा से 48 घंटे तक बंद रहेगी।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.maxheights.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
कृते मैक्स हाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली वंदिता अरोड़ा
तिथिः 04.02.2020 कंपनी सचिव

"फार्म नं. आइएनसी-25ए"
सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 के विषय में
और
जानकी न्यूजप्रिंट लिमिटेड (CIN: U21011DL2000PLC153452) जिसका पंजीकृत कार्यालय वी-2389, छटा शाहजी, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006 है
आवेदक
सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ऐसे बदलाव को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 31.01.2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने की इच्छुक है और कंपनी ने उपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है।
कंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित उत्तरी निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड़, दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को डिलीवर कर सकते है जिसकी प्रति नीचे वर्णित आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजनी है:
हिते एवं कृते आवेदक
जानकी न्यूजप्रिंट लिमिटेड,
ह./- सुमित गर्ग,
तिथिः 31.01.2020 प्रबंध निदेशक,
स्थानः दिल्ली DIN: 00974680

इण्डियन ओवरसीज बैंक
फरीदाबाद शाखा 1सी-47/48, एनआईटी, फरीदाबाद-121001 दूरभाष : (0129) 2415202, फैक्स : (0129) 2415916
शुद्धिपत्र
यह विज्ञापन 29.01.2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी) दिल्ली एनसीआर संस्करण में प्रकाशित किया गया था। इसमें ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें क्रम सं. 4 पर "फोटो, पैन कार्ड तथा पते के प्रमाण सहित ईएमडी एवं केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियाँ सेवा प्रदाता तथा अधिकृत प्राधिकारी के पास 28.05.2019 को 17 बजे पूर्व जमा करना" त्रुटिवश प्रकाशित हो गया था, कृपया इसे "फोटो, पैन कार्ड तथा पते के प्रमाण सहित ईएमडी एवं केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियाँ सेवा प्रदाता तथा अधिकृत प्राधिकारी के पास 17.02.2019 को 17 बजे पूर्व जमा करें" पढ़ा जाए। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
स्थान : फरीदाबाद, दिनांक : 03.02.2020 अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

एलायन्स इन्टीग्रेटेड मैटालिक्स लिमिटेड
CIN: L65993DL1989PLC035409
पंजी. कार्या.: डी-15, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली-DL 110048
Phone: +91-11-45210051
E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com
Website: www.aiml.in
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर अभिलेख में लिये जाएंगे।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट https://www.aiml.in तथा बीएसई की वेबसाईट http://www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।
एलायन्स इन्टीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली महेश ओचानी
तिथिः 3.2.2020 निदेशक

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
मंगला बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U70100DL2000PTC105365)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरैन्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु 06 जनवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते मंगला बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
हरी प्रकाश मंगला
दिनांकः 04 फरवरी 2020 (निदेशक)
स्थानः दिल्ली डीआईएनः 01014149

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
मंगला फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1996PTC082704)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरैन्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु 06 जनवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय डी-11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते मंगला फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
हरी प्रकाश मंगला
दिनांकः 04 फरवरी 2020 (निदेशक)
स्थानः दिल्ली डीआईएनः 01014149

एक्वांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड
CIN: L31401DL2011PLC271394
पंजीकृत कार्यालयः ई-8/1, शिवा मीरा नगर सचिव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
कॉर्पोरेट कार्यालयः 3D फ्लोर, प्लॉट नं. 19 व 20, सेक्टर-142, नोएडा-201304
फोनः 0120 4531400 ईमेलः [illegible]
वेबः www.pkigroup.in
सूचना
दिनांक 29 जनवरी, 2020 को जनसत्ता पत्र के विज्ञापन के संदर्भ में, शुक्रवार, 14 फरवरी 2020 को सुबह 10:30 बजे कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नं. 19 व 20, सेक्टर-142, नोएडा-201304 (यू.पी.) में आयोजित बोर्ड बैठक के संबंध में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, अब 10:30 पूर्वा. में कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नं. 19 व 20, सेक्टर-142, नोएडा-201304 (यू.पी.) की बजाय 11 ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही (Q3) और नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकॉर्ड करना है। (www.pkigroup.in और www.bseindia.com पर जाएं।)
बोर्ड के आदेश से
कृते एक्वांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड
हस्ता/-
स्थानः नोएडा सर्वेश डोडी
तिथिः 03.02.2020 ए.वी.पी (कॉर्पोरेट अफेयर्स) एवं कंपनी सचिव

DCM LIMITED
पंजी. कार्यालयः विक्रांत टावर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
CIN: L74899DL1889PLC000004
फोनः (011) 41539170,
ईमेल आईडीः investors@dcm.in
वेबसाइटः www.dcm.in
सूचना
सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन्स, 2015, समय-समय पर संशोधित, के विनियमन 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की अगली बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को, अन्य मामलों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ महीने के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकॉर्ड पर लेने के लिए आयोजित की जाएगी।
इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.dcm.in) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट(ों) पर भी उपलब्ध होगी।
कृते डीसीएम लिमिटेड
हस्ता/-
स्थानः नई दिल्ली विपिन प्रसाद गुप्ता
तिथिः 03.02.2020 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED
CIN : L35911HR1965PLC004485
Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana
Corporate Office: Hotel Novotel & Pullman, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi - 110037
Telephone: +91 11 45504550, Fax: +91 11 45504551
Website: www.jaispring.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, notice is hereby given that meeting no. 4/2019-20 of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday , February 12, 2020 at 01:00 P.M. at Hotel Novotel & Pullman, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi – 110037, to inter-alia, consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2019 along with other matters.
Further, in terms of provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Code of Conduct for insider trading & fair disclosure, the trading window which is closed from January 01, 2020 shall remain close till February 14, 2020 for all designated employees and their dependent family members for dealing in securities of the company.
The above details are also available on the website of the Company viz. www.jaispring.com and also on the website of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com
For Jamna Auto Industries Limited
Sd/-
Place: New Delhi Praveen Lakhera
Date: February 03,2020 Company Secretary & Head-Legal

केआरए लिजिंग लिमिटेड
CIN: L65993DL1990PLC039637
E: kraleasing1990@gmail.com;
W: www.kraleasing.com
पंजीकृत कार्यालय: सी-20, एसएमए को-आपरेटिव इन्डस्ट्रियल इस्टेट, जी टी करनाल रोड, दिल्ली-110033
कारपोरेट कार्यालयः प्लॉट न० 3, सेक्टर-11 आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम 122050 हरियाणा
दूरभाष: 0124-4746817
सूचना
सेबी के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत एवं रिकार्ड में ग्रहण करने एवं अन्य व्यवसाय कार्यसूची हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को सायं 03:00 बजे कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय **प्लॉट न० 03, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुड़गाँव-122050, हरियाणा** में आयोजित की जायेगी।
"कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सुनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने प्रश्न/कार्यसूची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल मे अपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी के साथ शेयर धारित संख्या के साथ **kraleasing1990@gmail.com** पर आमंत्रित है।"
मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.kraleasing.com** एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट **www.msei.in** पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेशानुसार
कृते केआरए लिजिंग लिमिटेड
हस्ता०/-
मुकेश कुमार
कम्पनी सचिव कम अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: 56016
पता: आरजेड 6सी/322 मदनपुरी, पश्चिमी सागरपुर नई दिल्ली-110046
स्थान: गुरूग्राम
तिथि: 03.02.2020

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Regd. off.: Tinna House, No. 6 Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi – 110030.
Phone: 011-49518530 • Fax: 011-26807073
Email: investor@tinna.in Web: www.tinna.in
CIN L51909DL1987PLC027186
NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 14th February, 2020, at the Registered Office of the company, inter-alia, to consider and approve the Standalone & consolidated unaudited Financial results of the Company for Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2019.
The information contained in this notice is also available on Company's website at www.tinna.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com
For Tinna Rubber And Infrastructure Limited
Place : New Delhi Vaibhav Pandey
Date: 03.2.2020 Company Secretary

सनराइज डिस्टिलरीज लिमिटेड
CIN No. L15511DL1985PLC021272
पंजी. कार्यालयः 3/14 ए, 01ला तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 फोनः +011-27132054
ईमेलः sunrisedistillerieslimited@gmail.com
वेबसाइट : www.sunrisedistilleries.com
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को 12.00 बजे अप. में 3/14ए, 1ला तल, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर अभिलेख में लिये जाएंगे तथा एजेंडा के अन्य मदों पर विचार किए जाएंगे।
कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को आमंत्रित किया जाता है कि यदि आगामी बैठक में विचार किये जाने के लिये उनका कोई प्रश्न हो तो धारित शेयरों की संख्या के साथ अपने नाम, पते, फोलिओ नं./डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी के साथ बोर्ड की बैठक से पूर्व वर्ड फाइल में अपना प्रश्न sunrisedistillerieslimted@gmail.com पर भेजें।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.sunrisedistillerieslimited.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् www.msei.com पर उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेश से
सनराइज डिस्टिलरीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थानः दिल्ली कमल जैन डूगर
तिथिः 3.2.2020 (प्रबंध निदेशक)
डीआईएनः 06825945
पताः 7, प्रिय दर्शनी विहार, पार्ट-2, विजय नगर डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड
CIN NO: L65923DL1984PLC019608
पंजी. कार्यालयः 3/14 ए, प्रथम तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009, सम्पर्क नंबरः 011-27132054
ई-मेल आईडी:efficientindustrial@gmail.com
वेबसाइटः www.efficientindustrial.in
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी 2020 को 1.00 बजे अप. में 3/14ए, 1ला तल, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर तथा एजेण्डा के अनुसार अन्य व्यवसायों विचार अनुमोदन कर अभिलेख में लिये जाएंगे।
कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को आमंत्रित किया जाता है कि यदि विचार किये जाने के लिये उनका कोई प्रश्न/एजेण्डा हो तो धारित शेयरों की संख्या के साथ अपने नाम, पते, फोलिओ नं./डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी के साथ बोर्ड की बैठक से पूर्व वर्ड फाइल में अपना प्रश्न efficientindustrial@gmail.com पर भेजें।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.efficientindustrial.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् www.msei.com पर उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेश से
एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
प्रियंका बिश्त
कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी
स्थानः दिल्ली सद. सं. 57950
तिथिः 3.2.2020 पताः सी-103, बृज विहार, चन्दर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011

LUMAX
ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंस भवन-II, कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 दूरभाष: 011-49857832
ईमेल: shares@lumaxmail.com
वेबसाइट: www.lumaxworld.in/lumaxautotech
सीआईएन: L31909DL1981PLC349793
सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 47 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य - आलिया, 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही एवं नौ माह के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी 2020 को किया जाएगा।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxautotech और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com व बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी।
इसके अतिरिक्त मनोनित व्यक्तियों द्वारा विनियमित, निगरानी तथा ट्रेडिंग रिपोर्ट करने के लिए आचरण संहिता के अनुसरण में, स्टॉक एक्सचेंज को तीसरी तिमाही तथा 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त नौ माह के अनऑडिटेड वित्तीय परिणाम सूचित करने/घोषणा करने बाद, कंपनी के शेयरों का कारोबार करने हेतु 'ट्रेडिंग विंडो' 1 जनवरी, 2020, बुधवार से बंद कर दी गई है तथा वह 48 घंटे तक बंद रहेगी।
कृते ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
स्थान: गुरुग्राम अनिल त्यागी
दिनांक: 03.02.2020 कंपनी सचिव

INDIAN SUCROSE LIMITED
CIN: L15424PB1990PLC010903
Registered Office: G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211
Phone: +91-9115110651/52/53
Website: www.muksug.com,
Email: yaducare@gmail.com,
isl.investor@yaducorporation.com
NOTICE CALLING BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29(1) (a) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, (" LODR Regulations") Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company, will be held on **Friday, the 14th Day of February 2020 at 4:00 P.M.** at registered office G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211 at inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results along-with limited review report for the quarter ended 31st day of December, 2019 and to transact all other business with the permission of the chair.
Further, in terms of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 and Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the "Trading Window" for trading in the shares of the Company as already intimated was remain closed for all Designated Persons (as defined in the Code) from 1st January, 2020 till 48 hours after the announcement of Un-audited financial results for the quarter ended 31st December, 2019 of the Company to Stock Exchange.
By Order of the Board of Director
For Indian Sucrose Limited
Sd/-
Place: Punjab Anamika Raju
Date: 03.02.2020 (Company Secretary)

न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 981, अग्रवाल मिलेनियम, टॉवर-II, नेताजी सुभाष प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, वजीरपुर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034
दूरभाष: 011-69999350
CIN: L67120DL1984PLC018800
Email ID: neweraleasingfinance@gmail.com
Website: www.neweraleasingfinance.com
बोर्ड की बैठक की अग्रिम सूचना
सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1) (ए) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड में ग्रहण करने साथ में सीमित समीक्षा हेतु न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड ("दि कम्पनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 981, अग्रवाल मिलेनियम, टॉवर-II, नेताजी सुभाष प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, वजीरपुर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034 में मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जानी तय की गई है।
कृते न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड
हस्ता०/-
तिथि: 4 फरवरी, 2020 रास बिहारी शर्मा
स्थान: नई दिल्ली (प्रबन्ध निदेशक)

इंडिया फिनसेक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः डी-16, प्रथम फ्लोर, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085
CIN: L65923DL1994PLC060827,
फोनः 011-47096097
वेबसाईटः www.indiafinsec.com,
ई-मेल आईडीः indiafinsec@gmail.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (ए) तथा 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया फिनसेक लिमिटेड के निदेशक मंडल की 9/2019-20 बैठक बुधवार, 12.2.2020 को 12.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें 31.12.2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणाम तथा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
विवरणों के लिए वेबसाईट http://www.indiafinsec.com/investorsinfo/ एवं http://www.bseindia.com देखें।
इंडिया फिनसेक लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थानः दिल्ली वर्षा भारती
तिथिः 3.2.2020 कम्पनी सचिव

बीएलबी लिमिटेड
(CIN: L67120DL1981PLC354823)
हाउस नं. 4760-61/23, तीसरा फ्लोर, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
ईमेल आईडीः- csbib@bibimited.com, वेबसाइटः- www.bibimited.com
सूचना
सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015, के विनियम 47 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात हाउस नं. 4760-61/23, तीसरा फ्लोर, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 में अन्य बातों के साथ, 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट पर विचार तथा मंजूरी हेतु निर्धारित की जाएगी है।
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.bibimited.com पर और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट(ों) पर भी उपलब्ध है।
कृते और उनकी ओर से
बीएलबी लिमिटेड
हस्ता/-
(वर्षा यादव)
स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव
दिनांक: 03.02.2020 M. No. A39192

AMIN TANNERY LIMITED
CIN No.U19115UP2013PLC055834
Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P.)
Ph. No.: +91 512 2304077,
Email: share@amintannery.in, Web: www.amintannery.in
NOTICE OF BOARD MEETING
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 5:00 PM, on Saturday, 14th February, 2020 at its registered office inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December 2019.
For Amin Tannery Limited
Sd/-
Place:- Kanpur Arti Tiwari
Date:- 31.01.2020 (Company Secretary)

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
(भारत सरकार का उद्यम)
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 (भारत)
निविदा सं. आईटीपीओ/आईटीएसडी/ऑनलाइन एफएस-1/2020 दिनांकः 30.01.2020
निविदा आमंत्रण सूचना
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) द्वारा विदेशी कार्यक्रम प्रबंधन के लिए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर के विकास एवं रखरखाव के लिए दो निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 19.02.2020 (अप. 3.00 बजे) है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया आईटीपीओ की वेबसाइट www.indiatradefair.com या www.eprocure.gov.in देखें।
हस्ता./-
महाप्रबंधक (आईटी)

कीमिया बायोसाइंसेस लिमिटेड
(पूर्व में लॉरल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड)
पंजी. कार्यालयः ग्राम भोण्डसी, तहसील सोहना, गुड़गाँव-122102, हरियाणा
ई-मेलः laurelorganicslimited@gmail.com,
वेबसाईटः www.laurel.co.in,
CIN: L24239HR1993PLC032120,
टेली.: 011-47063600, फैक्सः 011-47063601/02
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक अन्य बातों के अलावे 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही तथा नौ माही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन) पर विचार, अनुमोदन तथा अभिलेख पर लेने के लिये 974, 9वां तल, अग्रवाल मिलेनियम टावर-II, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034 में कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. में आयोजित की जाएगी।
इस सिलसिले में सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों के साथ पठित इन्सायडर ट्रेडिंग के लिये कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की इक्विटी शेयरों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (उनके निकटतम संबंधी सहित) द्वारा कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 1 जनवरी, 2020 से बंद है जो स्टॉक एक्सचैंज के लिये 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन) की घोषणा के बाद 48 घंटे की पूर्णता तक बंद रहेगी।
उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.laurel.co.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
कीमिया बायोसाइंसेस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
समीर गोयल
नई दिल्ली अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3 फरवरी, 2020 (DIN: 00161786)

स्टैण्डर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
8/28, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सीआईएन : L74899DL1987PLC027057
दूरभाष नं. : 011-28759592
ई-मेल आईडी : stancap.delhi@gmail.com
सूचना
आपको सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुपालन में 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिये मै. स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल की अगली बैठक 8/28, डब्ल्यूईए, 2 रा तल, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 को 5.00 बजे अप. में अनुसूचित है।
पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में इन्सायडर ट्रेडिंग रोकथाम के लिये कम्पनी द्वारा अपनाई गई आचार संहिता के अनुसार सभी निदेशकों/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/इन्सायडरों द्वारा कम्पनी की इक्विटी शेयरों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो 4 फरवरी, 2020 से 13 फरवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बन्द हैं।
स्टैण्डर्ड कैपिटल मार्केट्स लि. के लिये
हस्ता./-
घनश्याम प्रसाद गुप्ता
स्थान : नई दिल्ली (प्रबंध निदेशक)
तिथि : 03.02.2020 डीआईएन : 00287019

IDBI BANK
(CIN-L65190MH2004GOI148838)
आईडीबीआई बैंक लि.
रिटेल रिकवरी, 1ला तल, विडियोकॉन टावर, ई-1, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055
फोनः 011-66083006, 01166083065
[(नियम 8(1)] कब्जा सूचना
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत इंडियन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.3.2018 जारी कर ऋणधारकों श्री ज्योति कुमार एवं सुश्री अनुपमा कुमार को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.3.2018 को रु. 46,59,367.98/- (रुपये छियालिस लाख उन्सठ हजार तीन सौ सड़सठ एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 29 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.3.2018 को रु. 46,59,367.98/- (रुपये छियालिस लाख उन्सठ हजार तीन सौ सड़सठ एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
सम्पत्ति का विवरण
उस पर विद्यमान सभी भवनों तथा संरचनाओं तथा वहाँ की भूमि से जुड़ी कोई भी प्लान्ट एवं मशीनरी अथवा भूमि से जुड़ी किसी भी स्थाई प्रकृति की वस्तु के साथ 20वें तल, ब्लॉक नं. 15, यूनीटेक हॉरीजन, प्लॉट नं. 06, सेक-पीआई-2, एलिस्टोनिया ईस्टेट ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में फ्लैट से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
तिथि: 29.1.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा आईडीबीआई बैंक लि.

AJANTA SOYA LIMITED
CIN L15494RJ1992PLC016617
Regd. Office & Works : SP-916, Phase-III, Industrial Area, Bhiwadi-301 019, Rajasthan
Tel.: 911-6176727, 911-6128880;
Corp. Office : 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi - 110 034
Tel: 011-42515151, Fax : 011-42515100,
Email : cs@ajantasoya.com
Website: www.ajantasoya.com
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 13th February, 2020 to inter-alia consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019.
The above information is also available on the website of the Company at www.ajantasoya.com and also on the website of stock exchange i.e. www.bseindia.com.
For Ajanta Soya Ltd
Sd/-
Place: New Delhi Kapil
Date: 03.02.2020 Company Secretary

वाणी कमर्शियल्स लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 'आस्था', एलपी-11सी, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 फोन: 011-27324080,
CIN: L74899DL1988PLC106425
वेबसाइटः www.vanicommercials.com
ईमेल आईडीः info@vanicommercials.com
सूचना
सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 और 33 के अनुसार, सूचना प्रदान की जाती है कि, 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को दोपहर 03:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी।
आगे ध्यान दें कि, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी, 2020 से बंद कर दी गई थी और वित्तीय परिणामों की घोषणा से 48 घंटे तक बंद रहेगी।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.vanicommercials.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
कृते वाणी कमर्शियल्स लिमिटेड
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली रितिका छाबड़ा
तिथिः 03.02.2020 कंपनी सचिव

GOODLUCK
गुडलक इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
वेबसाइटः www.goodluckindia.com
ईमेलः goodluck@goodluckindia.com
CIN : L74899DL1986PLC050910
सूचना
सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही/नौ माह के लिए कंपनी अलेखापरीक्षित समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकार्ड पर लेने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी 2020 को कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जायेगी।
इस सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com और बीएसई की और एनएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।
मंडल के आदेशानुसार
कृते गुडलक इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
(महेश चन्द अग्रवाल)
स्थान: गाजियाबाद निदेशक
तिथि: 03.02.2020 डीन:00292437

www.readwhere.com

सियाचिन में 2019 में छह सैन्यकर्मी हताहत

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने सोमवार को बताया कि सियाचिन क्षेत्र में हिमपात और हिमस्खलन की वजह से साल 2019 में छह सैन्यकर्मी हताहत हुए। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सियाचिन क्षेत्र में हिमपात और हिमस्खलन की वजह से साल 2019 में छह सैन्यकर्मी हताहत हुए। लेकिन इस वर्ष 24 जनवरी 2020 तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। नाइक ने बताया कि अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात और हिमस्खलन के कारण 2019 में सेना के 11 जवान हताहत हुए। इस तरह की घटनाओं में अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में 24 जनवरी 2020 तक सेना के छह जवान हताहत हुए हैं। उन्होंने बताया कि हताहतों के परिजन के लिए निर्धारित लाभों का अक्तूबर 2019 तक हुई दुर्घटनाओं के लिए भुगतान किया जा चुका है।

संघर्षविराम उल्लंघन की 2335 घटनाएं

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने सोमवार को बताया कि जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर 30 मई 2019 से 20 जनवरी 2020 तक संघर्षविराम उल्लंघन की 2335 घटनाएं हुई हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

रक्षा मंत्रालय में दो लाख से अधिक पद रिक्त

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने सोमवार को स्वीकार किया कि रक्षा मंत्रालय में दो लाख से अधिक पद रिक्त हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN - L17111UP1988PLC009594
पंजी० कार्यालयः पवन पुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०) – 201206
Website: www.sybly.com
Email: sybly@rediffmail.com
संपर्क सूत्र– 01232 - 261765

सूचना

सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध प्रतिज्ञापत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम–2015 के विनियम 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही की अवधि के कम्पनी के अलेखापरिक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों व अन्य विषयों पर विचार करने एवं स्वीकृत करने हेतु शुक्रवार, 14 फरवरी 2020 को पंजीकृत कार्यालय पर होगी। उक्त सूचना व अलेखापरिक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.sybly.com व स्टाक एक्सचेंज BSE की वैबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
हस्ताक्षर
स्थानः मुरादनगर (सागर अग्रवाल), कम्पनी सचिव
दिनांकः 03.02.2020 एवं अनुपालन अधिकारी)

स्पेस इंक्यूबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि०
CIN : L17100UP2016PLC084473
पंजी० कार्यालयः पवन पुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०) – 201206
वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com
ई–मेलः spaceincubatrics@gmail.com
संपर्क सूत्र– 01232 - 261288

सूचना

सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध प्रतिज्ञापत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम–2015 के विनियम 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही की अवधि के कम्पनी के अलेखापरिक्षित स्टैंडअलोन एवं कन्सोलिडेटेड वित्तीय परिणामों व अन्य विषयों पर विचार करने एवं स्वीकृत करने हेतु शुक्रवार, 14 फरवरी 2020 को पंजीकृत कार्यालय पर होगी। उक्त सूचना व अलेखापरिक्षित स्टैंडअलोन एवं कन्सोलिडेटेड वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com व स्टाक एक्सचेंज BSE की वैबसाइटः www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते स्पेस इंक्यूबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि०
हस्ताक्षर
(सुखबू सिंघल)
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्थानः मुरादनगर
दिनांकः 03.02.2020

PUBLIC ANNOUNCEMENT

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, COURT-V, NEW DELHI
Company Application No. IB-388/ND/2020
Under Section 59(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
In the matter of
M/s Tri Vision Trading Pvt. Ltd. (In Liquidation)

An application under section 59(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 for Voluntarily Liquidation was presented by Liquidator on 24.01.2020 and the said petition is fixed for hearing before the Bench of **National Company Law Tribunal-V, New Delhi on 05.03.2020**. Any claim of creditors or opposing the said application should be send to the Liquidator of Company, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the Liquidator of the Company not later than two days before the date fixed for the hearing of an application. Where he seeks to oppose an application, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of an application will be furnished by the undersigned to any person requiring the same.

Sd/-
Anup Kumar
Liquidator of M/s Tri Vision Trading Pvt. Ltd.
Regd. No. IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911
734, Lawyers Chamber Block, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054
Email: sachanlawanalyst@gmail.com
Mob: 9811622913, 8929015290
Dated: 03.02.2020

G. K. CONSULTANTS LIMITED
Regd. Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110 065
Tel : +91-11-26489431
Fax : +91-11-26489299
Web: www.gkconsultantsltd.com
CIN : L74140DL1988PLC034109

NOTICE

In terms of provisions of Regulation 47(1)(a) in read with Regulation 29(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, the 11th February, 2020 at 3.30 P.M.** at the Registered Office of the Company to consider and to take on record the Quarterly Unaudited Financial Results as on 31st December, 2019 pursuant to the Regulation 33 of LODR Regulations.

By order of the Board
G. K. CONSULTANTS LIMITED
Sd/-
CS. Shilpa Verma
Place : New Delhi Company Secretary
Date : 03.02.2020 FCS: 10105

फार्म नं. आईएनसी–26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
मंगला इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U63022DL1998PTC091850)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी–11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली–110085 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु 06 जनवरी 2020 को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय डी–11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली–110085 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजें।

कृते मंगला इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
हरी प्रकाश मंगला
दिनांक 04 फरवरी 2020 (निदेशक)
स्थानः दिल्ली डीआईएनः 01014149

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 5, सैक्टर – 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक की निम्नलिखित प्रतिभूतियों के शेयर सर्टिफिकेट खो गए/गुम हो गए हैं तथा इन शेयरों के धारक ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बैंक को आवेदन किया है। कोई व्यक्ति जो इन शेयरों के बारे में दावा रखता हो, अपना दावा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच–2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, नई दिल्ली – 110058 के पास इस दिनांक के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा बैंक आगे कोई सूचना दिए बिना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की कार्यवाही करेगा।

डीओसी सं.	फोलियो सं.	शेयर धारक का नाम	शेयर प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या	शेयर की संख्या
3865	00464701	के एक ए सिक्योरिटीज प्रा. लि.	523041	180303901 - 180304000	100

स्थान : गुरुग्राम महाप्रबंधक
दिनांक : 03.02.2020 मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग

PNB GILTS LTD
पीएनबी गिल्ट्स लिमि.
CIN : L74899DL1996PLC077120
पंजीकृत कार्यालय : 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23325759, 23325779, फैक्स : 011-23730537, 23325751
ई-मेल : pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइट : www.pnbgilts.com

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 47 के अनुसरण में, एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि **पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड** ("कम्पनी") के निदेशक मण्डल की बैठक **मंगलवार, 11 फरवरी, 2020** को होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ कम्पनी के **31 दिसम्बर 2019** को समाप्त तिमाही और नौ माह के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर अनुमोदित किया जाएगा।

इस सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट **www.pnbgilts.com** और बीएसई की और एनएसई की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
हस्ता०/–
(मोनिका कोचर)
स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव
दिनांक : 03.02.2020

Bharat Rasayan Limited
Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008.
CIN: L24119DL1989PLC036264
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 14, 2020, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.bharatgroup.co.in and may also be accessed on the Listed Stock Exchange website at http://www.nseindia.com

Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from February 3, 2020 to February 16, 2020 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduct of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insiders framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

For BHARAT RASAYAN LIMITED
Sd/-
New Delhi, (NIKITA CHADHA)
February 3, 2020 Company Secretary

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली–110091
टेली.: 0120–2516447/95, फैक्सः 0120–2516440
CIN No.: L45101DL1996PLC315772
ई–मेलः ntbcl@ntbcl.com, वेबसाईटः www.ntbcl.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य बातों के अलावे विचार तथा अनुमोदन के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 को आयोजित होगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.ntbcl.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट http://www.besindia.com तथा http://www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड के लिये
तिथिः 03.02.2020 हस्ता./–
स्थानः नई दिल्ली गगन सिंघल (कम्पनी सचिव)

Kothari Fermentation and Biochem Ltd.
CIN: L72411DL1990PLC042502
Regd. Office: 16, Community Centre, First Floor, Saket, New Delhi-110017
Tel: 011-26850004, Fax: 011-41664840, E-Mail: info@kothariyeast.in, Website: www.kothariyeast.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, the 11th day of February, 2020** at the Registered Office of the Company, *inter-alia*, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2019.

This information is also available on the website of the Company at www.kothariyeast.in and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

For KOTHARI FERMENTATION & BIOCHEM LIMITED
Sd/-
Place: New Delhi Kavita Tanwar
Date: 03/02/2020 Company Secretary

FIEM INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office : D-34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi-110015 (INDIA)
Tel.: +91-11-25927919 / 7820, Fax: +91-11-25927740, E-mail : investor@fiemindustries.com
Website : www.fiemindustries.com, CIN : L36999DL1989PLC034928

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, February 13, 2020** at 2.30 p.m. at the Corporate Office of the Company situated at Plot No. 1915, Rai Industrial Estate, Phase-V, Distt. Sonipat, Haryana, inter-alia, to consider and approve the standalone and consolidated Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and period ended December 31, 2019.

The said Notice will also be available at the Company's website www.fiemindustries.com, and websites of stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Fiem Industries Ltd.
Date: 03.02.2020 Arvind K. Chauhan
Place: Rai, Haryana Company Secretary

विकास ईकोटेक लिमिटेड
(पूर्व में विकास ग्लोबल लाइन लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : विकास अपार्टमेंट्स, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026
CIN: L65999DL1984PLC019465
Ph.: 011-43144444, Fax: 011-43144488
E-mail: cs@vikasecotech.com, URL : www.vikasecotech.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 को 12.00 बजे दोपहर में विकास अपार्टमेन्ट्स, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026 में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही तथा नौ माही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

बोर्ड के बैठक की सूचना इन्वेस्टर जोन टैब–कॉर्पोरेट एनाउन्समेन्ट्स हेड के अंतर्गत कम्पनी की वेबसाइट www.vikasecotech.com तथा एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेश से
हस्ता./–
स्थान : नई दिल्ली (पूजा वनजानी)
तिथि : 3.2.2020 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड
सीआईएन : L25111DL1995PLC073719
पंजीकृत कार्यालय : जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026
दूरभाष नं. : 011-40450110,
ई-मेल : cs@vikasmulticorp.com, URL: www.vikasmulticorp.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिए अन्य बातों के साथ–साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक **बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को 04:00 बजे** इसके पंजीकृत कार्यालय विकास अपार्टमेन्ट्स, जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 पर आयोजित की जाएगी।

बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.vikasmulticorp.com** तथा एक्सचेंजों की वेबसाइट **www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com** पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./–
स्थान : नई दिल्ली गौरव अग्रवाल
तिथि : 03.02.2020 (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

फार्म संख्या-आईएनसी-26

[कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष
उत्तरी क्षेत्र

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) एव कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के मामले में

एवं

एलसाईवन कनसल्टेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एन-76, भूतल बाटला हाऊस, जामिया नगर, नई दिल्ली डीआई 110025 आईएन ....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है के कम्पनी की 25.01.2020 को सम्पन्न विशेष समान्य साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरन्डम ऑफ एसोसियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टिकरण हेतु एक आवेदन प्रस्तावित है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "एनसीटी ऑफ दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदला जा सके।

किसी भी व्यक्ति का कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से हित प्रभावित होता हो तो वह अपने विरोध आधारों के स्वभाव को बताते हुए शपथ पत्र द्वारा समर्थित **या तो एमसीए-21 के पटल पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में अथवा कारण अथवा पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेजे, साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पते एन-76, भूतल बाटला हाऊस, जामिया नगर, नई दिल्ली डीआई 110025 आईएन याचिकाकर्त्ता को भी भेजे।

आवेदक की ओर उनके लिए
हस्ता०/–
गौरव प्रकाश गुप्ता
(निदेशक)
तिथि: 04.02.2020
स्थान : दिल्ली

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड
सीआईएन : L17300DL1995PLC107286
पंजी. और कार्पो. कार्यालय : ए–48, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110052
फोनः 011-27373622;
ई–मेलः srusteels@yahoo.in
वेबसाइटः www.srusteels.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, **14 फरवरी, 2020** को ए-48, पहली मंजिल वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110052 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जिसमें निम्नलिखित लेन-देन व्यवसायों के लिए अंतर।

क. 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों को रिकॉर्ड अनुमोदन करने और लेने के लिए।

ख. कुर्सी की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता के संदर्भ में, ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना (यानि मंगलवार, जनवरी 01, 2020 तक कंपनी की प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए पार्टी एट(48) यदि बोर्ड की बैठक की तारीख) पोस्ट एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

तदनुसार, व्यापारिक विंडो **बुधवार, जनवरी 01, 2020 से रविवार 16 फरवरी, 2020** (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.srusteels.in** तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड
हस्ता./–
शालू गर्ग
दिनांक : फरवरी 03, 2020 कंपनी सचिव एवं
स्थान : नई दिल्ली अनुपालन अधिकारी

apis
एपिस इंडिया लिमिटेड
CIN: L51900DL1983PLC164048
पंजी. कार्यालयः 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008
टेलीः 011-43206650 | फैक्सः 011-25713631
ईमेलः mail@apisindia.com
वेबसाइटः www.apisindia.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, **14 फरवरी, 2020** को 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जिसमें निम्नलिखित लेन-देन व्यवसायों के लिए अंतर।

क. 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) को रिकॉर्ड अनुमोदन करने और लेने के लिए।

ख. कुर्सी की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता के संदर्भ में, ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना (यानि बुधवार, जनवरी 01, 2020 तक कंपनी की प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए पार्टी एट(48) यदि बोर्ड की बैठक की तारीख) पोस्ट एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

तदनुसार, व्यापारिक विंडो बुधवार, जनवरी 01, 2020 से रविवार 16 फरवरी, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.apisindia.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

एपिस इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
अमित आनंद
दिनांकः फरवरी 03, 2020 (प्रबंध निदेशक)
स्थानः नई दिल्ली डीआईएनः 00951321

महान फूड्स लिमिटेड
CIN: L15419HP1987PLC007356
पंजी. कार्यालयः एम–19, 1ला तल, एम–ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048
ईमेलः sanjeevgoyal@mahaanfoods.com; वेबसाईटः www.mahaanfoods.com,
फोनः 011–43107200, फैक्सः 011–43107250

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 10 फरवरी, 2020 को 4.30 बजे अप. में एम–19, 1ला तल, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश पार्ट–II, नई दिल्ली–110048 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9 के अनुसार इन्सायडर ट्रैडिंग निषेध के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए ट्रेडिंग विण्डो जो पहले से ही बंद है, उक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी। उक्त सूचना का विवरण कम्पनी की वेबसाईट **www.mahaanfoods.com** पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
महान फूड्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
स्थानः नई दिल्ली आयुषी विजय
तिथिः 3.2.2020 कम्पनी सचिव–सह–अनुपालन अधिकारी
एम. नं. ए 55853

ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली के समक्ष
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम–1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना।

ओ.ए. सं. 225/2019 के मामले में

पंजाब नैशनल बैंक आवेदक

बनाम

मैसर्स जगदम्बा इंजी. वर्क्स एण्ड एएनआर. प्रतिवादी

सेवा में,

डी–1 मैसर्स जगदम्बा इंजीनियरिंग वर्क्स एकमात्र प्रोपराइटरशिप फर्म इसके एकमात्र प्रोपराइटर निवासी प्लॉट सं. 39, खसरा नं. 30/7, ब्लॉक सं. ए, निकट 66 फुट रोड, गली नं. 4, इण्डस्ट्रियल एरिया, लिबासपुर, दिल्ली–110042 के माध्यम से

डी–2 श्री सनी चौहान पुत्र श्री रिछपाल सिंह एकमात्र प्रोपराइटर, मैसर्स जगदम्बा इंजीनियरिंग वर्क्स, निवासी 31, लुहार मोहल्ला, निकट पॉवर हाउस, ग्राम खेड़ा कलाँ, दिल्ली–110093

जबकि उपर्युक्त नाम के आवेदक ने आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और जबकि यह अधिकरण की सन्तुष्टि तक प्रदर्शित है कि अपको सामान्य ढंग से यह सूचना देनी सम्भव नहीं है। अतः विज्ञापन द्वारा आपको इस अधिकरण में 09.03.2020 को 10.30 बजे प्रातः उपस्थित होने का निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है।

ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला लिया जायेगा।

01 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित।

अधिकरण, सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी–III, नई दिल्ली के आदेशानुसार

परीक्षा फिन–इन्वेस्ट–लीज लिमिटेड
[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1994PLC057377]
पंजी. कार्यालय : 7–बी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली– 110017
फोन : 0120–4152766, 4193799, वेबसाइट : www.pfil.in
ई–मेल – pariksha.delhi@gmail.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार 12 फरवरी 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही / अवधि हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.pfil.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है।

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
हस्ता./
(श्रीधी जैन)
दिनांकित : 03–02–2020 कम्पनी सेक्रेटरी
स्थान : गाजियाबाद सदस्यता सं. : एफसीएस–8418

प्रपत्र आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार–पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में

तथा

टाइम्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीपी–156, प्रथम तल, मौर्या एन्कलेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110088 पर है .... याचिकाकर्ता

याचिका की सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य'' से ''महाराष्ट्र राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए 31 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में पारित संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

94, शुभम अपार्टमेंट्स, प्लॉट सं. 37, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–110092

कृते टाइम्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
ह./–
निरंजन गोपाल महाजन
तिथि : 4 फरवरी, 2020 निदेशक
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 06722341

RELIGARE रेलिगेयर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1984PLC146935
पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल, राजलोक बिल्डिंग, 24 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
दूरभाष : +91–11– 4627 2400, क फैक्स नं. : +91–11– 4627 2447
वेबसाइट : www.religare.com, ई–मेल : investerservices@religare.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के स्टैण्डअलोन एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य बातों के साथ–साथ विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को आयोजित की जायेगी।

पुनः, सेबी सूचीबद्धता विनियम 46 के अनुसार उपर्युक्त बैठक के विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.religare.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।

कृते रेलिगेयर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
ह./–
तिथि : 04 फरवरी, 2020 रीना जयारा
स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव

प्रपत्र जी
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण
[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	सम्पन ट्रेडक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	12-03-2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान सख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन : U70102DL2013PTC249338
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : दुकान नं. 2542, भूतल, गली नं. 7, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली–110005
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	30-07-2019 (अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा आदेश 30-09-2019 को प्राप्त हुआ)
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	04-02-2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है :	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों हेतु पात्रता rp.sampan@gmail.com; या ajaygupta1969@gmail.com पर ई–मेल द्वारा प्राप्त की जा सकती है
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध हैं :	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता मानदण्ड निम्नलिखित वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं : http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	09-02-2020
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	12-02-2020
12.	अस्थायी सूची को आपत्तियाँ जमा करन की अन्तिम तिथि	17-02-2020
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	20-02-2020
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	14-02-2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन आव्यूह, सूचना ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति	भारतीय ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 3बी(1) के सन्दर्भ में समाधान योजना हेतु मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा निवेदन प्राप्त करने के पात्र समस्त समाधान आवेदक(कों) को इसे समाधान आवेदक(कों) द्वारा गोपनीयता के शपथ–पत्र जमा करने के पश्चात उपबन्ध सं. 21 में प्रावधानित के अनुसार इसे ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	15-03-2020
17.	समाधान प्रोफेशनल हेतु समाधान योजना जमा करने की रीति	सम्भावित समाधान आवेदक(कों) को सर्वप्रथम rp.sampan@gmail.com अथवा ajaygupta1969@gmail.com के माध्यम से अपनी पात्रता मानदण्ड के समर्थन में दस्तावेजों सहित अपनी रुचि की अभिव्यक्ति जमा करनी अपेक्षित है। ईओआई निम्नलिखित को सम्बोधित डाक/कोरियर द्वारा भी जमा की जा सकती है : अजय गुप्ता, सम्पन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में समाधान प्रोफेशनल, फ्लैट सं. 1004, एस्पायर 2, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, 9वीं मंजिल, सेक्टर–93ए, नोएडा–201304 ईओआई पर विचार करने के पश्चात समाधान प्रोफेशनल द्वारा शार्टलिस्ट किये गये सम्भावित समाधान आवेदक आरपी से समाधान योजना हेतु आवेदन की प्राप्ति के पश्चात ऊपर उपबन्ध 16 में उल्लिखित के अनुसार समाधान योजना(ओं) को जमा करने की अन्तिम तिथि को या इससे पूर्व (अर्थात 01.03.2020 को या इससे पूर्व) ई–मेल द्वारा या दस्ती/डाक द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में उपर्युक्त पते पर समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान योजना(एँ) जमा करेंगे।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	25-03-2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	अजय गुप्ता आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई–मेल	नाम : अजय गुप्ता, पता : 7–ए, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पॉकेट–बी, नई दिल्ली–110014 ई–मेल : ajaygupta1969@gmail.com
21.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	नाम : अजय गुप्ता पता : फ्लैट सं. 1004, एस्पायर 2, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, 9वीं मंजिल, सेक्टर–93ए, नोएडा–201304. ई–मेल आईडी : ajaygupta1969@gmail.com, rp.sampan@gmail.com
22.	अधिक विवरण अग्रलिखित पर या इसके साथ उपलब्ध है	नाम : अजय गुप्ता समाधान प्रोफेशनल ई–मेल : ajaygupta1969@gmail.com, rp.sampan@gmail.com
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि	04-02-2020

नोट : कॉर्पोरेट देनदार के सीआईआरपी की पूर्णता हेतु 180 दिन की समय–सीमा 26.03.2020 को समाप्त होगी। किन्तु सीआईआर प्रक्रिया की पूर्णता हेतु 90 दिन की समय–सीमा विस्तार का निर्णय माननीय एनसीएलटी द्वारा उचित समय पर किया जायेगा।

ह./–
अजय गुप्ता
तिथि : 04–02–2020 समाधान प्रोफेशनल
नई दिल्ली सम्पन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में (सीआईआरपी के अधीन)
आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
पता : 7-A, Sidhartha Extension, Pocket-B, New Delhi-110014
ई–मेल : ajaygupta1969@gmail.com, rp.sampan@gmail.com
मोबाइल : 09871277445

फार्म नं. आईएनसी–26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
प्रिसिशन स्टॉक एंड क्रैडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1995PTC068267)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी–11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली–110085 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु 06 जनवरी 2020 को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय डी–11, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली–110085 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजें।

कृते प्रिसिशन स्टॉक एंड क्रैडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
हरी प्रकाश मंगला
दिनांक 04 फरवरी 2020 (निदेशक)
स्थानः दिल्ली डीआईएनः 01014149

इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड
Indraprastha Apollo Hospitals
पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली–मथुरा रोड, नई दिल्ली–110076
कारपोरेट पहचान नं. : L24232DL1988PLC030958,
फोनः 91-11-26925858, 26925801, फैक्सः 91-11-26823629
ई.मेल : imcl@apollohospitals.com, वेबसाइट : delhi.apollohospitals.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम के विवरण का सार

राशि (₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित)		समाप्त नौमाही (अनअंकेक्षित)		समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
1	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2105.06	1962.62	6307.97	5879.91	7586.30
2	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	136.92	111.42	399.89	336.21	446.21
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	136.92	111.42	399.89	336.21	446.21
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	106.78	71.20	371.29	212.77	284.13
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(अवधि का) (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है)]	106.88	68.00	361.39	206.78	283.01
6	चुकता शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.10/– प्रति)	916.73	916.73	916.73	916.73	916.73
7	पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दिखाए रिज़र्व के अनुसार (रिवेल्यूएशन रिज़र्व को छोड़कर)					1523.63
8	आय प्रति शेयर (मूल्य रु.10/–प्रति) (जारी और बंद संचालनों के लिए) मूलभूत एवं डाइल्यूटिड	1.16	0.78	4.05	2.32	3.10

उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। कंपनी के 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली पी. शिवाकुमार
दिनांक: 3 फरवरी, 2020 (प्रबंध निदेशक)

BRAND REALTY SERVICES LTD.
Regd.Off: S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-1, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 Landline: (91)-11-22755819
CIN: L74899DL1995PLC064237, PAN: AABCS3166R,
GST (DELHI) 07AABCS3166R1ZT, (UP) 09AABCS3166R1ZP

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Third Quarter ended December 31, 2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended		Nine Months ended
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Total Income from Operations	24.95	(5.08)	32.27
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.49)	(28.29)	(50.57)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.49)	(28.29)	(50.57)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.49)	(28.29)	(50.57)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Othe Comprehensive Income (after tax)]	(16.49)	(28.29)	(50.57)
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	300.44	300.44	300.44
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)			
1. Basic :	(0.55)	(0.94)	(1.68)
2. Diluted:	(0.55)	(0.94)	(1.68)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the unaudited standalone financial Results for the Third quarter ended December, 31, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Third quarter ended December, 31, 2019 is available on the Stock Exchanges' website (**www.bseindia.com**) and Company's website (**www.brandrealty.in**).
2. Previous year/ period figures have been rearranged and regrouped wherever necessary to make them comparable with current period figures.
3. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 03rd February, 2020.
4. These financial results have been prepared in accordance with Ind-AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment thereafter.

For Brand Realty Services Ltd
Sd/-
Place: Delhi KAMAL MANCHANDA
Date : 03rd February, 2020 WHOLE TIME DIRECTOR
DIN: 00027889

www.readwhere.com

चीन : दस दिन में बना अस्पताल, कोरोना प्रभावितों की भर्ती शुरू

बेजिंग, 3 फरवरी (एपी)।

चीन में फैले जानलेवा कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में बनाए गए विशेष अस्पताल में सोमवार को मरीजों की भर्ती शुरू हो गई।

चीन के वुहान शहर से ही इस वायरस की शुरुआत हुई है और यहां के लोगों के उपचार के लिए ह्यूओशेनशान अस्पताल बनाया गया है। 1500 बिस्तरों वाले इस अस्पताल के निर्माण के लिए निर्माण दल दिन रात काम में लगा हुआ है। शहर की आबादी एक करोड़ 10 लाख है और संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लोगों के कहीं भी आने जाने पर रोक है।

वुहान में उपचार केंद्र का युद्धस्तर पर निर्माण ऐसा दूसरा मामला है जब देश में किसी बीमारी के लिए दिन रात एक करके विशेष अस्पताल बनाया गया है। इससे पहले 2003 में सार्स फैला था और इससे निपटने के लिए मरीजों के लिए एक सप्ताह में उपचार केंद्र बनाया गया था। सरकारी मीडिया के अनुसार सोमवार सुबह 10 बजे अस्पताल में मरीजों का पहला जत्था पहुंचा। हालांकि मरीजों की स्थिति और उनकी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकारी समाचार एजंसी शिन्हुआ ने बताया कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' ने वुहान अस्पताल के लिए 1400 चिकित्सक, नर्स तथा अन्य कर्मी भेजे हैं। सरकार ने कहा कि इनमें से कुछ को सार्स तथा अन्य प्रकोप से निपटने का अनुभव है। शिन्हुआ के मुताबिक ह्यूओशेनशान अस्पताल का निर्माण सात हजार बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य विशेषज्ञों के दल ने किया है। दूसरी ओर चीन में ऐसे यात्रियों की तलाश की जा रही है जो कोरोना वायरस का केंद्र बन चुके वुहान से आए हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि अवकाश से लौट रहे सभी व्यक्ति अपनी यात्रा के ब्यौरे को दर्ज करवाएं। उत्तरी शिजियाजुआंग शहर के एक जिले में बीते दो हफ्ते में वुहान से आए लोगों की जानकारी देने वालों को 2,000 युआन नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। कई स्थानों पर मध्य हुबेई प्रांत से आने वालों को प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा है। बीजिंग के एक नजदीकी इलाके में एक सुरक्षा गार्ड से हुबेई से लौटने वाले स्थानीय लोगों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, 'आप यहां के रहने वाले हैं तब भी आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते। हुबेई से आने वाले लोग संक्रमण अपने साथ ला सकते हैं। अगर आप हुबेई से हैं तो आपको पड़ोसी समिति को इसकी जानकारी देनी होगी।' घातक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुरक्षात्मक चिकित्सा उपकरणों की चीन को तत्काल आवश्यकता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ

व्यवस्था एक करोड़ दस लाख आबादी के ह्यूओशेनशान अस्पताल में हैं 1500 सौ बिस्तर

कोरोना पर अमेरिकी प्रतिक्रिया दहशत पैदा करने वाली : चीन

खबर कोना

लंदन में बाफ्टा फिल्म समारोह में फिल्म 'जोकर' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी के साथ जोक्विन फीनिक्स।

ग्रेटा थनबर्ग नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित

कोपेनहेगन, 3 फरवरी (एपी)।

स्वीडन के दो सांसदों ने अपने देश की किशोरी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है।

स्वीडन की लेफ्ट पार्टी के जेन्स होम और हाकन स्वेनेलिंग ने सोमवार को कहा कि थनबर्ग ने 'जलवायु संकट पर नेताओं का ध्यान खींचने के लिए कड़ी मेहनत की है' और उत्सर्जन में कटौती के लिए कार्य तथा पेरिस समझौते के अनुपालन के लिए काम करना भी शांति के लिए काम करना है।' 2015 के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते में धनी और गरीब दोनों तरह के देशों से वैश्विक तापमान में कमी लाने वाले उपाय करने को कहा गया है। थनबर्ग (17) ने छात्रों को स्कूल छोड़कर जलवायु परिवर्तन पर तेजी से कार्रवाई करने की मांग वाले प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। कोई भी सांसद किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है और नॉर्वे की संसद के तीन सदस्यों ने पिछले वर्ष थनबर्ग को नामांकित किया था।

हैरी, मेगन का सुरक्षा खर्च उठाने से कनाडा के लोगों ने इनकार किया

मोंट्रियल, 3 फरवरी (एएफपी)।

कनाडा के अधिकतर लोगों का मानना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में बस चुके प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल की सुरक्षा के लिए उनके देश को भुगतान नहीं करना चाहिए। इस बारे में स्पष्ट बहुमत सामने आया है। सीटीवी के लिए नानोस रिसर्च ने जिन लोगों से बात की उनमें से 77 फीसदी ने कहा कि कनाडा के करदाताओं को ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स के लिए खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि वे कनाडा में महारानी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं रह रहे हैं। केवल 19 फीसदी कनाडाई लोगों ने कहा कि ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का खर्च उनके देश द्वारा वहन करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हैरी और मेगन की सुरक्षा का खर्च कौन वहन करेगा इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कनाडा के प्रशासन ने यह संकेत दिया है कि इस बारे में चर्चा चल रही है। इस सर्वेक्षण में कनाडा के एक हजार से अधिक लोगों से बात की गई।

प्रधानमंत्री पद के लिए अल्लवी के नामित किए जाने का विरोध

बगदाद, 3 फरवरी (एपी)।

इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने निवर्तमान प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी का स्थान लेने के लिए पूर्व संचार मंत्री मोहम्मद अल्लावी को चुने जाने का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्लावी को खारिज किए जाने के कारण नामित प्रधानमंत्री के सामने महीनों से चल रही असैन्य अशांति सुलझाने को लेकर पेश आने वाली चुनौतियां और बढ़ गई हैं। इस बीच, शुरुआत में विद्रोहियों को समर्थन देने वाले शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र का झुकाव राजनीतिक प्रतिष्ठान की ओर हो जाने से प्रदर्शनकारियों के बीच भी फूट पड़ गई है। दरअसल, अल-सद्र ने अल्लावी का समर्थन किया था और मौजूदा सरकार ने अगले प्रधानमंत्री के लिए उन्हें ही चुना है, जिसके कारण शिया धर्मगुरु के रुख में बदलाव आया है। अल-सद्र ने राजधानी और देश के दक्षिण में मौजूद प्रदर्शनकारियों में शामिल अपने अनुयायियों से कहा कि वे सड़कों को बंद न करें और सामान्य स्थिति बहाल करें। इससे नाराज कुछ प्रदर्शनकारियों को लगता है कि अल-सद्र ने उन्हें धोखा दिया है और वह राजनीतिक हित प्राप्त हासिल करना चाहते हैं। प्रतिद्वंद्वी दलों ने कई महीनों की चर्चा के बाद राजनीतिक गतिरोध दूर करते हुए निवर्तमान महदी का स्थान लेने के लिए शनिवार को अल्लावी (66) को नामित किया था।

पाक की चीन से आने वाले विमानों को हरी झंडी

इस्लामाबाद, 3 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तान ने कोरोना वायरस प्रभावित चीन से आने वाले विमानों को सोमवार को हरी झंडी दिखा दी। इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सोमवार सुबह चीन से आए दो विमान उतरे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2 फरवरी को कोरोना वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी थी। इसकी चपेट में आकर अभी तक 361 लोगों की मौत हुई है और 17,205 मामलों की पुष्टि हुई है।

पाकिस्तान नागर विमानन प्राधिकरण (पीसीसीए) के अनुसार चीन के उरुमची शहर से 'चाइना सदर्न एयरलाइंस' की दो उड़ानें 'सीजेड6007' और 'सीजेड5241' इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरीं। चीन द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को मेडिकल किट मुहैया कराने की बात कहे जाने के एक दिन बाद इन उड़ानों को यहां उतरने की अनुमति दी गई। अधिकारियों ने बताया कि दोहा से कतर एयरलाइंस का एक विमान भी चीन से कम से कम 40 पाकिस्तानी छात्रों को यहां लेकर पहुंचा, क्योंकि चीन से पाकिस्तान की सीधी विमान सेवाएं बंद थी। स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री के सहायक जफर मिर्जा इस दौरान हवाईअड्डे पर मौजूद थे और यात्रियों के आगमन तथा अनिवार्य जांच पर नजर रख रहे थे। मिर्जा ने ट्वीट किया, 'आज सुबह इस्लामाबाद हवाईअड्डे पर था... पाकिस्तान में चीनी राजदूत एचई के साथ चीन से आए यात्रियों का स्वागत किया। हमने 'एयरपोर्ट एसओपी' के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण किया और मैंने यात्रियों से भी बात की।'

वियतनाम की राजधानी हनोई में सोमवार को पारंपरिक धार्मिक पोशाक के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनी महिला।

अफगान में समर्पण करने वाले आइएस आतंकियों में भारतीय भी शामिल : रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र, 3 फरवरी (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान प्रशासन के समक्ष पिछले साल समर्पण करनेवाले इस्लामिक स्टेट के एक धड़े के 1,400 से ज्यादा आतंकवादियों में कुछ भारतीय भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति ने पिछले साल इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांट-खोरासन (आइएसआइएल-के) का नाम काली सूची में डाल दिया था। आइएसआइएल, अलकायदा और संबद्ध लोगों तथा संगठनों से जुड़ी प्रतिबंध निगरानी टीम की 25वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान सुरक्षाबलों और तालिबान आतंकवादियों ने आइएसआइएल-के को बहुत नुकसान पहुंचाया तथा नांगरहार प्रांत के बड़े इलाके से उसे खदेड़ दिया। जनवरी 2020 रिपोर्ट में कहा गया है, 'आइएसआइएल-के से जुड़े आतंकियों पर निर्भर लोगों सहित 1,400 से ज्यादा लोगों ने अफगान अधिकारियों के सामने समर्पण किया है जिनमें अधिकतर लोग अफगान नागरिक थे लेकिन उनमें अजरबैजान, कनाडा, फ्रांस, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान के भी नागरिक थे।' हालांकि, इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों के नागरिकों की संख्या के बारे में नहीं बताया है।

बुर्किना फासो में जिहादी हमले में 18 की मौत

औगाडौगू, 3 फरवरी (एएफपी)।

उत्तरी बुर्किना फासो में संदिग्ध जिहादियों के हमले में 18 आम नागरिकों की मौत हो गई है।

एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि सेनो प्रांत के लाम्दामोल गांव में शनिवार को मोटरसाइकिलों पर आए सशस्त्र हमलावरों ने स्थानीय निवासियों की हत्या की। देश के उत्तर में एक सप्ताह पहले भी इसी प्रकार के हमले हुए थे। इससे पहले सोम प्रांत में 25 जनवरी को हुए हमले में 39 आम नागरिक मारे गए थे। डोरी शहर में एक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मारे गए लोगों में प्रमुख नर्स भी शामिल है जो लाम्दामोल गांव की रहने वाली थी। अधिकारी ने बताया कि गांव और आस-पास के इलाके के लोग घबराए हुए हैं और इलाका छोड़कर जा रहे हैं।

हांगकांग में चीनी सीमा बंद करने के लिए हड़ताल

हांगकांग, 3 फरवरी (एएफपी)।

हांगकांग के सैकड़ों चिकित्साकर्मियों ने कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए चीन के साथ लगने वाली सीमा को बंद करने की मांग को लेकर सोमवार को अपना काम ठप कर दिया। वहीं कई महत्वपूर्ण कर्मचारियों ने आने वाले दिनों में भी यह हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। आर्थिक केंद्र माने जाने वाले हांगकांग में बीमारी के 15 मामले सामने आए हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर चीनी मुख्य भूभाग से आए लोग हैं, जहां से यह महामारी शुरू हुई है। अधिकारियों का तर्क है कि ऐसा करना भेदभावपूर्ण, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सलाह के खिलाफ जाने वाला होगा।

बांग्लादेश : चीन के लिए 'वीजा ऑन अराइवल' रोका

ढाका, 3 फरवरी (भाषा)।

बांग्लादेश ने चीनी नागरिकों के लिए 'वीजा ऑन अरावइल' सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और निर्देश जारी किया है कि देश में चल रही परियोजनाओं के लिए चीनी नगारिकों की भर्ती न की जाए। चीन में घातक कोरोना वायरस फैलने के बाद बांग्लादेश ने यह निर्णय किया है। 'बीडी न्यूज' के मुताबिक, बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने रविवार को बताया कि सरकार ने बांग्लादेश में रह रहे चीनी नागरिकों से अगले एक महीने तक अवकाश पर नहीं जाने का आग्रह किया है, जबतक कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल लागू है। विदेश मंत्री के हवाले से खबर में कहा गया है, 'हमने यह भी आग्रह किया है कि बांग्लादेश में चल रही मौजूदा परियोजनाओं में किसी भी चीनी नागरिक की भर्ती नहीं की जाए।'

28 जनवरी तक जारी किए जा चुके थे 1.4 करोड़ फास्टटैग

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने सोमवार को कहा कि फास्टटैग जागरूकता कार्यक्रम सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से चलाया जा रहा है तथा इस वर्ष 28 जनवरी तक 1.4 करोड़ से अधिक फास्टटैग जारी किए जा चुके थे।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जुलाई 2019 में यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर एक दिसंबर 2019 से एक लेन को छोड़कर सभी लेनों को शुल्क प्लाजा की फास्टटैग लेन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाद में इस अवधि को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया।

गडकरी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआइ) के अनुरोध और नागरिकों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया कि 25 फीसद फास्टटैग लेनों को अस्थायी रूप से 15 दिसंबर 2019 से अगले 30 दिनों के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के अनुमोदन के साथ हाईब्रिड लेन में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद एनएचआइ के केवल 65 शुल्क प्लाजाओं पर 15 जनवरी 2020 से 30 दिनों के लिए फास्टटैग फीस लेन की घोषणा से संबंधित शर्तों में ढील देने का निर्णय किया गया ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।

गडकरी ने कहा कि इन 65 शुल्क प्लाजाओं को इस अवधि के दौरान सभी शुल्क लेने के 25 प्रतिशत तक हाइब्रिड (नकद सह फास्टटैग) लेन के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गयी है। बाकी शुल्क प्लाजाओं के लिए यह व्यवस्था जनादेश के अनुसार लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस साल 28 जनवरी तक 1.4 करोड़ से अधिक फास्टटैग जारी किए जा चुके हैं।

तैयारी अमदाबाद में सर्जिकल मास्क बनाने में जुटीं महिलाएं। कोरोना संक्रमण के बढ़े खतरे के कारण देश में बढ़ी मांग के बीच भारत ने संक्रमण से बचाने वाले हर तरह के मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बच्चों के खुले बोरवेल में गिरने की घटनाओं पर केंद्र, राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है जिसमें देश में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने और मरने की घटनाओं को लेकर कदम उठाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया गया है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने अधिवक्ता जीएस मणि की याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गई जिसमें 2010 में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया गया है ।पीठ ने याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया। मणि ने याचिका में न्यायालय से यह आग्रह भी किया कि वह केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों से इस बारे में रिकॉर्ड तलब करे कि उन्होंने शीर्ष अदालत के अगस्त 2010 के निर्देशों के अनुपालन में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन खुले बोरवेल को बंद करने में प्रशासन की विफलता के चलते लोग परेशान हैं क्योंकि इनकी वजह से देश में अनेक मौतें हुई हैं। संबंधित घटनाओं का ब्योरा देते हुए याचिका में कहा गया कि इस तरह का पहला मामला 2006 में प्रकाश में आया था जब एक बोरवेल में गिरे बच्चे को सेना ने बचाया था। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में तमिलनाडु में हुई घटना का भी जिक्र किया जिसमें एक खुले बोरवेल में गिरने से तीन वर्षीय बच्चे सुजीत की मौत हो गई थी।

पीछा करने वाले ने युवती को जिंदा जलाया

नागपुर, 3 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक कालेज में पढ़ाने वाली 25 वर्षीय युवती को एक युवक ने सोमवार सुबह जिंदा जला दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी उसका पीछा करता था।

पुलिस ने बताया कि वर्धा के दारोदा गांव निवासी पीड़िता 40 फीसद झुलस गई है। उसे नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां वो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी विकेश नगराले (27) दो साल पहले पीड़िता का दोस्त था। बाद में पीड़िता ने उससे संबंध खत्म कर लिए थे। हिंगनघाट पुलिस थाने के निरीक्षक सत्यवीर बंदीवार ने कहा कि सोमवार सुबह 7:15 बजे युवती राज्य परिवहन की बस से वर्धा के हिंगनघाट में उतरी थी। तभी नगराले दुपहिया वाहन से उसके पास आया। उसने युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से भाग गया। उन्होंने बताया, 'कुछ राहगीरों ने युवती पर पानी डाला और पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वह 40 फीसद तक झुलस गई है।' बाद में अस्पताल प्रशासन ने बुलेटिन जारी किया जिसके अनुसार युवती का सिर, चेहरा, दाईं बांह, बायां हाथ, पीठ और गर्दन समेत 40 फीसद हिस्सा जल गया है।

जम्मू-कश्मीर के सांसदों की सदस्यता से जुड़ी याचिका पर केंद्र ने सवाल उठाए

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर के सांसदों को संसद भवन में प्रवेश करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में सवाल खड़े किए हैं। याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि राज्य भंग किए जाने के बावजूद वे अवैध रूप से अपनी सीटों पर काबिज हैं।

संसदीय मामलों के मंत्रालय ने हाई कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त प्रोफेसर अब्दुल गनी भट को अदालत जाने से पहले अधिकारियों के समक्ष मुद्दे को उठाना चाहिए था। हाई कोर्ट में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित जम्मू-कश्मीर के दस सांसद अब भी सीट पर काबिज हैं और सरकारी खर्च पर अब भी सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। न्यायाधीश बृजेश सेठी ने दोनों पक्षों को सुना और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भट ने याचिका में आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती राज्य से लोकसभा के छह सांसद और राज्यसभा के चार सदस्य अवैध रूप से अपनी सीटों पर काबिज हैं ।याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि दसों सांसदों को संसद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए।

संसद ने पिछले वर्ष पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया था और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित क्षेत्रों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांट दिया था। इससे राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया।

डंपर और एसयूवी की टक्कर में 12 लोगों की मौत

मुंबई, 3 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में डंपर और एसयूवी के बीच टक्कर से 12 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात 11 बजे हुई, जब बालू नारायण चौधरी अपने परिवार के साथ चिनचॉल में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद चोपडा गांव जा रहे थे। फैजपुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यावल तहसील के हिंगोला गांव के पास चोपडा-फैजपुर मार्ग पर सामने से आ रहे एक डंपर की एसयूवी से टकर हो गई। उन्होंने बताया कि चौधरी, उसकी पत्नी और एसयूवी सवार अन्य आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि कार सवार अन्य सात घायल हो गए, जिन्हें जलगांव के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया था जिनमें से दो की इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि सभी पीड़ित मुक्ताई तहसील के चिनचॉल और मेहूल गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान बालू चौधरी, मंगला चौधरी, अश्लेषा चौधरी, रिया चौधरी, सोनाली चौधरी, प्रियंका चौधरी, सोनाली महाजन, सुमनबाई पाटिल, संगीता पाटिल, शिवम चौधरी और एसयूवी चालक धनराज कोली के रूप में की गई है।

देश में विनिर्माण गतिविधियां आठ साल के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

बाजार मांग में सुधार का असर दिखना शुरू हो गया है। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी में देश की विनिर्माण गतिविधियां आठ साल में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे उत्पादन और रोजगार गतिविधियों में भी बेहतरी दिख रही है।

कंपनियों के खरीद प्रबंधकों (परचेजिंग मैनेजर) के बीच किए जाने वाले मासिक सर्वेक्षण आइएचएस मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआइ इंडेक्स (विनिर्माण पीएमआइ) जनवरी में 55.3 अंक रहा है। यह 2012 से 2020 की अवधि में इसका सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले दिसंबर में यह 52.7 अंक था जबकि जनवरी 2019 में यह आंकड़ा 53.9 अंक था। यह लगातार 30वां महीना है जब विनिर्माण पीएमआइ 50 अंक से ऊपर रहा है। पीएमआइ का 50 अंक से ऊपर रहना गतिविधियों में विस्तार जबकि 50 अंक से नीचे रहना संकुचन के रुख को दर्शाता है।

जनवरी में विनिर्माण पीएमआइ के उच्च स्तर पर रहने की अहम वजह मांग में सुधार होना है। इसकी वजह से नए ऑर्डर मिलने, उत्पादन, निर्यात और विनिर्माण के लिए खरीदारी और रोजगार में बढ़त देखी गई है। साथ ही कारोबारी धारणा में भी सुधार हुआ है। आइएचएस मार्केट में प्रधान अर्थशास्त्री पॉलियाना डि लिमा ने कहा कि जनवरी में देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। परिचालनात्मक परिस्थितियों में जिस गति से सुधार देखा गया है, ऐसा पिछले आठ साल की अवधि में नहीं देखा गया।

सर्वेक्षण में कंपनियों ने माना कि नए ऑर्डर मिलने में जो मजबूती देखी गई है, वह पिछले पांच साल की अवधि में नहीं देखी गई। इसकी प्रमुख वजह मांग का बढ़ना और ग्राहक की जरूरतों का सुधार होना है। कंपनियों की कुल बिक्री में विदेशी बाजारों से बढ़ी मांग की अहम भूमिका है। यह नवंबर 2018 के बाद निर्यात के नए ऑर्डरों में सबसे तेज बढ़त है। वहीं, रोजगार के स्तर पर जनवरी में रोजगार गतिविधियों में भी सुधार देखा गया है। क्षेत्र में रोजगार की दर पिछले साढ़े सात साल में सबसे तेज है।

बाजार को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति जारी होने का भी इंतजार है। इसमें बाजार मांग को बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 फरवरी होनी है।

बारह अरब रुपए मूल्य के फर्जी बिल उपयोग मामले में एक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली में जीएसटी अधिकारियों ने कहा है कि कर लाभ लेने के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के फर्जी बिल का कथित रूप से उपयोग करने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम दिल्ली आयुक्त कार्यालय के सोमवार के एक बयान के अनुसार हाल में गिरफ्तार दया शंकर कुशवाहा ने सरकार के साथ धोखाधड़ी के लिए 49 मुखौटा कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग किया।

बयान के अनुसार- केंद्रीय कर से जुड़ी कर चोरी निरोधक इकाई पश्चिम दिल्ली आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने 124 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) से जुड़े 1,200 करोड़ रुपए के फर्जी बिल काटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें 49 मुखौटा कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग किया गया था। इस गोरखधंधे में वस्तुओं की खरीद के फर्जी बिल काटे गए ताकि वे उसके अधार इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकें।

सरकार निजी क्षेत्र को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार : सीतारमण

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र से अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का विस्तार करने का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि सरकार उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है।

सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र का बड़ा महत्व है। सरकार उन्हें अवसर उपलब्ध करानी चाहती है और उनकी राह सुगम बनाना चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा, 'हमारे लिए निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। आप आगे बढ़ें, हम हर संभव समर्थन देने के लिए तैयार हैं।' बजट के बाद उद्योग मंडल फिक्की द्वारा यहां आयोजित परिचर्चा में उन्होंने वर्ष 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य हासिल करने का भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि विनिवेश का पैसा ढांचागत सुविधाओं के विकास और संपत्ति सृजित करने में लग रहा है।

विनिवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'सरकार की इस मामले में मंशा पूरी तरह साफ है। सरकार इससे जो भी राशि प्राप्त हो रही है, उसे ढांचागत क्षेत्र के विकास और संपत्ति सृजित करने में लगाया जा रहा है।' वर्ष 2020-21 के बजट में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसमें करीब 90 हजार करोड़ रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) की शेयर सूचीबद्धता और आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने से आ सकते हैं। एलआइसी के पूरे शेयर सरकार के पास है जबकि आईडीबीआई बैंक में सरकार की 40 फीसद से अधिक हिस्सेदारी है।

उन्होंने यह बात ऐसे समय कही है जब विनिवेश लक्ष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोग बीपीसीएल में हिस्सेदारी बिक्री और एलआइसी में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए हिस्सेदारी बेचे जाने पर प्रश्न कर रहे हैं।

राजकोषीय घाटे के मुद्दे पर सीतारमण ने कहा, 'कुछ लोग वित्तीय घाटे के 4-5 फीसद से ऊपर निकलने की बात कह रहे हैं। लेकिन हमने बजट में अपना रुख बिल्कुल साफ किया है। जहां जरूरी है हम वहां खर्च कर रहे हैं।' उल्लेखनीय है कि बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान 3.3 फीसद से संशोधित कर 3.8 फीसद कर दिया है। अगले वित्त वर्ष में 3.5 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है।

लघु बचत ब्याज दरों में अगली तिमाही में संशोधन संभव : चक्रवर्ती

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने अगली तिमाही में लघु बचत ब्याज दरों में संशोधन के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि इसे बाजार दरों के अनुरूप संतुलित बनाया जा सकता है। इससे नीतिगत दरों के लाभ को तेजी से आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलने की संभावना है। बैंक जमा दरों में नरमी के बावजूद चालू तिमाही में सरकार ने लोक भविष्य निधि कोष (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने से दूरी बनाए रखी।

चक्रवर्ती ने कहा कि देश में हमारे पास वर्तमान में लगभग 12 लाख करोड़ लघु बचत योजनाओं में और करीब 114 लाख करोड़ रुपए बैंक जमा के रूप में हैं। इससे बैंकों की देनदारी इन 12 लाख करोड़ रुपए से प्रभावित हो रही है। यह बिल्कुल वैसी स्थिति है जब कोई कमजोर इंसान किसी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को नियंत्रित करने लगे। कमोबेश लघु बचतों की ब्याज दर का कुछ जुड़ाव बाजार दरों से होना चाहिए जो बड़े स्तर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्रभावित होती हैं।

उन्होंने कहा कि श्यामला गोपीनाथ समिति की रपट को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन ब्याज दरों को बाजार दरों से जोड़ने का काम चल रहा है। इस तिमाही के लिए ब्याज दरों का इंतजार कीजिए, यह आपको अच्छे संकेत देगा। अभी कुछ सांकेतिक मुद्दे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। बैंकों का कहना है कि लघु बचतों पर ऊंची ब्याज दर से उन्हें अपनी जमा ब्याज दरों में कटौती करने में दिक्कत आ रही है। एक साल की परिपक्वता अवधि के लिए बैंकों की जमा ब्याज दर और लघु बचत दरों में करीब एक फीसद का अंतर है। उन्होंने कहा- भले सरकार लघु बचत योजनाओं पर निर्भर नहीं है, लेकिन सरकार का इन योजनाओं को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।

बाजार में लौटी तेजी, सूचकांक 137 अंक मजबूत

मुंबई, 3 फरवरी (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को 137 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। एचयूएल, आइसीआइसीआइ बैंक और एशियन पेंट की अगुआई में यह तेजी आई। एक ताजा सर्वे में बताया गया है कि जनवरी में भारत के विनिर्माण उद्योग की गतिविधियां तेज हुई हैं। इसका बाजार पर अनुकूल असर पड़ा।

उतार-चढ़ाव वाले कारोबार में 30 शेयरों वाला बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 136.78 अंक मजबूत होकर 39,872.31 अंक रहा। सूचकांक के 18 शेयर लाभ और 12 नुकसान में रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 46.05 अंक की बढ़त के साथ 11,707.90 अंक पर बंद हुआ।

शनिवार को झटके के बाद बाजार गिरावट के साथ खुला। एक समय सूचकांक नीचे में 39,563.07 अंक तक चला गया जबकि निफ्टी 11,614.50 अंक के निचले स्तर तक गया। शनिवार को संसद में पेश बजट के प्रस्तावों से निवेशकों में उत्साह नहीं होने से बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। दोपहर के कारोबार में बाजार में तेजी आई।

कंपनियों के खरीद प्रबंधकों (परचेजिंग मैनेजर) के बीच किए जाने वाले मासिक सर्वेक्षण पर आधारित आइएचएस मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआइ इंडेक्स (विनिर्माण पीएमआइ) जनवरी में 55.3 अंक रहा जो दिसंबर में 52.7 था। यह नए कारोबारी आर्डर में वृद्धि को बताता है। पीएमआइ का यह 2012 से 2020 की अवधि में इसका सबसे ऊंचा स्तर है।

सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में एशियन पेंट रहा। इसमें 6.32 फीसद की तेजी आई। उसके बाद नेस्ले इंडिया 5.3 फीसद, एचयूएल 5.06 फीसद, बजाज ऑटो 4.71 फीसद, इंडसइंड बैंक 4.29 फीसद, टाटा स्टील 3.06 फीसद, मारुति 2.99 फीसद और पावरग्रिड 2.79 फीसद मजबूत हुए। दूसरी तरफ आइटीसी में 5.09 फीसद की गिरावट रही। बजट में सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 212 फीसद से बढ़ाकर 388 फीसद किए जाने से कंपनी का शेयर प्रभावित हुआ। इसके अलावा टीसीएस, एचसीएल टेक, हीरो मोटो कार्प और टेक महिंद्रा नुकसान में रहे।

बीदर हवाई अड्डे के परिचालन का अनुबंध जीएमआर के नाम

हैदराबाद, 3 फरवरी (भाषा)।

जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एअरपोर्ट लि. ने उत्तर कर्नाटक में बीदर हवाई अड्डे की नागर विमानन सेवा पट्टी के परिचालन और रखरखाव के अनुबंध पत्र पर दस्तखत किए हैं। जीएमआर ने एक बयान में यह जानकारी दी। कंपनी को केंद्र की उड़ान योजना के तहत यह ठेका मिला है। यह योजना नागर विमान सेवा नेटवर्क से अब तक कटे इलाकों को जोड़ने के लिए बनाई गई है।

GOLKONDA ALUMINIUM EXTRUSIONS LIMITED
(Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited)
Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110035, India

NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 12th February, 2020 at New Delhi, to consider and take on record, inter alia, the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019.

For Golkonda Aluminium Extrusions Limited
Place: New Delhi Sd/-
Date: 03rd February, 2020 Whole-time Director

Shivalik Bimetal Controls Ltd.
Regd. Office : Plot No. 16-18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan-173213 (HP)
Ph.+ 91-11-26027174, Fax: +91-011-26026776,
website: www.shivalikbimetals.com, E-mail: investor@shivalikbimetals.com,
CIN: L27101HP1984PLC005862.

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 11th day of February, 2020, inter alia to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.shivalikbimetals.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com

In pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window of the Company remains closed from 1st January, 2020 to 13th February, 2020 (both days inclusive)

For Shivalik Bimetal Controls Limited
Sd/-
Place: New Delhi Aarti Jassal
Dated: 03/02/ 2020 Company Secretary

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD.
CIN NO.L51909DL1933PLC009509
Regd. Office : 4-A, Hansalaya, 15, Barakhamba Road New Delhi 110 001
Phone No.011-23316409, 23310414 Fax No. 011-23322473
Email: udsm_shamli@sirshadilal.com : website www.sirshadilal.com

Abstract of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2019
(Rs. In Lacs)

Particulars	Quarter ended			Nine Months ended		Previous Accounting Year ended
	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
Total Income from Operations	11363.78	12464.21	9872.45	38856.25	25682.69	37360.47
Net Profit(+)/Loss(-) for the period[before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-) 626.14	(+) 58.32	(-)2712.10	(-) 632.52	(-) 4280.68	(-) 3501.60
Net Profit(+)/Loss(-) for the period before tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-) 626.14	(+) 58.32	(-)2712.10	(-) 632.52	(-) 4280.68	(-) 3501.60
Net Profit(+)/Loss(-) for the period after tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-) 626.14	(+) 58.32	(-)2712.10	(-) 632.52	(-) 4280.68	(-) 3501.60
Total Comprehensive income for the period {Comprising Profit/Loss for the period(after tax) and other comprehensive income for the period (after tax)	(-) 630.92	(+) 45.96	(-)2823.13	(-) 507.62	(-) 4314.00	(-) 3488.82
Paid-up Equity Share Capital	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
Earnings per share (not annualized of Rs. 10/-) Basic and Diluted	(-)11.926	(+)1.111	(-)51.659	(-)12.048	(-)81.537	(-)66.697

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com and the Company's website at www.sirshadilal.com
2. The above result have been subject to "Limited Review" by Auditors of the Company and have been reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 3rd February, 2020.

for Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.
Sd/-
(Rajat Lal)
Managing Director

Place : New Delhi
Dated : 3rd February, 2020

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालय : ''राधिका'', द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 **शाखा कार्यालय :** भवन सं. 59, प्रथम एवं तृतीय तल, पंचकुइयाँ रोड, निकट आर.के. आश्रम मेट्रो, नई दिल्ली-110001

सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

आप अधोलिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा जमानतियों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से ऋण/वित्तीय सुविधाएँ ग्रहण कीं और उनके पुनर्भुगतान में चूक की। आपकी चूक के परिणामस्वरूप ऋण को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात कम्पनी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, जिसकी विषय-सामग्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इसके साथ प्रकाशित किये जा रहे हैं और आपके पास वैकल्पिक सेवा के रूप में माँग सूचना निर्गत की है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, ऋण खाता सं., ऋण की राशि, धारा 13(2) के तहत माँग सूचना, तिथि, सूचना में दावाकृत राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिया गया है :

1.	कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : ब्राइज एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, राहुल गौड़, हरचरन सिंह, नरिन्दर कौर एवं नवमीत भाडला, सभी : भवन सं. 989, ब्लॉक-ए, पालम एक्सटेंशन, मैक्स फोर्ट स्कूल के पीछे, सेक्टर-7, द्वारका नई दिल्ली-110077, साथ ही : मकान नं. 13/14, खेवट खाता सं. 113/331, खसरा नं. 1583/871/891(0-7) तथा 2025/1566/893(0-7), भदसोन रोड, रकबा ग्राम-जसोवल, पटियाला-147001 खाता सं. : 813179; ऋण राशि रु. 45000000/- (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र), माँग सूचना की तिथि : 02.01.2020; दावाकृत राशि : 18 दिसम्बर, 2019 तक रु. 27,188,405.67 (रुपये दो करोड़ इकहत्तर लाख अट्ठासी हजार चार सौ पाँच एवं सड़सठ पैसे मात्र) तथा आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली तिथि तक भावी अनुबन्धात्मक ब्याज। एनपीए तिथि : 03.10.2019, प्रतिभूति का विवरण : भदसोन रोड, रकबा ग्राम जसोवल, पटियाला में स्थित खेवट/खतौनी सं. 410/885, खसरा नं. 1583/971/891(0-7), 2025/1566/893(0-7) में से सम्पत्ति मकान सं. 13/14, माप 13 बिस्वा (650 वर्ग गज) अर्थात 0-14 बिस्वा में से 13/14 भाग का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : मेन रोड, पश्चिम : सड़क, उत्तर : बलविन्दर सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण : जगत सिंह की सम्पत्ति।
2.	कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : अनिल अग्रवाल, जय श्री अग्रवाल, सभी : बी-110, दूसरी मंजिल, विवेक विहार फेज-1, नई दिल्ली-110092, दिल्ली, खाता सं. : 236521, 580682 & 896830; ऋण राशि रु. 20904111/- (रुपये दो करोड़ नौ लाख चार हजार एक सौ ग्यारह मात्र), माँग सूचना की तिथि : 04.01.2019; दावाकृत राशि : 4 जनवरी, 2020 तक रु. 16271899.28/- (रुपये एक करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार आठ सौ निन्यानबे मात्र) तथा आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली तिथि तक भावी अनुबन्धात्मक ब्याज। एनपीए तिथि : 04.05.2019, 03.09.2019 प्रतिभूति का विवरण : यमुना विहार आवासीय कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली पर स्थित ब्लॉक सी-1 में मकान नं. बी-110, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-बी, विवेक विहार, नई दिल्ली-110092, सी-1/47, माप क्षेत्र 66.88 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : 1. पूर्व : रोड, पश्चिम : सर्विस लेन, उत्तर : प्लॉट सं. 111, दक्षिण : प्लॉट सं. 109. 2. पूर्व : सड़क, पश्चिम : सर्विस लेन, उत्तर : सी-1/46, दक्षिण : सी-1/48
3.	3. कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : राजीव चेतल, पवन चेतल तथा लीला रानी चेतल, सभी : 15ए/13 जीएफ ब्लॉक-15ए, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008, साथ ही : 14ए/1, डब्ल्यूईए करोल बाग, दिल्ली-110005, खाता सं. : 767138; ऋण राशि रु. 40000000/- (रुपये चार करोड़ मात्र), माँग सूचना की तिथि : 02.01.2020; दावाकृत राशि : 02.01.2020 तक रु. 9,745,380.78/- (रुपये सत्तानबे लाख पैंतालीस हजार तीन सौ अस्सी एवं अठहत्तर पैसे मात्र) तथा आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली तिथि तक भावी अनुबन्धात्मक ब्याज। एनपीए तिथि : 05.04.2019, प्रतिभूति का विवरण : 14ए/1, डब्ल्यूईए करोल बाग, दिल्ली-110005 माप 167 वर्ग गज (छत/टेरेस के अधिकार सहित भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा तृतीय तल से निर्मित) (भूतल पर 26.45 वर्ग मीटर माप के सम्पूर्ण बेसमेंट तथा एक दुकान को छोड़कर) का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : 1. पूर्व : सर्विस रोड, पश्चिम : सड़क, उत्तर : प्लॉट सं. 22, दक्षिण : प्लॉट सं. 2.

अतः आप कर्जदार/सह-कर्जदारों तथा जमानतियों को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज सहित ऊपर उल्लिखित माँग राशि का इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। (प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)

कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस बीच आपको उपर्युक्त सम्पत्ति का हमारी सहमति के बिना विक्रय, पट्टे अथवा अन्य रूप में उपर्युक्त सन्दर्भित प्रतिभूतियों को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है और अधिनियम की धारा 13(13) का कोई अननुपालन कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत दण्डनीय है।

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें :
श्री हरदीप सभरवाल, दूरभाष : 9654965496 अथवा श्री यज्ञेश मेधावी, दूरभाष : 9310890352

स्थान : मुम्बई तिथि : 04.02.2020 ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी

COURT NOTICE

In the court of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-039370-2017
NEXT DATE: 04-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Mohd. Azam
Notice To:1. Mohd. Azam R/o 447-6, Block-g, Sangam Vihar, Delhi-110062 2. Sanjeev Kumar S/o Rohtash Singh R/o H.no 2k Purana Vijay Nagar Ghaziabad-201001 Uttar Pardesh
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused// accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 04-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of this publication of this proclamation. Take notice that in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as Per law, in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-050298-2018
NEXT DATE: 05-03-2020
M/s Crystal Crop Protection Pvt Limited
V/s
Pothireddy Ramesh
Notice To: Pothireddy Ramesh Prop. Sri Sairam Agro Agencies D. No. 5-8, Main Road, Dendapudi, Andhra Pardesh
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 05-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
मण्डल कार्यालय - सी-18बी, दीन दयाल पुरम, बरेली-243122, फोन : 0581-2310672, ई-मेल: co.bar@obc.co.in

नियम - 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स साथ ही पंजाब नेशनल बैंक की सहमति से, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **उधारकर्ता /निदेशकों मैसर्स अतरसंस ओवरसीज (प्रा.) लि. (पूर्व में श्री बालाजी रोहिलखंड राइस मिल्स प्रा. लि.), सी-1, औद्योगिक क्षेत्र, ग्रोथ सेंटर गाँव जामोर तहसील और जिला शाहजहांपुर-242226 और पंजी कार्यालयः सी-67, वैभव सनसिटी विस्तार, बरेली यूपी, निदेशक श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री सुनील कुमार गुप्ता और श्री रचिन गुप्ता पुत्र श्री नरेश चंद्र गुप्ता और गारंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता और मैसर्स बालाजी फूडग्रेन्स प्रा. लि. को मांग नोटिस निम्नांकित दिनांकों को जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में निम्नानुसार बकाया राशि** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

बैंकों के नाम	सरफेसी अधिनियम 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सूचना में अंकित राशि (आईएनआर)
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	04-02-2019	रु. 45,09,48,004.60 (रु. पैंतालीस करोड़ नौ लाख अड़तालीस हजार चार और पैसे साठ मात्र) दिनांक 31.01.2019 तक
पंजाब नैशनल बैंक	10-06-2019	रु. 25,59,80,814.49 (रु. पच्चीस करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार आठ सौ चौदह और पैसे उनचास मात्र) दिनांक 01.06.2019 तक

उधारकर्ताओं/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटर्स **उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा** उधारकर्ताओं/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटर्स **तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के** अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा 30.01.2020** को लिया है।

उधारकर्ताओं/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटर्स का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ताओं/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटर्स को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते, बकाया राशि रू. रु. 50,63,85,028.57** (रु. पचास करोड़ तिरेसठ लाख पिच्चासी हजार अट्ठाईस और पैसे सत्तावन मात्र) दिनांक 01.01.2020 तक **साथ में संविदात्मक दर पर ब्याज इत्यादि सहित** अदायगी की तिथि तक और **पंजाब नेशनल बैंक, के प्रभार वास्ते, बकाया राशि रू. रु. 25,59,80,814.49 (रु. पच्चीस करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार आठ सौ चौदह और पैसे उनचास मात्र) दिनांक 01.06.2019 तक साथ में संविदात्मक दर पर ब्याज इत्यादि सहित** अदायगी की तिथि तक के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

(1) साम्यिक बंधक सम्पत्ति खसरा नं. 36 और 37 का 1/3 हिस्सा, गाँव फतेहपुर, परगना + तहसील - बरेली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 10330 वर्ग मी., खसरा नं. 36 की चौहद्दी : पूरब में - भूपेन्द्र सिंह एवं अन्य का खेत, पश्चिम में - चन्द पाल सिंह का खेत, उत्तर में - दीप देवेन्द्र सिंह का खेत, दक्षिण में - श्रीमती कमला गुप्ता का खेत

खसरा नं. 37 की चौहद्दी: पूरब में - माखन लाल एवं अन्य का खेत, पश्चिम में - श्रीमती कमला गुप्ता का खेत, उत्तर में - विक्रेता का खेत, दक्षिण लिंक रोड

(2) साम्यिक बंधक सम्पत्ति खसरा नं. 36 का हिस्सा, गाँव फतेहपुर, तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रचिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 2325 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में - श्री बालाजी ब्रिक इंडस्ट्रीज की सम्पत्ति, पश्चिम में - आशीष गुप्ता का प्लॉट, उत्तर में - लल्ला का प्लॉट, दक्षिण में - भोजपुर रोड

(3) साम्यिक बंधक खुला प्लॉट खसरा नं. 28एम, 29/2, 30/2एम का हिस्सा, तुलापुर पीलीभीत बाई पास रोड, जिला बरेली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता और श्री रचिन गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 1413.05 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में - खसरा नं. 46 और 25 (सीपीडब्ल्यूडी चौहद्दी), पश्चिम में - खसरा नं. 44/2 & 41/2 & 29, उत्तर में - खसरा नं. 45, दक्षिण में - खसरा नं. 28 और 30

(4) साम्यिक बंधक सम्पत्ति रिहायशी खुला प्लॉट नं. 1-ए, खसरा नं. 176 और 178 का हिस्सा, गाँव कालापुर, पीटीडी, बरेली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रचिन गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 234 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में - प्राईवेट प्लॉट नं. 2, पश्चिम में - परती और पीलीभीत रोड, उत्तर में - 30फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण में - प्राईवेट प्लॉट नं. 1

दिनांक 30-01-2020, स्थान : बरेली **प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**

HDFC
WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067
दूरभाषः 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइटः www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री हर्ष वर्धन बगारिया, श्री सत्य प्रकाश बगारिया, श्रीमती संतोष बगारिया एवं मैसर्स रोजवूड प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (ऋण खाता सं. 625579733, 625352059, 626265821, 625392727, 625063209, 626221702, 626145075 और 625351515)	मांग सूचना में से प्रत्येक में वर्णित अनुसार देय राशि* रु. 5,55,73,869/- (पांच करोड़ पचपन लाख तिहत्तर हजार आठ सौ उनहत्तर रुपए)	05-जुलाई-2019	30-जनवरी-2020 (भौतिक)	क) यूनिट/शॉप नं0 25, प्रथम तल, चार्मवूड प्लाजा, इरोज गार्डन टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा, भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। ख) यूनिट/शॉप नं0 26, प्रथम तल, चार्मवूड प्लाजा, इरोज गार्डन टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा, भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। ग) फ्लैट नं. 1001, 10वीं मंजिल, रॉयल रेट्रीट-II, चर्मवूड गाँव, लक्करपुर गाँव, इरोज गार्डन, सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
2.	श्री नीरज रावल एवं श्री धानात्तर सिंह रावल ऋण खाता सं0 617776827	31-अगस्त-2019* को बकाया रु. 12,36,629/- (केवल बारह लाख छत्तीस हजार छह सौ उन्तीस रुपये)	24-सितम्बर-2018	01-फरवरी-2020 (भौतिक)	आवंटन पत्र दिनांकित 28.01.2015 के माध्यम से श्री. नीरज रावल के पक्ष में आबंटित सेक्टर 35, नई दिल्ली, 110085 में स्थित, डीडीए रोहिणी हाउसिंग स्कीम-2014 में फ्लैट 23, बीएलके-बी1, भूमि तल, पॉकेट-5 के साथ उस पर सभी सम्बद्ध एरिया सहित भूमि की निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालांकि, चूंकि यहां उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का **भौतिक कब्जा** अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहां उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति(यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) / विधिक प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

स्थानः दिल्ली कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
दिनांकः 03.02.2020 ह0/-
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

www.readwhere.com

अंडर-19 विश्व कप

सेमी फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से

पोटचेफस्ट्रूम (दक्षिण अफ्रीका), 3 फरवरी (भाषा)।

चार बार की चैंपियन भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप के पहले सेमी फाइनल में मंगलवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलेगी तो उसका लक्ष्य लगातार तीसरे फाइनल में प्रवेश का होगा।

दोनों टीमें सेमी फाइनल तक की राह में अपराजेय रही है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में आस्ट्रेलिया को और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया। पाकिस्तान के कप्तान रोहेल नजीर ने इस मैच को लेकर बनी हाइप को ज्यादा तूल देने से इनकार किया लेकिन यह हकीकत है कि टूर्नामेंट में यह सबसे ज्यादा दबाव वाला मैच होगा। इसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों की असल परीक्षा होगी। इस मैच में अच्छा खेलने से कोई रातोंरात स्टार बन जाएगा और खराब खेलने पर खलनायक भी। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा ने अफगानिस्तान पर मिली जीत के बाद कहा था, यह काफी दबाव वाला मैच है और इसे लेकर काफी हाइप है। हम इसे आम मैच की तरह लेंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करेंगे।

खिताब लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य, चार बार खिताब अपने नाम कर चुकी भारतीय जूनियर टीम का पलड़ा भारी

समय मैच दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होगा

सीनियर की तरह ही भारतीय जूनियर टीम का पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है। भारत ने पिछले साल सितंबर में उसे एशिया कप में भी हराया था। अंडर-19 विश्व कप में गत चैंपियन भारत ने 2018 विश्व कप में पाकिस्तान को 203 रन से मात दी थी। वैसे क्रिकेट में इतिहास मायने नहीं रखता और प्रियम गर्ग की कप्तानी वाली टीम को पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भारतीय बल्लेबाजी की धुरी रहे हैं जिन्होंने चार मैचों में तीन अर्धशतक लगाए। बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं रहा। अगर क्वार्टर फाइनल में निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं चलते तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने भी उम्दा प्रदर्शन किया था। अथर्व अंकोलेकर और फार्म में चल रहे लेग स्पिनर रवि विश्नोई ने सातवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की जिसकी बदौलत भारत ने जीत दर्ज की।

फेड कप तीन सप्ताह के लिए टला

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के बाद चीन की जगह कजाखस्तान को फेड कप टेनिस प्रतियोगिता मेजबानी दी गई थी लेकिन मंगलवार से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट को तीन सप्ताह के लिए टाल दिया गया। इस प्रतियोगिता के एशिया-ओसियाना ग्रुप एक स्पर्धा का आयोजन पहले चीन के डोंगुआन शहर में चार से आठ फरवरी तक होना था।

पिंडली की चोट के कारण रोहित न्यूजीलैंड दौरे से बाहर

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

भारत को उस समय झटका लगा जब उसके सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा माउंट मोनगानुई में पांचवें और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय के दौरान पिंडली में चोट के कारण सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी एकदिवसीय और टैस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए। उनकी जगह मयंक अग्रवाल एकदिवसीय टीम में लोकेश राहुल और पृथ्वी साव के साथ तीसरे सलामी बल्लेबाज होंगे। जबकि टैस्ट टीम में रोहित की गैरमौजूदगी में राहुल और पृथ्वी साव के साथ शुभमन गिल तीसरे सलामी बल्लेबाज होंगे।

टीम में

मैच के दौरान तेजी से एक रन लेने के प्रयास में रोहित की पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और उन्हें 41 गेंद में 60 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर लौटना पड़ा था। रोहित की चोट भारत के लिए बड़ा झटका है क्योंकि 2019 में सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने वाला यह बल्लेबाज अच्छी लय में था। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने बताया, वह दौरे से बाहर हो गए हैं। फिलहाल उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं लग रही। फिजियो उनका आकलन कर रहे हैं। हमें बाद में पता चलेगा कि चोट की स्थिति क्या है लेकिन वह श्रृंखला में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। भारत बुधवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में हिस्सा लेगा जबकि इसके बाद दो टैस्ट की श्रृंखला खेली जाएगी। पता चला है कि मयंक अग्रवाल एकदिवसीय टीम में रोहित की जगह लोकेश राहुल और पृथ्वी साव के साथ तीसरे सलामी बल्लेबाज होंगे। टैस्ट टीम में रोहित की गैरमौजूदगी में राहुल और पृथ्वी साव के साथ शुभमन गिल तीसरे सलामी बल्लेबाज होंगे। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ भारत की पिछली दो घरेलू टैस्ट श्रृंखलाओं में गिल ने रोहित और राहुल के साथ बैकअप सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाई थी।

टी-20 : सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में पहुंचे राहुल

दुबई, 3 फरवरी (भाषा)।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल सोमवार को जारी आइसीसी टी-20 रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए।

राहुल ने इस श्रृंखला में विकेटकीपर की भूमिका निभाने के अलावा दो अर्धशतक के साथ 224 रन बनाकर टीम को 5-0 से श्रृंखला जिताने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के बाबर आजम रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि सीमित ओवरों के भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा (10) भी शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे। कप्तान विराट कोहली नौवें स्थान पर हैं। अन्य भारतीय बल्लेबाजों में श्रेयस अय्यर (63 स्थान के सुधार के साथ 55वें) और मनीष पांडे (12 स्थान के सुधार के साथ 58वें) भी नवीनतम रैंकिंग में सुधार करने में सफल रहे। गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह 26 स्थान के सुधार के साथ 11वें पायदान पर पहुंच गए। युजवेंद्र चहल 10 स्थान ऊपर चढ़कर 30वें पायदान पर पहुंच गए। श्रृंखला में आठ विकेट लेने वाले शार्दुल ठाकुर ने 34 स्थान का सुधार किया और अब उनकी रैंकिंग 57 है। नवदीप सैनी (25 स्थान के सुधार के साथ 71वें स्थान पर) और रविंद्र जडेजा (34 स्थान के सुधार के साथ 76वें पायदान पर) की रैंकिग में भी बड़ा सुधार हुआ।

डीडीसीए चयन विवाद

अनजान तेज गेंदबाज बेनीवाल दिल्ली की रणजी टीम में

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम के चयन को लेकर सोमवार को विवाद की स्थिति पैदा हो गई जब मंगलार से गुजरात के खिलाफ शुरू हो रहे अहम मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय टीम में अनजान तेज गेंदबाज अंकित बेनीवाल को शामिल किया गया।

एक वर्ग के विरोध के बावजूद बेनीवाल को बंगाल के खिलाफ मैच के लिए नेट गेंदबाज के रूप में भेजा गया था जबकि वह सिर्फ 110 से 115 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। डीडीसीए के आला अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बीसीसीसीआइ के पूर्व उपाध्यक्ष और उसका छोटा भाई जो अब डीडीसीए का शीर्ष पदाधिकारी है, उन्होंने बेनीवाल को चुनने के लिए चयन समिति को बाध्य किया। चयन समिति की बैठक के दौरान मौजूद डीडीसीए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, डीडीसीए की सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष बंटू सिंह और उनके साथी अनिल भारद्वाज इस विवादास्पद फैसले के लिए जिम्मेदार हैं। उस खिलाड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। उसने कैसे टीम में जगह बनाई और उसने कितने विकेट लिए हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि दो भाई उसे शामिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं। बंटू सिंह ने हालांकि बेनीवाल के चयन के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा, सिर्फ चयनकर्ताओं ने ही बेनीवाल को नहीं चुना है। यह सामूहिक फैसला था (अधिकारियों और चयनकर्ता का)। हमेशा चयनकर्ताओं पर दोष मढ़ना सही नहीं है। हम काफी लड़कों का चयन प्रदर्शन के आधार पर करते हैं लेकिन तब कोई चयनकर्ताओं की तारीफ नहीं करता।

सहारा इंडिया परिवार के 42 वर्ष

आज की स्थिति

मेरे सम्माननीय निवेशकर्ता साथीगण,

अपने इन 42 वर्षों में इस परिवार ने अपने सेवा पक्ष से करोड़ों सम्मानित जमाकर्ताओं/ निवेशकर्ताओं का भरपूर प्यार व विश्वास अर्जित किया है और उस विश्वास के लिए मैं, सहारा इंडिया परिवार का प्रमुख होने के नाते अपने परिवार की तरफ से बड़ों को नमन, समकक्षों को बधाइयाँ एवं अनुजों को आशीर्वाद के साथ सबके प्रति दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ।

भुगतान में विलम्ब :

सहारा इंडिया परिवार ने सम्मानित निवेशकर्ताओं को समयबद्ध भुगतान करने और अपने सेवा पक्ष को उत्कृष्टतम् बनाये रखने की अपनी स्थापित परम्परा का हमेशा निर्वाह किया है। किन्तु पिछले 7 वर्षों से कुछ अवांछित परिस्थितियों के कारण सहारा की स्थापित परम्परा के विपरीत कुछ जगहों पर भुगतान में विलम्ब हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध (एम्बार्गो) के फलस्वरूप हम अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर, गिरवी रखकर या ज्वाइंट वेंचर से धन जुटाते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सारे रुपये सहारा-सेबी खाते में जमा हो जायेंगे, उसमें से एक रुपये का भी संस्थागत कार्य हेतु उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सम्मानित निवेशकों के भुगतान हेतु भी नहीं।

जबकि सहारा की परिसंपत्तियाँ उसकी कुल देनदारियों की तुलना में तीन गुना ज़्यादा हैं।

तीन गुना परिसंपत्तियों के बावजूद परेशानी का कारण :

अब बात यह आती है कि सहारा के पास जब इतनी परिसंपत्तियाँ हैं तो वह उसे बेच कर संकट से बाहर क्यों नहीं आता। इस समय हम ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ सब कुछ हमारी पहुँच के भीतर है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध की अड़चन के कारण पहुँच से बाहर भी है। यदि इस समय हमें भवन निर्माण का व्यवसाय करने की थोड़ी सी छूट मिली होती तो सब कुछ कब का ठीक हो गया होता।

दरअसल, पूरे हिंदुस्तान में हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन सैकड़ों भूखंडों के रूप में बिखरी पड़ी है लेकिन ये सारे भूखंड बड़े क्षेत्रफल वाले यानी 100-200-300 एकड़ के हैं। अकेली ऐम्बी वैली का क्षेत्रफल 9000 एकड़ का है। अब कठिनाई यह है कि बड़े भूखंडों के खरीदार हिंदुस्तान में नहीं हैं। क्योंकि भू-बाज़ार (Real Estate) में मंदी है। ऐसी सूरत में जो एक-दो खरीदार मिलते भी हैं तो वे एक भूखंड को उसके वास्तविक मूल्य के चौथाई या उससे भी कम दाम में लेना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इस तरह का कम मूल्य का सौदा करना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हमें सरकारी सर्किल रेट के 90 प्रतिशत के नीचे बेचने की इजाज़त नहीं है।

बड़े भूखंड पर यदि टाउनशिप (कॉलोनी) विकसित करने की बात सोचें तो दो परिस्थितियाँ आयेंगी। पहले कि भूखंड का आंतरिक विकास व इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे-सड़क या अन्य सुविधाएं निर्मित करने हेतु फंड का अभाव, दूसरा यदि हम आवास डेवलपमेंट करने हेतु आवंटियों से बतौर एडवांस (बुकिंग एमाउंट) लेते हैं तो इससे जो पैसा आयेगा वह इस अजीब विषम परिस्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहारा-सेबी एकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, फिर हाउसिंग डेवलपमेंट के व्यवसाय की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? ऐसे में ज़मीनें तो हैं लेकिन उनका विकास कर व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। जो प्रोजेक्ट चल रहे थे आज वो भी रुक गये हैं, क्योंकि धन का प्रवाह बंद हो गया है।

ख़ुशी की बात :

यह खुशी की बात है कि दो सम्मानित विदेशी निवेशक संस्थाएं, काफी बड़ी रकम लेकर हमारे साथ रियल एस्टेट एवं सिटी विकास के व्यवसाय में आ रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे करारों पर दस्तखत हो चुके हैं जिससे इसी वर्ष 2020 के अंदर सहारा की परेशानियाँ सुलझेंगी।

इस पृष्ठभूमि में हमें बिना भ्रम एवं भ्रान्ति के आपका साथ चाहिए। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें आपका यह अपनत्वपूर्ण बहुमूल्य साथ इस वर्ष यानी 2020 में भी अवश्य ही प्राप्त होगा।

सहारा का ₹22,000 करोड़ :

अब तक सहारा-सेबी खाते में मय ब्याज हमारे लगभग **₹22,000 करोड़** जमा हो चुके हैं। जबकि सेबी 4 बार 154 अखबारों के ज़रिए देश भर में विज्ञापन देने के बावजूद केवल **₹106.10 करोड़** ही सम्मानित निवेशकों को भुगतान स्वरूप दे पायी है। चौथे विज्ञापन में सेबी ने साफ-साफ लिख दिया है कि इसके बाद वह किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। यह अन्तिम विज्ञापन करीब एक साल पहले आया था, यानी कि अब कोई भी भुगतान बाकी नहीं रह गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सत्यापन के बाद **₹22,000 करोड़** की यह रकम सहारा में ही लौट आयेगी।

हम अडिग हैं :

यह बात बिल्कुल सही है कि विगत कुछ वर्षों से हम विपरीत परिस्थितियों के कारण कुछ जगहों पर अपने समयबद्ध भुगतान की स्थापित परम्परा को पूर्ण रूप से कायम रखने में उस स्तर पर सफल नहीं हो पाए हैं, परन्तु भुगतान की वचनबद्धता के प्रति हम आज भी अडिग हैं और यदि एक दिन भी भुगतान में विलम्ब होता है तो विलम्बित अवधि के ब्याज के साथ हम अपने निवेशकर्ताओं को पूर्ण भुगतान दे रहे हैं।

आप निवेशकर्ता साथियों का हित हमारे लिए सदैव सर्वोपरि रहा है और हमेशा रहेगा।

भ्रामक प्रचारों से बचें :

आपसे मेरी गुज़ारिश है कि भ्रामक प्रचारित बातों से आप कतई विचलित न हों और धैर्य रखें। आपको आपका निवेशित धन पूरे ब्याज सहित प्राप्त होगा। जो विलम्ब हो रहा है उसे आप यह मानकर चलें कि आपने अपना धन थोड़े अधिक समय हेतु निवेशित कर रखा है जिस पर मूलधन के साथ अधिक ब्याज भी अर्जित हो रहा है। आगे आप देखेंगे कि हम इन विपरीत परिस्थितियों से उबरते हुए इस वर्ष के अंदर आप सभी को पूर्व की भाँति और उससे भी बेहतर लाभ एवं सेवा प्रदान करना शुरू कर देंगे।

आप पूर्णतया सुरक्षित हैं :

मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका धन पूरी तरह सुरक्षित है और आपको किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं होगी। आपने हमेशा ही हमारा साथ दिया है और आज भी आपके साथ की ज़रूरत है। आपसे अनुरोध है कि आप सदैव हम पर भरोसा बनाये रखें।

सम्मान और शुभकामनाओं सहित।
आपके भावनात्मक साथ का आकांक्षी

हमेशा आपका

सुब्रत रॉय सहारा

सहारा इंडिया परिवार

CHHABI202001-11/CORP-HI

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 79, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com